महानगर नई दिल्ली मंगलवार 11 जून, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

युवराज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, कहा अब आगे बढ़ने का समय

मुंबई, 10 जून (भाषा)।

कैंसर पर विजय हासिल करने के आठ साल बाद भावुक युवराज सिंह ने सोमवार को उतार चढ़ाव से भरे अपने करिअर को अलविदा कहने की घोषणा की जिसमें उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की 2011 की विश्व कप जीत में अहम योगदान रहा।

प्रतिभा के धनी इस करिश्माई खिलाड़ी को सीमित ओवरों की क्रिकेट का दिग्गज माना जाता रहा है लेकिन उन्होंने इस टीस के साथ संन्यास लिया कि वे टैस्ट मैचों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने हालांकि संन्यास लेने से पहले कई बार परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने के प्रयास किए।

इस 37 वर्षीय क्रिकेटर ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मैंने 25 साल 22 गज की पिच के आसपास बिताने और लगभग 17 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया है। क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया और यही वजह है कि मैं आज यहां पर हूं।' उन्होंने कहा, 'मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मैंने भारत की तरफ से 400 मैच खेले। जब मैंने खेलना शुरू किया था तब मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था।' उन्होंने कहा, 'यह इस खेल के साथ बाकी पेज 8 पर

युवराज और भारत

40 टैस्ट, 304 वनडे और 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। उन्होंने टैस्ट मैचों में 1900 और वनडे में 8701 रन बनाए। उन्हें वनडे में सबसे अधिक सफलता मिली। टी20 अंतरराष्ट्रीय में उनके नाम पर 1177 रन दर्ज हैं।

"मैं अब 'जीवन का लुत्फ' उठाना चाहता हूं और बीसीसीआइ से स्वीकृति मिलने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न टी20 लीग में फ्रीलांस खिलाड़ी के रूप में खेलना चाहता हूं लेकिन अब मैं इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेलूंगा।"

48 दिल्ली ने देखा इतिहास का सबसे गर्म दिन

डिग्री का सितम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 जून।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इतिहास में सोमवार को गरमी ने सारे रेकॉर्ड तोड़ दिए। इस दिन दिल्ली का पारा 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पालम वेधशाला में सोमवार को दिल्ली के इतिहास का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया।

इससे पहले नौ जून, 2014 को पालम में सबसे ज्यादा 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। वहीं पश्चिमी राजस्थान के चुरू में सोमवार को तापमान 50.3 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयाग में पारा 48.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां औसत से नौ डिग्री सेल्सियस की उछाल के साथ बाकी पेज 8 पर

पालम वेधशाला

30 डिग्री सेल्सियस रहा पालम वेधशाला में न्यूनतम तापमान जबकि अधिकतम तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया।

41 फीसद दर्ज किया गया हवा में नमी का स्तर।

सफदरजंग

46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया

27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान

आयानगर

46 और 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया दिल्ली के आया नगर में तापमान। आयानगर में हवा में नमी न के बराबर यानी 21 फीसद रही

चुरू

राजस्थान के चुरू में भी तापमान 50.3 डिग्री से साथ कहर बरपा रहा है। इसी महीने में यह यह लगातार तीसरी बार है जब चुरू का पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में इस दिन पारा 48.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह औसत तापमान में आठ डिग्री की उछाल है।

गुजरात में कल चक्रवाती तूफान की आशंका

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 जून।

पूर्व मध्य और पड़ोसी दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप पर हवा का दवाब बनने से गुजरात तट पर चक्रवाती तूफान की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह तूफान बुधवार रात तक गुजरात तट पर पहुंचेगा। अरब सागर के ऊपर हवा का दबाव सोमवार को 31 किमी की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा। हवा के दबाव के अगले छह घंटों में तेज होकर गहन दवाब में बदलने की आशंका है। अगले 24 घंटों में इसके चक्रवाती तूफान और उसके बाद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है।

पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में सेना का जवान शहीद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 जून।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने सोमवार को संघर्षविराम का उल्लंघन किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। गोलाबारी में एक जवान घायल भी हुआ है। पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी शुरू की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया।

पाकिस्तान ने पुंछ के शाहपुर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई के दौरान चौकी पर तैनात भारत के दो सैनिक घायल हो गए। इनमें से एक की मौत अस्पताल में हो गई। शहीद सैनिक का नाम जावेद इकबाल बताया जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से कई बार संघर्षविराम का उल्लंघन किया जा चुका है। ईद के दिन भी पाकिस्तान ने संघर्षविराम का उल्लंघन किया पुंछ में भारतीय चौकियों पर गोलाबारी की।

पाकिस्तान ने छह जून तक 1170 बार संघर्षविराम का उल्लंघन किया है। 2018 में 1629 बार पाकिस्तान ने ऐसा किया है।

गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2018 को इस बात का जिक्र किया था कि इस साल आतंकी वारदातों की संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुने से ज्यादा थी। जम्मू और कश्मीर में भारतीय सुरक्षाबलों ने इस साल छह जून तक 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है।

शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने किया संघर्षविराम उल्लंघन

कठुआ हत्या व बलात्कार कांड में पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ

तीन को ताउम्र कैद, तीन को पांच साल की जेल

पठानकोट, 10 जून (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में नाबालिग बच्ची से सामूहिक बलात्कार और हत्या के सनसनीखेज मामले में तीन मुख्य आरोपियों को सोमवार को यहां की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए तीन अन्य को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास का मतलब यह कि मुजरिमों को मृत्यु तक जेल में ही रहना पड़ेगा।

अदालत में पीड़िता के परिवार की पैरवी करने वाले मुबीन फारूकी ने बताया कि करीब साल भर तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने मामले में छह को दोषी करार दिया जबकि मुख्य षड्यंत्रकारी सांजी राम के बेटे विशाल जंगोत्रा को 'संदेह का लाभ' देते हुए बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष के वकील संतोख सिंह ने कहा कि जिस देवस्थानम (मंदिर) में अपराध हुआ था वहां की देखभाल करने वाले सांजी राम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और एक अन्य आरोपी परवेश कुमार को रणबीर दंड संहिता बाकी पेज 8 पर

मुख्य षड्यंत्रकारी सांजी राम के बेटे विशाल जंगोत्रा को 'संदेह का लाभ' देते हुए बरी किया।

तीन मुजरिमों को फांसी की सजा दिलाने व विशाल को बरी करने के खिलाफ अपील करेगा अभियोजन

मुख्य षड्यंत्रकारी सांजी राम

ऐसे काम किया जैसे जंगल का कानून हो : जज

पठानकोट, 10 जून (भाषा)।

कठुआ सामूहिक बलात्कार कांड के मुकदमे में अपना फैसला सुनाते हुए सोमवार को न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने कहा कि इस मामले में बच्ची से सामूहिक बलात्कार और हत्या से ऐसा लगता है कि समाज में 'जंगल का कानून' है।

न्यायाधीश ने अपराध की जघन्यता दर्शाने के लिए अपने फैसले की शुरुआत में मिर्जा गालिब के गजल की यह पंक्तियां लिखीं - 'पिन्हा था दाम-इ-सख्त क़रीब आशियां के, उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए (शिकारियों ने इतना कड़ा जाल बाकी पेज 8 पर

अपने मंत्रालयों के लिए पंचवर्षीय योजना बनाएं शीर्ष अधिकारी : मोदी

नई दिल्ली, 10 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के सभी शीर्ष नौकरशाहों से कहा कि यथास्थिति में बदलाव की इच्छा को दर्शाने वाले लोकसभा चुनाव के जनादेश को ध्यान में रखते हुए वे सभी मंत्रालयों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों वाली पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करें। अधिकारियों ने बताया कि सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रालय ऐसे 'प्रभावी फैसलों' का प्रस्ताव रखें जिनके लिए 100 दिन के भीतर मंजूरी ली जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग बेहतर जीवन चाहते हैं और सरकार को उनके जीवन स्तर में सुधार के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों बाकी पेज 8 पर

सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रालय ऐसे 'प्रभावी फैसलों' का प्रस्ताव रखें जिनके लिए 100 दिन के भीतर मंजूरी ली जा सके।

एससीओ में पुतिन से भी मिलेंगे मोदी पेज 8

राज्यपाल बनने की खबर का सुषमा ने किया खंडन

नई दिल्ली, 10 जून (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के ट्वीट से सोमवार को भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए जाने की अटकलें शुरू हो गईं थीं जो बाद में गलत साबित हुईं। सुषमा स्वराज ने इस तरह की खबरों को ट्वीट कर खारिज कर दिया, वहीं हर्षवर्धन ने भी अपने ट्वीट को एक घंटे के भीतर हटा लिया। उनके ट्वीट के करीब एक घंटे बाद सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, 'आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर मेरी नियुक्ति की खबरें सच नहीं हैं।' गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने भी इन खबरों को खारिज कर दिया।

ईडी ने की विमानन घोटाले में प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ

नई दिल्ली, 10 जून (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपए के विमानन घोटाले के तहत एअर इंडिया को हुए नुकसान से जुड़ी धनशोधन की जांच के सिलसिले में पूर्व नागर विमानन मंत्री और राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल से सोमवार को करीब आठ घंटे तक पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

अधिकारियों ने बताया कि पटेल अपराह्न 10 बजे एजंसी के समक्ष पेश हुए और शाम सात बजने से कुछ पहले वहां से निकले। राज्यसभा सदस्य पटेल मंगलवार को फिर से पेश हो सकते हैं।वे इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने वाली पहली नामचीन हस्ती हैं। मामले के जांच अधिकारी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत उनके बयान रिकॉर्ड किए और बताया जा रहा है कि यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे पटेल ने एजंसी के साथ 'सहयोग' किया। इससे पहले ईडी ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल कार्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के 'अच्छे दोस्त' थे।

पश्चिम बंगाल में हिंसा पर हुई खासतौर से चर्चा

गृह मंत्रालय की आंतरिक सुरक्षा पर बैठक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 जून।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर जारी गहमा-गहमी मंगलवार को दिल्ली तक पहुंच गई। बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। त्रिपाठी ने गृह मंत्री को राज्य में राजनीतिक हिंसा और मौजूदा हालात बाकी पेज 8 पर

हिंसा में सिर्फ दो लोग मारे गए : ममता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 जून।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि शनिवार को हुई हिंसा में दो लोग मारे गए थे और पांच लोगों के मारे जाने का भाजपा का दावा झूठा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हिंसा भड़काने की और फर्जी खबरें फैलाकर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल को एक और गुजरात नहीं बनने देगी।

बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बंगाल को भेजे परामर्श को पर्दे के पीछे से खेला जा रहा खेल करार दिया और कहा कि राज्य के मुख्य सचिव इसका जवाब दे चुके बाकी पेज 8 पर

दरअसल

नाटककार, अभिनेता गिरीश कर्नाड का निधन | **स्मृति शेष** | कर्नाटक में तीन दिन का शोक घोषित

जो सही लगा उसे बोलने से कभी नहीं डरे कर्नाड

बंगलुरु, 10 जून (भाषा)।

नाटककार, अभिनेता, निर्देशक एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गिरीश कर्नाड का सोमवार को यहां उनके आवास पर निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। 'तुगलक', 'ययाति', 'नागमंडल' जैसे नाटकों के लेखक कर्नाड ने फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय भी किया। अपने विचारों को खुल कर प्रकट करने के कारण कर्नाड कई बार विवादों में भी घिरे, मगर उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की।

राजनीति की बात करें तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाजपा का एकमात्र चेहरा होने की काफी आलोचना करते थे। कर्नाड रंगमंच के उन 600 कलाकारों में शामिल थे जिन्होंने लोगों से लोकसभा चुनाव में भाजपा और उनके सहयोगियों को सत्ता से बाहर करने की अपील करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कर्नाड ने नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल की, उनके मुसलिमों को लेकर विचार की काफी आलोचना की थी। कर्नाटक सरकार के टीपू जयंती मनाने के निर्णय के बाद उत्पन्न विवाद पर कर्नाड ने कहा था कि 18वीं सदी के शासक अगर मुसलिम की जगह हिंदू होते तो उन्हें भी छत्रपति शिवाजी की तरह सम्मान मिलता। कर्नाड की इस पर खासी आलोचना हुई थी। बहुआयामी व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के धनी कर्नाड के परिवार में पत्नी सरस्वती, बेटे रघु कर्नाड (पत्रकार एवं लेखक) और बेटी राधा हैं। कर्नाड के परिवार से जुड़े सूत्रों ने बताया, 'उन्होंने सुबह करीब आठ बजे आखिरी सांस ली। वह लंबे समय से श्वास संबंधी तकलीफ सहित कई बीमारियों से पीड़ित थे।'

उनकी इच्छानुसार किसी भी रीति-रिवाज का पालन नहीं करने का निर्णय लेते हुए परिवार ने प्रशंसकों और गणमान्य हस्तियों से भी सीधे शमशान पहुंच कर कर्नाड को अंतिम विदाई देने की अपील की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कर्नाड के सम्मान में सोमवार को छुट्टी का एलान करते हुए तीन दिन का शोक भी घोषित बाकी पेज 8 पर

ज्ञानपीठ विजेता को दिया जाएगा राजकीय सम्मान

कर्नाटक में सोमवार को हुआ छुट्टी का एलान

आलोचना भी हुई

कर्नाड ने नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल की, उनके मुसलिमों को लेकर विचार की काफी आलोचना की थी। कर्नाटक सरकार के टीपू जयंती मनाने के निर्णय के बाद उत्पन्न विवाद पर कर्नाड ने कहा था कि 18वीं सदी के शासक अगर मुसलिम की जगह हिंदू होते तो उन्हें भी छत्रपति शिवाजी की तरह सम्मान मिलता। कर्नाड की इस पर खासी आलोचना हुई थी।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Vishal Akhriya S/o Ravi Kumar R/o-H.No-821, Sunlight Colony-2, Hari Nagar Ashram, Jungpura Defence Colony Delhi-14, my name has been wrongly written as Vishal in my Educational documents.Actual name of mine is Vishal Akhriya 0040498689-1

I, Shipra Pradeep Kumar Jha R/o A-503 Amrapali Princely Estate Sector-76,Noida Gautam-Buddha Nagar Uttar Pradesh-201301 would like to change my name to Shipra Jha for all future purposes 0040498741-7

I, Shilpa D/O Shri. Madan Lal Gulati R/O D-16, H.NO.28, Sector-7, Rohini Delhi-110085 have changed my name from Shilpa to Shilpa Gulati for all purposes. 0040498709-1

I, Sandip Bahl S/o Late Sh Romesh Bahl R/o 113 FF Block -5 Eros Garden Charmwood Village Faridabad Haryana-121009, have changed my minor daughter name from Vanya Bahl to Vaanya Bahl permanently. 0040498741-8

I,Pawan Kumar Gupta,s/o Hukam Chand r/o-E-11 1st floor Guru Nanak Road Adarsh Nagar,Delhi-110033 have changed name Pawan Gupta for future 0040498741-4

I, Pankaj Sambher S/o Shri Chote Lal Sambher R/o Flat.No.37, Shree Radha Apartment Sector-9, Plot.No.3, Dwarka New Delhi-110077, have changed my name from Pankaj Sambher to Punkaj Sambher for all future purposes. 0040498711-2

I,Hans Raj Dogra S/O Mangat Ram R/O-RZ/K-15A Gandhi-market West-sagarpur, New Delhi-110046.have changed my name from Hans Raj to Hans Raj Dogra for all future purpose. 0040498709-2

I,Aisha Ketkar D/O Mr. S. M. Momin R/O-15,Sunflower, Garden Estate,K.J. Mehta road, Nasik Road-422101.have changed my name to Aayushi Ketkar. 0040498741-5

I, Aditi Pradeep Kumar Jha R/o A-503 Amrapali Princely Estate Sector-76, Noida Gautam-Buddha Nagar Uttar Pradesh-201301 would like to change my name to Aditi Jha for all future purposes. 0040498741-6

I, Yograj Singh Rawal S/o Ubhay Raj Singh Rawal R/o 76, Gautampuri Dadri Gautam Buddha Nagar-203207 have changed my name to Yograj Singh. 0070659669-1

I, Yogendra Singh S/o Attar Singh R/o H.no-1908 B-block, Near Maruti Kunj , Bhondsi Gurgaon-122102 have changed my name to Yogender Singh. 0070659673-1

I, Waryam Singh Kochhar S/o Santokh Singh Kochhar R/o-Gurudwara Satsang-Sabha Gali No.2 Srinagar Shakur-Basti Delhi-110034. changed my name to Waryam Singh. 0040498735-9

I, Vandna Gaur W/O Dinesh Kumar R/O 610a, Pana Udyan, Narela Delhi-40 Changed My Name To Vandana Gaur. 0040498760-3

I, Tarun Kumar S/O Davinder Kumar Adlakha R/O Bg-3/1b, Paschim Vihar Delhi-63 Changed My Name To Tarun Adlakha. 0040498760-2

I, Taniya Makin D/O Charanjit Singh, R/O 633, Block Double Storey, New Rajender-Nagar, N. Delhi-110060,Changed My Name To Taniya Kaur Makin. 0040498725-2

I, Sushama Devi W/o Sultan Singh R/o H. No.481, VPO-Nangla Par, Distt.-Panipat, Haryana-132103, have changed my name to Sushma Devi. 0040498735-4

I, Vikas S/O Raj Kamal R/O-D-106, Narwana Apptts Ip Extn Patparganj Delhi - 92, Changed My Name To Vikas Aggarwal. 0040498760-5

I, Surinder Kaur Budhiraja W/o Inderjeet Singh R/o 16A/6, W.E.A. Karol Bagh, N. Delhi-15 have changed my name to Surinder Kaur. 0040498746-3

I, Suresh Kumar S/o Harbir Singh R/o-R-23, 3rd Floor, East Vinod Nagar, Delhi-110091, inform that my son name has been wrongly-written as Vansh in Medclaim(Health Card),Policy No.361500501710000740.But my son's actual name is Gevansh which may be amended accordingly. 0040498751-3

I, Archana Rani W/o Sanjay Khurana R/o 1175-A, Maruti Vihar Gurgaon-122002 have changed my name to Archana Khurana. 0070659701-1

I Narender Kumar Arora S/o Swaran Dass Arora R/o 43, New Rajdhani Enclave, Delhi-110092 have changed my name as Narinder Kumar to Narender Kumar Arora for all purposes. 0040498744-1

I Rajan S/o Late Shri.Ram Krishan Kataria R/O-411, Gali No.4, GuruRamdas-Nagar Laxmi-Nagar Delhi-110092, Have Changed My Name Rajan To Rajan Kataria For Future All Purpose. 0040498709-5

व्यक्तिगत

I, Sunil S/o Mohan Lal R/o-H-IInd/188, First-Floor, Madangir, New Delhi-62. have changed my name to Sunil Mohan for all purposes. 0040498746-9

I, Sumit S/o late Ramesh Kumar Sonkar R/o C-479, Madipur J.J.Colony New Delhi-63, changed my name to Sumit Kumar Sonkar. 0040498751-1

I, Suman Devi, W/O Ashwini Kumar Gupta,House No.K-21, Sarita-Vihar, New Delhi-110076. have changed my name to Gupta Suman Ramchandra for all purposes. 0040498735-7

I, Subhash Maheshwari S/o Sh. Shiv Narayan Maheshwari R/o of House No.535, First Floor, Sector-10A, Gurugram, Haryana, have changed my name from Subhash Chandra Maheshwari to Subhash Maheshwari for all purposes in future. 0040498705-1

I, Simran D/o Pawan Kohli R/o-D-175, Nawada Housing Complex, Kakrola Mode, Uttamnagar, N. Delhi-59, changed my name to Bhoomi Kohli. 0040498746-4

I, Shivani Kumari, W/o Vishal Kumar Pandey, D/o Satish Chandra Pandey R/o-RZ-44, Second-Floor, Bhawani-Kunj, Opp.Sec-D2, VasantKunj, New Delhi-110070. have changed my name to Shivani Pandey for all purposes. 0040498735-10

I, Shadab Ahmad S/O Afzal Ahmad R/O-F-203/7, 4th Floor, Abulfazal-Enclave-2,, Shaheen -Bagh, N. Delhi-110025. Changed My Name To Shadab Ahmad Siddiqui. 0040498725-7

I, Sawneet Taluja W/O Gagan Kumar R/O-A-84, 2nd Floor, Saraswati-Vihar Pitampura, North/West Delhi-110034. Have Change My Name To Sawneet Kaur. 0040498725-8

I, Savya Sachi S/o Surendar Singh Negi (S.S Negi) R/o H-3/41 Sector-11 Rohini Delhi-110085 changed my name to Savyasachi Negi. 0040498725-10

I, Satya Goel W/o Sh.Pradeep Garg D/o Sh.Hari Ram Goel R/o E-5, ITI, Pusa Campus, New Delhi, have changed my name to Satya Vati Garg for all purposes. 0040498592-1

I, Satnam Singh Bhamrah S/o Surinder Singh R/o F-265, Mansarover Garden, New Delhi-110015 have changed my name to Satnam Singh. 0040498746-2

I, Sajiya Jasmin W/o Safdar Jamad R/o Flat-304, Tower-A8, Nirala Aspire GH03 Sector-16, Greater Noida West -201306 Have Changed My Name to Shazia Jashmin. 0070659679-1

I, Sagar S/o Ravinder Shokeen R/o-Pole No.43E, Kaba-Pana, Near-Shiv-Mandir, VPO: Chhawla, New Delhi-110071. have changed my name to Sagar Shokeen. 0040498735-5

I, Riya W/O, Amit Kataria R/o H.no. 891, Sector 9, Gurugram ,122001, Haryana have changed my name to Riya Grover Kataria for all purposes. 0040498749-1

I, Renu Bala W/O Sanjay Kumar R/O C-4/122, Sector-6, Rohini, Delhi-110085. Have Changed My Name To Renu. 0040498746-8

I, Rhea Pradeep Katyal D/O, Pradeep Katyal R/o Villa No.199, Tatvam Villas, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon 122018, have changed my name to Rhea Katyal for all purposes. 0040498757-1

I, Ravitt Kumar Yadav s/o Krishan Pal Yadav r/o 5565/4, New Chandrawal, Kamla Nagar, Delhi-110007, have changed my name to RAVITT DARE. I am changing only my name and not my religion. 0040498745-1

I, Ranjana Singh W/o Kameshwar Singh R/o H.No.-35, Sahipur-Village, Shalimar-Bagh, Delhi-110088 have changed my name from Chunni Devi to Ranjana Singh for all purposes. 0040498751-2

I, Rameshri Devi W/o Late Shri Hemraj resident of H. No. 244, Kuan Mohalla , Village-Tughlakabad, New Delhi-44, have changed my name from Rameshri Devi to Rameshwari Devi for all future purpose. 0040498590-1

I, Raju S/o Gopi Ram Lodhiwal R/o 36-37, Pocket-D-12 Sector-8 Rohini Delhi-85 have changed my name to Raju Lodhiwal. 0040498725-9

I, Rajni Devi W/o Suresh Kumar R/o-R-23, 3rd Floor,East Vinod Nagar, Delhi-110091, inform that my name hasbeen wrongly written as Vandana in Medclaim(Health Card), Policy No.361500501710000740.But my actual name is Rajni Devi which may be amended accordingly. 0040498751-4

I Ashish Kumar Sharma S/O Ram Kishore Sharma R/O-E-134 Om-Vihar-Ext, Uttam-Nagar West Delhi-110059.Have Changed My Name To Ashish Sharma, For All Purposes. 0040498709-6

I Pawan Kumar S/o Jai Singh R/o-F-68, Katwaria-Sarai, New Delhi-110016. have changed my minor son Name from Mayank to Mayank Singh. 0040498735-3

I Harish Chand Single S/o Shyam Lal Singal R/o.62, Ahinsa-Vihar Apartments, Sector-9, Rohini, N.D-85, have changed my name to Harish Chand Singhal. 0040498735-2

I, Raj Kumar s/o Suraj Bhan r/o 108, Tarun Enclave, Pitam pura, Delhi-110034, have changed my name to Raj Kumar Garg. 0040498698-1

I, Raj Kumar S/o Ran Singh R/o 665/17, Shanti Kunj, Jawahar Colony Faridabad - 121005 Have Changed My Name to Raj Kumar Rohilla. 0070659678-1

I, Raj Kumar S/o Ram Parshad R/o-RU-32, Pitampura, Delhi-110034. changed my name to Raj Kumar Malhotra for all purposes. 0040498735-6

I, Raj Kumar S/o Arun Singh R/o H.No.-80-B, Nyay Khand-3, Indirapuram, Uttar Pradesh-201014, have changed my name to Raj Singh. 0040498753-1

I, Praveen S/O Kishori Lal R/O-A-3/92-93, Near Metro Walk Mall, Sector-11, Rohini Delhi - 85 Changed My Name To Praveen Garg. 0040498760-4

I, Praveen Kumar Saini S/o Bhoop Singh Saini R/o H.no-698, Saini Vihar Gali no-3 Mundka Delhi-110041 have changed my name to Praveen. 0070659683-1

I, Pratibha R/o House No-54, Ward No.10, Bard Mohalla, Old Faridabad have changed my name to Pratibha Sharma for all purposes. 0070659677-1

I, Pranav Kumar Jha S/o Sh Dinesh Chandra Jha R/o 58, South Avenue, New Delhi-110011, have changed my name to Pranav Jha for all future purposes. 0040498743-1

I, Pradeep Kumar, S/O Satya Prakash, R/O B-55-C, South Ganesh Nagar, Delhi-110092, Changed My Name To Pradeep Gupta. 0040498725-3

I, Pooran Singh S/o Shyam Singh R/o S-170/23, Jharera Village,Delhi Cantt., New Delhi-10 have changed to Arun Kumar for all Purposes 0040498741-10

I, Pooanm W/o Prem Pal Kapila R/o-5/59 Amba Bagh Kishan Ganj Delhi-110007.changed my name to Poonam Kapila for all purposes. 0040498760-11

I, Pinky D/O, Ram Khelavan R/o Flat No.5 Plot No.1C, M.B.R. Enclave Village Pochanpur Dwarka Sector 23, New Delhi-110077, have changed my name to Pinky Khelavan. 0040498750-1

I, Naresh S/o Narain Dass R/o 169 Akash Kunj Apartment Sector-9 Rohini Delhi-85 changed my name to Naresh Kumar Sachdeva. 0040498709-9

I, NISHA KASHYAP, Plot no-59-60 3rd floor Pkt-7 Sec-24 Rohini Delhi-110085, have changed my name TO NISHA SINGH. 0040498709-4

I, Mongia Seema Rani W/o Naresh Kumar Sachdeva R/o-169 Akash Kunj Apartment Sector-9, Rohini Delhi-85.changed my name to Seema Rani. 0040498709-10

I, Mohit Singh Solaki S/o Ashok Kumar R/o 33/87, Block-33, Trilok puri Delhi-110091 have changed my name to Mohit Singh. 0070659689-1

I, Meenakshi w/o Mr. Rajendra Singh R/o 496A/9, Shivpuri, opp Sector-7, Gurugram,-122001, Haryana, have Changed my name to Meenakshi Bisht in future for all purposes. 0040498701-1

I, Maninder Kaur Sawhney w/o Balbir Singh Sawhney r/o SF, 32-A, North Avenue Road, Punjabi Bagh West, Delhi-110026, have changed my name to MANINDER KAUR SAHNI. 0040498706-1

I, Km Shweta D/O Pan Singh R/O-209, Humayunpur Village, Safdarjung Enclave, N. Delhi-110029, Changed My Name To Shweta Chauhan. 0040498725-5

I, Khushi D/o Lal Chand Khanna R/o RZ-CD-17, Gali No.13, Mahavir Enclave, N.Delhi-110045 have changed my name to Khushi Khanna. 0040498746-1

I, Kamal Aggarwal/Kamal Kumar S/o Jai Kishan Dass R/O-A-22, Naraina-Vihar, Kair, New Delhi-110028.have changed my name to Kamal Kishore permanently. 0040498760-9

I, Jogender Pal Singh S/o Harbhajan Singh R/O H.No-3140, Punjabi-Basti, Subzi Mandi, Delhi-110007, Changed my name to Joginder Pal Singh. 0040498709-8

I, Jatinder Singh Joshi R/o W1C-014, Wellington Estate DLF Phase-5 Gurgaon-122009 Have Changed My Minor Son's Name From Shivam Joshi to Shivamh Singh Joshi. 0070659674-1

I, Jasmeet Singh S/o Manmohan Singh Tuteja R/o-CF-257, Ansal East-End, Tronica-City, Ghaziabad changed my minor son's name Asav Tuteja to Avin Singh. 0040498746-5

I Hemant Kathuria S/o Om Prakash Kathuria R/o H.No.2B-61, NIT-Faridabad, HR inform that with reference to passport No.K8852475 name of my minor daughter is Charvy but her correct name is Charvy Kathuria & Charvy and Charvy Kathuria both are same person. 0040498746-10

I Pushp Raj Singh S/O Brij Raj Singh, H.No-R5/ 107, Rajnagar, Ghaziabad, U.P.201001,Have Changed My Minor Son Name Adityaraj Singh To Aditya Raj Singh for all future purpose. 0040498735-8

व्यक्तिगत

मैं, कमलेश शर्मा पत्नी पं. गोपाल प्रसाद शास्त्री पता ए-28, गली नं. 3 जगत पुरी विस्तार, दिल्ली-110093, पुराना पताः ए-298, गली नं. 4, जगत पुरी, शाहदरा, दिल्ली, मैं सूचित करना चाहती हूँ कि कमलेश शर्मा व कमलेश दोनों एक व्यक्ति के नाम हैं जोकि मेरे हैं।

I, Jasica Kaur Anand D/O Kanwarjit Singh Anand R/O-G-42, Lajpat Nagar-2, N. Delhi-110024, Changed My Name To Jesica Kaur Anand. 0040498760-1

I, Inderpal Singh Bhomrah S/O Gurbachan Singh R/O-2113/164, Ganeshpura-B,Trinagar, Delhi-110035. Changed my Child Name Jogan Preet Singh Bhomrah To Jugan Preet Singh Bhomrah. 0040498725-1

I, Harjit Singh Bhogal S/O Lt. Hukum Singh Hno-3 Sector-18a Chandigarh. Have Remove Surname To Harjit Singh For All. 0040498709-7

I, Harjeet Singh S/o Mohan Singh R/o-33 & 34, Upper G/Floor Front-Side Block-C, Subhash-Park, Uttam-Nagar, N. Delhi-110059.changed my name to Harjeet Singh Johal. 0040498746-6

I, Gourav S/o Narain Dass R/o 32/11 , Upper Ground Floor East Patel Nagar Delhi -110008 have changed my name to Gourav Panwar. 0070659691-1

I, Geeta Rani W/o Sh. Sandeep Arora R/o 274, Vidya Vihar, West Enclave, Pitampura, Delhi-34, has changed my name to Geeta Arora after marriage for all purpose. That Geeta Rani & Geeta Arora is the one and same person. 0040498561-1

I, Gargi Juneja D/o Biswanath Dutta, R/o-BU-74, Pitampura, Delhi-34,have changed my Name to Gargi Dutta for all purposes. 0040498741-1

I, Pinki W/o Siddhartha Jain R/o B-4/1, 1st Floor Sector-8 Rohini Delhi-110085 have changed my name to Priyal Jain. 0070659680-1

I, Dinesh Kumar, S/o Shri. Kishan Sharma, R/o-773/5, Patel Nagar, Gurgaon (Haryana)-122001, have changed my name to Dinesh Sharma. 0040498760-10

I, Bano W/O Mohd Sirajul R/O S-265/117, Indira Gandhi Camp-1, Taimoor Nagar, N. Delhi-110065. Changed My Name To Bano Begum. 0040498725-6

I, Balbir Singh Sawhney s/o Sohan Singh Sawheny r/o SF, 32-A, North Avenue Road, Punjabi Bagh West, Delhi-110026, have changed my name to BALBIR SINGH SAHNI. 0040498706-2

I, Bablu Chand Tikadhar S/o Moti Lal Tikadhar R/o-R-1/15, Mohan-Garden Uttam-Nagar Delhi-110059,Have Changed my name to Bablu Tikadhar for all future Purposes. 0040498709-3

I, Babita Dabas W/o Dinesh Kumar R/o C-168, Maharana Partap Enclave Pitampura Delhi-110034 have changed my name to Babita. 0070659696-1

I, Asha W/o Alexander R/o-685, Sector-5, RK. Puram, Delhi-110022. have changed my name to Asha Jaiswal. 0040498746-7

I, Aradhna Gauba W/O, Kapil Dev Kumar R/o D-50, Second Floor, Ramprastha Colony, Ghaziabad, UP-201011, have changed my name to Aradhana Kumar. 0040498759-1

I, Anita Kumari W/O Jagdish Prasad R/O F-175, Budh Nagar, Inderpuri, N. Delhi-110012, Changed My Name To Neeta. 0040498725-4

I Vinod kumar S/o Chaman Lal, R/o-22&23, old arjun-nagar, krishna-nagar, Delhi-110051. have changed my name to Vinod Kumar Khanna. 0040498735-1

I Sushil Jindal S/o Sanjiv Kumar R/o A-1012, Block-A, Part-1 Palam Extn Delhi-110075 Have ChangedMy Name to Sanjna Goyal. 0070659675-1

I Ritu D/o Nikka Ram R/o WZ-183 Second Floor Mukherjee Park Tilak-Nagar, New Delhi-110018.have changed my name to Ritu Sharma. 0040498760-7

I Ritika D/o Puttan Singh Sachan R/o House.No-28A F-Block Phase-1 Qutub-Vihar, New Delhi-110071 have changed my name to Ritika Sachan. 0040498760-6

I Rakesh Dang,S/o Banarsi Lal Dang R/o-E-41A Kirti-Nagar,New Delhi-110015. inform that Rakesh Kumar and Rakesh Dang both names are one and same person. 0040498760-8

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

खोया+पाया

I, Jyotsna Arora, w/o Chander Mohan R/o-275-A, Ground-Floor, Tagore-Park Delhi-110009, am the absolute woner of Property. has lost my Original-document i.e. Registry and related paper. 0040498751-7

I, Ragini D/o Jasbir Singh R/o H. No.A-211, Friends-Enclave Nangloi Delhi-86, lost my original-marksheet class-10th Roll No.8204981 year-2017 From-CBSE Delhi. 0040498751-5

I, Rahul Dhaka s/o sumer singh R/o.M.b-94/a st.no-5. mashr-block shakarpur Delhi-92. have lost my original-certificate class-10th year-2017 rollno-8157338 c.b.s.e. Delhi 0040498751-6

I, Rakesh Mittal S/o Sh. M.L. Gupta R/o 38-C, Pocket A2, Kondli Gharoli Mayur Vihar Phase-III Delhi-96, have lost/misplaced the original electric & water NOC issued by DDA in respect of my property bearing no.38-C Pocket A2, Kondli Gharoli Mayur Vihar Phase-III, Delhi-96 If found contact at -9958095005. 0040498711-1

I, Shivani chaudhary, D/o Anand prakash R/o-500 sr. sec. school karala village mohammadpur N.D-81. have lost my original-certificate class-10th year-2017 Rollno-8183671 c.b.s.e. Delhi. 0040498751-8

I, Vimla Arora D/o Jeevan Dass R/o H.no-1559 kewal-bazar rewari haryana-123401. have lost my original-certificate class-10th year-1978 Rollno-253049 c.b.s.e. Ajmer 0040498751-10

I, lost following Original Receipts of Flat No. CGC085 issued by DLF (1) CLG/CRB/00278/0112 (2) CLG/CRB/00066/0712 (3) CLG/CRB/00128/0513 (4)CLG/CRB/00026/1213 (5) CLGCRB0419/00030. Finder may inform to Rajendra Aggarwal s/o Mr. Tulsi Prasad, 23/5-B, Shakti Nagar, Delhi-110007. 0040498691-1

I, Ashita bansal, D/o Suresh bansal R/o-F-7/31 3rd-floor, sec-16 Rohini Delhi-89. have lost my original-certificate class-10th year-2017 Rollno-8187804 c.b.s.e. Delhi. 0040498751-9

I, Aditya Bisaria S/o Arvind Bisaria have lost 1st semester B.Tech marksheet, Roll no.1273931001 issued by Mtu Noida. Finder cont: 9718487279. 0040498739-1

LOST & FOUND

It is notified for the information that my original/Duplicate Qualifying Examination certificate/ Marksheet of Main/ Compartment, Secondary, Senior Secondary Examination of Year 2016 and Roll No. 8197597 (10th Class Marksheet) & Year 2018 and Roll No. 9157412 (12th Class Marksheet) & 12th Class Certificate issued by CBSE has been actually lost/destroyed/ mutilated Name of the candidate KATYAYANI SINGH D/O SHARAD KUMAR BISHNOI R/O 236, FF, PALMCITY APARTMENT, PKT-2, SECTOR-23, ROHINI, DELHI-110085.

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instruction from and on behalf of "My client **Smt. Harbans Kaur** W/o Late S. Gurcharan Singh R/o RZ-113A, Nursing Garden, Gali No.7, Khyala, New Delhi-110018, has disowned her elder son **Gurbachan Singh** S/o Late S. Gurcharan Singh and her daughter-in-law **Harjeet Kaur** W/o Gurbachan Singh and their legal heirs, R/o (unknown) from all her moveable, immovable assets & ceased all relations with them. Anybody dealing with them will do so at his/her/their own risks. My client will not be responsible for their any act, transaction in any manner.
R.B. Singh (Advocate)
Ch. No.75, W.W., Tis Hazari Courts, Delhi.

PUBLIC NOTICE

I, Rajendra Mani Tripathi Lost My Surviving Member Certificate issued by Concerned SDM Showing the name of Prem Sager Jolly. Mr Ashwani Jolly, Mr Vinod Jolly, Mrs Sunita Deora and Mr Deepak Jolly are the Surviving Member of Mrs Shanti Devi. And also Lost Surviving Nlember Certificate issued By Concerned SDM Showing the Name Of Mrs Meena Jolly Mr Vivek Jolly, Mrs Ritika Kakkar, And Mr Vishal Jolly are the Surviving Member Of Mr. Deepak Jolly. Iam owner of the property no WZ 283/207, UGF, Back Side Portion Gali No. 7, Vishnu Garden New Delhi 110018 any person having any type of claim/right/title/interest over the said property may inform with 15 days at above address in written.
RITU VERMA (ADVOCATE)
B-25, GUPTA PALACE
A-2/42, RAJOURI GARDEN,
N. DELHI -110027

PUBLIC NOTICE

My client Indostar Capital Finance Ltd., Connaught Place, New Delhi is in the process of advancing a loan to Mr. Sumeet Chopra, against mortgage of Entire Ground Floor and Third Floor of Property bearing No. E-15, (300.66 Sq. Yds.), Village Basai Darapur, Man Sarover Garden, New Delhi. Mr. Sumeet Chopra has represented that he is the absolute owner of the said property by virtue of Gift Deed dated 15.05.2012 bearing Doc. No. 13024. He has further represented that Original Sale Deed dated 19.08.1968 bearing Doc. No. 5084 & Original Sale Deed dated 23.05.1970 bearing Doc. No. 4076 executed in respect of the said property have been misplaced and have not been found / traced till date. If anybody, person, body corporate, bank has any right, lien or claim whatsoever on the said Property then he/she/it may contact the undersigned with documentary proof of claim within 7 days of publication of this notice, otherwise it shall be deemed that either there are no claims or the same have been waived off and my client shall proceed to advance the loan by mortgaging of the said property.
Prachi Narang, Advocate
Narang & Associates
D-28, Jangpura Extension,
New Delhi-110014.

सार्वजनिक सूचना

मैं रमेश चन्द बत्रा पुत्र स्व० कृष्ण लाल बत्रा निवासी 26, अर्जुन नगर, गाजियाबाद सूचित करता हूँ कि प्लाट नं० 46, मकान नं० 26, अर्जुन नगर, गाजियाबाद का मालिक व काबिज हूँ यह मकान मुझे अपने पिताजी की वसीयत के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह वसीयत दिनांक 07.10.1994 को पंजीकृत हुई है जो आज तक कायम है। इस पर किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति फोन न. 9989431485 व ऊपर दिये पते पर दाखिल कर सकते हैं।
(रमेश चन्द बत्रा)
स्थानः गाजियाबाद पताः मकान नं० 26,
दिनांकः 08.06.2019 अर्जुन नगर, गाजियाबाद

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल अनीता पत्नी प्रमोद कुमार और प्रमोद कुमार पुत्र राम गोपाल, निवासी 147, ए-ब्लॉक, गली नं-11, स्वरुप विहार, दिल्ली-110084, ने अपने पुत्र अंकित को अपनी चल-अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है। कोई भी व्यक्ति इससे किसी भी प्रकार का लेन-देन करता है, तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
S. S. AGGARWAL (ADVOCATE)
87-C/1, Krishna Nagar Lane no.4, Safdarjung Enclave, Delhi-110029

सार्वजनिक सूचना

मैं रमेश चन्द बत्रा पुत्र स्व० कृष्ण लाल बत्रा निवासी 26, अर्जुन नगर, गाजियाबाद सूचित करता हूँ कि प्लाट नं० 46, मकान नं० 26, अर्जुन नगर, गाजियाबाद का मालिक व काबिज हूँ यह मकान मुझे अपने पिताजी की वसीयत के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह वसीयत दिनांक 07.10.1994 को पंजीकृत हुई है जो आज तक कायम है। इस पर किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति फोन न. 9989431485 व ऊपर दिये पते पर दाखिल कर सकते हैं।
(रमेश चन्द बत्रा)
स्थानः गाजियाबाद पताः मकान नं० 26,
दिनांकः 08.06.2019 अर्जुन नगर, गाजियाबाद

PUBLIC NOTICE

Under Instructions from and on behalf of my client, General Public is informed that **Smt. Asha Soni** W/o Ram Gopal Verma R/o WZ-485/12, Basai Darapur, Post Office, Ramesh Nagar, New Delhi-110015 has debarred her son **Paras Soni** and his wife **Moni Soni**, from all her immovable properties & movable assets, as they have become unfaithful, dishonest, disobedient & bad behavior towards my client. My client & other family members will not be responsible for their any kind of liabilities, dealings, acts, criminal proceedings, obligations, financial transactions, claims etc. My client has severed all relations with them. **J.C. Trikha** (Advocate) M-4, C.S., Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE

Be known to all by this public notice that my client **Sheela Devi** W/o Late Karambir R/o H.No.38, Village Peera Garhi, Delhi-87, has served all kind of her relationship & movable and immovable property and disowned her real daughter **Nisha** become dishonest, disobedient & abusing, quarreling and extending threats to kill to me my son and lodge false complaints, & suicide etc. Anybody dealing with her in any manner shall do the same on his own risk & my client & son shall not be responsible for act.
Dharmvir Singh (Advocate)
Ch.122, C.W., Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE

Public Notice is given to the general public that my clients namely Shri Jameshed Ahmad S/o Late Abdul Wahab and Smt. Shehnaz Parveen W/o Shri Jameshed Ahmad both R/o H.No.20, Gali Kabaliyan, Jama Masjid, Delhi-6 have severed their all relations with their son namely Faizan Ahmad and his wife namely Anam W/o Faizan Ahmad D/o Abdul Naeed, and have also Directed them not to enter their house bearing No.20, Gali Kababiyan, Jama Masjid, Delhi-6, If they try to illegally trespass the above property necessary police action as per law shall be taken against them.
M.N. KHAN ADVOCATE
Ch. No.618, Western Wing, Tis Hazari Court Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed to the public at large my client Prakash Chand S/o. Late Sh. Debu Ram R/o. House No. D-111, Madipur Colony, New Delhi -63, (is further reaffirmed and correct the declaration published on 23.12.2009 in daily Hindi News Paper Rashtriya Sahara) and He further declare that he has disowned and debarred his Son, daughter in Law Madhu Rani and grand son Devesh from his all movable and immovable properties/assets and breaks all kinds of relation with them, due to their cruel, misbehavior and criminal conduct. They are not under the control of my client, my client shall not be responsible for their any act or conduct. Whoever deals with them, deals at their own cost and consequences.
D.C. AKARNIYA-ADVOCATE
Ch. No.: B-22, BGS Block,
Tis Hazari Courts, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

It is to notify that Sale Deed of Shop, G F , 396/1-B, Khari Baoli, Delhi-110006, measuring 12 sq. yards approx, and registered with the Sub Registrar, Kashmere Gate, Delhi, Vide Rgn. No. 7943 in Addl Book No. 1, Volumn No. 6607 on pages 152 to 159 on 5.10.1994, jointly in the name Nirmala Devi and Sh. Ramesh Chand, has been lost and is not traceable. The finders please inform to Nirmala Devi W/O Late Sh. Ramesh Chand at House No. F-196-B Laxmi Nagar, Shastri Gali, Mangal Bazar, New Delhi or to the undersigned.
Sd/-
(Ravinder Kumar Gupta)
Advocate
B-22, B.G.S.Block,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054
9999802509, 9313508678
ravinder adv@yahoo.com.

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed to the public at large my client Om Prakash S/o. Late Sh. Kanahiya Lal R/o. House No. E-66, Tagore Garden Ext. New Delhi -27, has disowned and debarred His Son Saurabh Kumar, daughter in Law Neha Kumar and Grand Son Aarav from his all movable and immovable properties/ assets and breaks all kind of relation with them, due to their cruel, Misbehavior and criminal conduct. They are not under the control of my client, My client shall not be responsible for their any act or conduct. Whoever deals with them, deals at their own cost and consequences.
ASIF AHMED SIDDIQUI-ADVOCATE
C-24B, CL JOSEPH BLOCK,
TIS HAZARI COURTS, DELHI-54

COURT NOTICE

(U/o 5 Rule 20 CPC)
In the court of Jagjit Singh
Addl. Principal Judge, Family Court , Faridabad
CNR No. HRFB01-008920-2018, Next Date : 08.07.2019
Kishan Gupta aged about 28 years son of Parmeshwar Deen Gupta, Resident of House no. 205, Sanjay Colony, Mathura Road, Ballabgarh, District Faridabad
Vs.
Sakshi Gupta wife of Kishan Gupta, daughter of Ram Kishor Gupta, resident of Station Road, Near Paan Dariba, Gramin Bank of Aryavarat, Sandila, Tehsil Sandila, District Hardoi (UP).
Notice to : Sakshi Gupta
Father : - Shri Ram Kishore Gupta, Station road near Paan Dariba Gramin Bank of Aryavarat Sandila Tehsil Sandila Disti Hardoi UP
In above titles case, the respondent could not be served. It is ordered that respondent should appear in person or through counsel on 08-07-2019 at 10:00 a.m.
For more details logon to http://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Faridabad
Addl. Principal Judge, Family Court Faridabad

हाई कोर्ट ने 60 वेबसाइटों और रेडियो स्टेशनों को क्रिकेट विश्वकप के प्रसारण से रोका

नई दिल्ली, 10 जून (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 60 वेबसाइटों और कुछ रेडियो स्टेशनों को क्रिकेट विश्व कप 2019 के प्रसारण से रोक दिया है। न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने यह निर्देश चैनल 2 ग्रुप कॉरपोरेशन की याचिका पर दिया, जिसमें 30 मई से 14 जुलाई तक आयोजित हो रहे विश्व कप के ऑडियो प्रसारण के कॉपीराइट का दावा किया।

अदालत ने वेबसाइटों और रेडियो चैनलों, इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इन सभी को चार सितंबर तक अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में अब चार सितंबर को आगे सुनवाई होगी।

अपने हालिया अंतरिम आदेश में, न्यायाधीश ने गूगल जैसे सर्च इंजनों तथा एअरटेल और वोडाफोन जैसे इंटरनेट, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उल्लंघन करने वाली उन वेबसाइटों से लिंक हटाने या इसे बंद करने का निर्देश दिया, जहां क्रिकेट विश्वकप का ऑडियो कवरेज अनाधिकृत रूप से लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

अदालत का कहना था कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता 'चैनल 2 ग्रुप' के हित में एकपक्षीय आदेश जारी करना जरूरी है। याचिकाकर्ता ने विश्वकप 2019 के आयोजक आइसीसी बिजनेस कॉरपोरेशन के साथ ऑडियो अधिकार समझौता किया था।

PUBLIC NOTICE

My client Kailash Prasad S/o late Shri Bhagwan Prasad and Laxmi Devi W/o Kailash Prasad R/o S-610, Nehru Enclave, Shakarpur, Delhi-110092 have debarred their son Sonu Prashad his wife Rinki and their child from all their movable/immovable properties and severed their relations from them due to their bad behaviour and character.
Sd/-
Bikram Chand Sharma
Advocate
D-32, 1st Floor Saraswati Hall,
Karkardooma Courts Delhi-110032

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients Gulshan Chawla son of Bhagwan Dass & smt. Neelam Rani wife of Shri Gulshan Kumar both residents of R-171, R-Block, Vani Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have disowned/debarred their son namely Sandeep Chawla and his wife Deepika from their movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and have severed there relations with them for all intents and purposes with immediate effect. Anybody he/they deals with them do so at his/her/their own risk and responsibility.
Ashok Kumar Tyagi & Associates
Advocates
A-3, Main Najafgarh Road,
Uttam Nagar, New Delhi-110059

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERY

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

देश में पहली बार

MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

नये उद्योग लगाना बेहद आसान

राज्य के किसी भी कानून में किसी प्रकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं

3 वर्षों तक राज्य के सभी विभागों के निरीक्षण से मुक्ति

पोर्टल पर आवेदन करते ही "Acknowledgement Certificate"

श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

के कर कमलों द्वारा वेब पोर्टल का शुभारंभ

https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in

गरिमामयी उपस्थिति

श्री परसादी लाल
माननीय मंत्री, उद्योग एवं राजकीय उपक्रम, राजस्थान सरकार

दिनांक: 12 जून, 2019, प्रात: 11.00 बजे
स्थान: मुख्यमंत्री कार्यालय

सरकार का हाथ - उद्यमी के साथ

राजस्थान संवाद

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार

नई दिल्ली

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	45.6 डि.से.	45.6 डि.से.	45.8 डि.से.	46.0 डि.से.
न्यूनतम	27.2 डि.से.	27.2 डि.से.	27.7 डि.से.	27.7 डि.से.

अनुबंधित कर्मियों को समय से मिले वेतन : गोपाल राय

- जीटीबी अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे श्रम मंत्री, सुनवाई से जाना हाल
- समाज कल्याण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की मंत्री ने

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 जून।

दिल्ली के सरकारी विभागों में खास अनुबंधों के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को अब वक्त पर वेतन मिलेगा। सोमवार को दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे हर माह के पहले हफ्ते में कर्मचारियों के लिए वेतन का भुगतान तय करें। गोपाल राय सोमवार को पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे थे, जहां कर्मचारियों ने उन्हें वक्त पर वेतन नहीं मिलने की शिकायत की थी।

श्रम मंत्री ने अस्पताल में ठेके के माध्यम से लगे कर्मचारियों से बातचीत की। इन कर्मचारियों में नर्सिंग अर्दली, सुरक्षा कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य कर्मचारी शामिल थे। श्रम मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों का निपटारा तेजी से किया जाए। उन्होंने अस्पताल की पीडब्लूडी यूनिट में काम करने वाली एजंसी के कर्मचारियों को फिर से बहाल करने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी को सेवा से हटाने से पहले उससे संबंधित फाइल को श्रम विभाग के पास भेजा

कर्मचारियों से मिलते गोपाल राय

जाए और यह भी बताया जाए कि किन कारणों से कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। इसके अलावा श्रम मंत्री ने श्रम विभाग के कर्मचारियों से संबंधित निजी कंपनी के कागजात की जांच करने के भी आदेश दिए हैं।

लोक निर्माण विभाग की लटकी योजनाओं पर बुलाई बैठक

सोमवार को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने लोक निर्माण विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन योजनाओं पर मंथन किया गया, जिन पर समाज कल्याण विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग से काम कराया जा रहा है। इन योजनाओं को लेकर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। इन परियोजनाओं के मामले में एक माह पहले मंत्री साइट पर निर्माण कार्य की जांच के लिए भी गए थे। इसमें समाज कल्याण विभाग की लामपुर आश्रम परियोजना भी शामिल थी।

गरमी की तपिश बढ़ते ही शुरू हो गई बिजली और पानी की किल्लत

कई इलाकों में हो रही बिजली कटौती

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 जून।

गरम हवाओं ने दिल्ली वालों के घरों में लगे बिजली का मीटर तेज कर दिया है। पंखे, कूलर व एसी लगातार चल रहे हैं। इस वजह से दिल्ली में सोमवार को बिजली की मांग में करीब 200 मेगावाट इजाफा दर्ज किया गया। मांग पूरी करने में नाकाम रहीं बिजली कंपनियों ने सिलसिलेवार इलाकों में कटौती भी की।

इस मौसम में अब तक सबसे अधिक बिजली की मांग 6 जून 2019 को दर्ज की गई थी। इसके बाद सोमवार को बिजली की मांग 6632 मेगावाट तक पहुंची। जबकि रविवार को दिल्ली की अधिकतम मांग 6442 मेगावाट थी। डिस्कॉम के मुताबिक बीते दिन की मांग को पूरा करने के लिए क्षेत्रों में कटौती भी करनी पड़ी थी। अधिक मांग के वक्त करीब 272 मेगावाट की कटौती की गई। इस कटौती का असर दिल्ली के सभी इलाकों में नजर आया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीजन की अब तक की सबसे अधिक मांग 6 जून को 6658 मेगावाट तक पहुंची थी। डिस्कॉम के मुताबिक गर्मी की वजह से लगातार मांग में इजाफा देखा जा रहा है। बीते वर्ष गर्मी के मौसम की सबसे अधिक मांग 7106 मेगावाट तक पहुंची थी। संभावना जताई जा रही है कि यह मांग आने वाले दिनों में पिछले तमाम रेकार्ड तोड़ेगी। इस बार गर्मी में अधिकतम मांग 7400 मेगावाट तक जाने की संभावना है। बिजली कंपनियां दावा कर रही हैं कि बिजली का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है। लेकिन लोकल फाल्ट व तकनीकी परेशानी होने की वजह से उन्हें आपात स्थिति में कटौती करनी पड़ रही है। इसके अलावा फाल्ट होने की स्थिति में टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है।

भाजपा ने शुरू की पानी पर रायशुमारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 जून।

गरमी की वजह से पानी के संकट से दिल्ली जूझ रही है। इस संकट ने भाजपा नेताओं को आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार थमा दिया है। अब भाजपा नेता आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की मुफ्त पानी योजना का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में जुट गए हैं। इस अभियान के तहत भाजपा नेता विजय गोयल ने पानी का प्याऊ लगाकर जनता की राय मांगी। जल बोर्ड सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र में है।

विजय गोयल के मुताबिक जीत नगर में रहने वाले लोगों ने बताया कि क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा 10 हजार रुपए का भुगतान करने के बाद भी क्षेत्र में देर रात को पानी आता है और सुबह 4 बजे तक जनता को पानी भरना पड़ रहा है। जल बोर्ड के आंकड़े का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हर पांचवां घर आज पानी की आपूर्ति से वंचित है। भाजपा

दिल्ली में पानी के लिए जद्दोजहद का एक दृश्य

प्रदेश उपाध्यक्ष जय प्रकाश ने आनंद पर्वत की एक बस्ती में पानी की उपलब्धता की जांच की। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सभी ऐसे क्षेत्रों में यह जांच की जाएगी जहां पर पानी की कमी है। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड पानी के लीकेज को नियंत्रित करके पानी की आपूर्ति बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए अब तक कोई पहल नहीं की है। इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार के पोल खोल अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है कि तत्काल जल बोर्ड की बैठक बुलाई जाए क्योंकि पानी का घोर संकट है।

केंद्र और डीयू का रुख जानना चाहती है अदालत

नई दिल्ली, 10 जून (भाषा)।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र तथा विश्वविद्यालय का रुख जानना चाहा। अदालत ने कहा कि प्रवेश के लिए पंजीकरण की शुरुआत से महज एक दिन पहले मानदंड में संशोधन किया गया जो बिल्कुल मनमाना है।

वकील चरणपाल सिंह बागरी द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि अंतिम समय में मानदंड में संशोधन का विश्वविद्यालय का फैसला नैर्सिगक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। डीयू में प्रवेश के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 30 मई से शुरू हो गई जो 14 जून को खत्म होगी। अदालत ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से पेश अधिवक्ता ब्रजेश कुमार और विश्वविद्यालय को अगली सुनवाई के दिन यानी 14 जून तक याचिका के संबंध में अपने-अपने जवाब दाखिल करने को कहा है।

प्रवेश के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

ऐसा देखा गया कि कुछ पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड में किए गए बदलाव से छात्र अनजान हैं। पिछले साल तक अगर किसी छात्र को गणित में 50 फीसद अंक आते थे तो वह छात्र या छात्रा अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) में आवदेन कर सकता है। लेकिन इस साल 'बेस्ट ऑफ फोर' के लिए इस विषय को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गणित शीर्ष चार विषयों में से एक होगा और इनके कुल जोड़ को दाखिले का आधार माना जाएगा। इसी तरह से बीकॉम (ऑनर्स) में किसी छात्र के लिए गणित/बिजनेस मैथेमैटिक्स के कुल जोड़ 45 फीसद अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य था।

इस साल इस मानदंड में संशोधन किया गया है जिसकी नई शर्तों के मुताबकि छात्र को गणित/बिजनेस मैथेमैटिक्स में 50 फीसद या अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और कुल जोड़ अंक 60 फीसद होना चाहिए। याचिका में संशोधित पात्रता मानदंड को रद्द करने और छात्रों को पूर्व मानदंड के अनुरूप ही आवेदन की इजाजत देने का अनुरोध किया गया है। मिली खबरों के मुताबिक, डीयू के अकादमिक एवं कार्यकारी परिषद के सदस्यों ने इन नियमों को 'मनमाना' और 'अवांछित' बताते हुए हाल में कुलपति को पत्र लिखकर इन्हें बदलने की मांग की है। पत्र में कुलपति से 'तात्कालिक आधार' पर अकादमिक सत्र के लिए पूर्ववर्ती मानदंड बहाल करने की मांग की गई है।

खबरों में शहर

गिरीश कर्नाड को श्रद्धांजलि दी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 जून।

साहित्य अकादेमी के सचिव के श्रीनिवासराव ने सोमवार को कहा कि गिरीश कर्नाड के निधन से भारतीय साहित्य, संस्कृति और रंग-जगत को बड़ी क्षति हुई है। उनके देहावसान से जो शून्य निर्मित हुआ है उसे भरा नहीं जा सकता। गिरीश कर्नाड को 1994 में कन्नड़ नाटक तलेदंड के लिए साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जनवादी लेखक संघ के महासचिव मुरली मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि गिरीश कर्नाड जनवादी मूल्यों में आस्था रखने वाले रचनाकार और कलाकार थे। उनके निधन से भारतीय साहित्य, रंगमंच और सिनेमा ने जनवादी मूल्यों को समर्पित एक महान और विरल व्यक्तित्व खो दिया है। कर्नाड की भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संविधान में गहरी आस्था थी। वे भारत में उभरती सांप्रदायिक-फांसीवादी ताकतों से बहुत चिंतित थे जो देश के संवैधानिक ढांचे और जनवादी मूल्यों के लिए एक खतरा पेश करती हैं।

शास्त्री भवन में आग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 जून।

राष्ट्रीय राजधानी की अत्यंत महत्त्वपूर्ण इमारतों में शामिल शास्त्री भवन में सोमवार को भूतल के एक कमरे में मामूली आग लग गई। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दोपहर एक बजकर 12 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली और तुरंत ही दमकल की पांच गाड़ियों को घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया। विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आग एक कमरे के एअरकंडीशनर में लगी थी।

69 वकील तैनात करेगी दिल्ली सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 जून

जिला अदालतों में सरकार का पक्ष रखने के लिए 69 वकील विभिन्न अदालतों में चल रहे दिल्ली सरकार के मामलों में अपना पक्ष रखेंगे। मामले में दिल्ली के कानून एवं न्याय विभाग ने मसौदे को मंजूरी के लिए कानून मंत्री कैलाश गहलोत के पास भेजा था। इसे दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है।

पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल हुईं प्रशांत कनौजिया की पत्नी।

'चैनल पर कार्रवाई में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं'

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 10 जून।

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गलत खबर चलाने के मामले में न्यूज चैनल पर की गई कार्रवाई में सरकार का कोई दखल नहीं है। प्रशासन ने धारा 144 के तहत कार्रवाई की है, ताकि शहर में किसी भी तरह की अशांति ना हो क्योंकि चैनल के दर्शक बड़ी संख्या में हैं।

चैनल पर फर्जी खबर चलाने का आरोप है। जांच के दौरान प्रशासन के पास चैनल की मान्यता के कोई दस्तावेज नहीं मिले थे। उन्होंने बताया कि इसे लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखकर इस संबंध में जांच की मांग की गई है। मंत्रालय का जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि कानूनी तौर पर चैनल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में दो लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है।

सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर चैनल के खिलाफ जांच की मांग की गई। चैनल पर 6 जून को एक चर्चा का कार्यक्रम हुआ था। आरोप है कि तथ्यों की बिना पड़ताल किए इसका आयोजन किया गया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने न्यूज चैनल के खिलाफ प्रदर्शन कर मामले की शिकायत की थी। जिला प्रशासन ने दो लोगों को गिरफ्तार कर चैनल को सील कर दिया था।

दो पक्षों की मारपीट में एक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 जून।

जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में रविवार देर रात जमकर मारपीट हुई। इसमें एक युवक गौरव की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवकों ने दो लोगों की जमकर पिटाई कर दी है। पुलिस ने रवि और रॉकी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। दोनों के दोस्त अस्पताल पहुंचे, जहां किसी ने उन्हें बता दिया कि गौरव और सतीश ने अपने दोस्तों के साथ मिल कर उनकी पिटाई की है। घायलों के दोस्त बाहर आ गए और दोनों का पीछा करने लगे। उन लोगों ने गौरव (24) को दबोच लिया और उसके सिर व चेहरे पर ईंट से हमला कर दिया। हमले के बाद सभी मौके से फरार हो गए।

अलीगढ़ मामले में एनएचआरसी पहुंची कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 जून

अलीगढ़ के टप्पल में हुई दो वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या की शिकायत सोमवार को कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरपीसी) में दर्ज कराई। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने पार्टी पदाधिकारियों को आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के बाद वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार में बच्चों के मामलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

शाहबेरी : आशियाने को बचाने की आशा में ज्ञापन और प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 10 जून।

शाहबेरी में अपने सपनों के आशियाने को बचाने की जद्दोजहद में लगे सैकड़ों लोगों ने सोमवार को पैदल मार्च निकाल कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचकर प्रदर्शन किया। करीब दो साल पहले शाहबेरी इलाके में दो इमारतों के धराशायी होने के बाद शुरू हुई प्रशासनिक जांच की आंच के खतरे को टालने के लिए वहां के निवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि शाहबेरी गांव में पूरा निर्माण प्राधिकरण और प्रशासन के अधिकारियों की शह पर हुआ है। अब जिलाधिकारी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पत्र भेजकर शाहबेरी में हुए अवैध निर्माण गिराने के लिए कहा है।

डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर शाहबेरी में बने फ्लैटों के खरीदार हैं। उनके मुताबिक, 2011 में शाहबेरी गांव की जमीन का अधिग्रहण रद्द होने के बाद किसानों ने अपनी जमीन बेचनी शुरू की थी। तब कारोबार के लिहाज या सस्ती जमीन के लालच में दूर-दराज से आए लोगों ने इन्हें खरीद लिया था। खरीदारों की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज होने में कोई कानूनी समस्या नहीं आई, जिस वजह से लोगों के मन में विश्वास बढ़ा। इसी भरोसे के कारण कुछ युवाओं ने स्वरोजगार के लिए जमीन खरीदकर फ्लैट बनाने शुरू कर दिए। यहां फ्लैटों की कीमत काफी कम होने और जल्द निर्माण होने से उनकी बिक्री भी जल्दी हो गई। डीएम को दिए पत्र में बताया कि 17 जुलाई 2018 में दो इमारतों के गिरने के बाद ही ज्यादातर खरीदारों को इन जमीनों का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र होने का पता चला। तब तक सात-आठ साल बीत जाने के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने मकान बना लिए और फ्लैट खरीद लिए थे।

सूरज की रोशनी से बिजली बनाएंगे सरकारी भवन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 जून।

सरकारी भवन अब जल्द ही पावर हाउस बनेंगे। सरकारी भवनों की छतों के बेहतर प्रयोग के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन भवनों पर सोलर पैनल लगाने की योजना तैयार की है। इस मामले में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे इस योजना को लागू करने के लिए एक विस्तृत प्लान तैयार करें। इसकी मदद से आने वाले दिनों में सभी सरकारी भवनों की छतों पर सोलर संयंत्र के माध्यम से बिजली बनाने की तैयारी है।

इसके लिए सीपीडब्लूडी भी 'सोलर ट्री' जैसी योजना तैयार कर सकता है। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे जहां एक तरफ बिजली का उत्पादन संभव होगा, वहीं दूसरी तरफ कार्बन फुट प्रिंट को कम करने में भी मदद हासिल होगी।

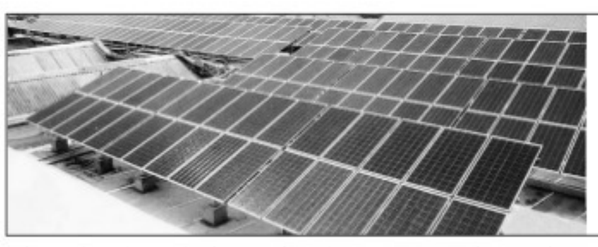

दिल्ली में करीब 10-12 किलोवाट तक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है

'सोलर ट्री' की पहली योजना को राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह मेमोरियल डांडी, गुजरात में लागू किया गया था। यह प्रोजेक्ट भी सीपीडब्लूडी ने तैयार किया था। इस स्मारक में 41 'सोलर ट्री' लगाए गए थे। इसकी मदद से मेमोरियल में प्रयोग होने वाली बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस मामले में सीपीडब्लूडी की फिल्ड यूनिट को इस योजना को लागू करने की संभावनाएं तलाशने के आदेश दिए गए हैं। अब सीपीडब्लूडी इस योजना के लिए तकनीकी कार्य योजना तैयार करेगा और अधिक से अधिक जगहों को चिह्नित करेगा, जहां परियोजना को लागू किया जा सकता है। इस योजना को लागू करने के लिए सीपीडब्लूडी ने एक विस्तृत रिपोर्ट भी डांडी मेमोरियल से मांगी है। दिल्ली में सोलर रूफ टॉप नीति के तहत बिजली कंपनियां बिजली उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में करीब 10-12 किलोवाट तक सोलर पावर का उत्पादन होता है। इसमें 7 मेगावाट करीब बीएसईएस और बाकी बिजली टीपीडीडीएल क्षेत्र में उत्पादित की जा रही है। इस संयंत्र के लिए आम जनता को शुरुआत में प्रति किलोवाट के लिए 80 हजार रुपए प्रति किलोवाट के लिए खर्च करना पड़ता था। लेकिन सोलर नीति की वजह से अब करीब 40 हजार रुपए प्रति किलोवाट के खर्च पर सोलर संयंत्र लगाना संभव है।

सीपीडब्लूडी ने भी तैयार की थी सोलर साइकिल ट्रैक की योजना

दिल्ली के सबसे लंबे साइकिल ट्रैक को सोलर ट्रैक बनाने की योजना लोक निर्माण विभाग ने भी तैयार की थी। इस योजना के तहत ट्रैक पर एक मॉडल सौर ढांचा भी लगाया गया था। दिल्ली सरकार की योजना के मुताबिक, दिल्ली के सबसे लंबे सोलर ट्रैक पर यह संयंत्र लगाना था। यह बुराड़ी से बाहरी रिंग रोड के बीच तैयार किया गया है। इसमें विशेष तौर पर एक साइकिल ट्रैक है। इस रूट पर बड़ी संख्या में साइकिल सवार गुजरते हैं। इन सवारों को धूप से बचाने के लिए यह योजना बनाई गई थी।

'गृह मंत्री कानून व्यवस्था की समीक्षा करें'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 जून

आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक व मंत्री गोपाल राय ने मांग की कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बंदोबस्त के लिए केंद्रीय गृह मंत्री बैठक बुलाएं और समीक्षा करें। गोपाल राय मीडिया कर्मियों पर हुए हमले के बाद प्रेसवार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीट पर भाजपा के सांसद हैं और सांसद ही जिलास्तरीय थाना लेवल समिति के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अब तक इस मामले में सांसदों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

इस मामले में आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि पुलिस आयुक्त तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करे और दिल्ली की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और देश के कोने-कोने से लोग यहां आकर बसते हैं। पूरे देश के लोगों को लगता है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर होगी और हर नागरिक बिना किसी डर के अपना काम यहां कर सकेगा।

मीडियाकर्मियों पर हमला करने वालों की तलाश में 16 टीम

नई दिल्ली : लोधी कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक राष्ट्रीय न्यूज के कर्मचारियों पर हमला करने वाले मोटरसाइकिल सवार बदमाशों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने 16 टीम बनाई है। ये टीम हमलावरों के उन ठिकानों पर छापामारी कर रही हैं, जहां उनके छुपे होने की संभावना हो सकती है। जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के बारे में कुछ सुराग भी मिला है। उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवार हमलवारों ने शनिवार रात को कर्मचारियों पर उस वक्त हमला किया था, जब वे खबर पर काम करने गए थे। (जसं)

गुमशुदगी की शिकायत पर फौरन हरकत में आए पुलिस : योगी

अपराध पर काबू न पाने वाले पुलिस अधिकारियों पर गिरेगी गाज

जनसत्ता संवाददाता
लखनऊ, 10 जून।

उत्तर प्रदेश में दुराचार और अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार आला पुलिस अधिकारियों की जम कर क्लास ली। प्रदेश के डीजीपी समेत आला पुलिस अधिकरियों से उन्होंने दो-टूक कहा, बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत को बेहद संजीदगी से लिया जाए। ऐसा शिकायतों पर तत्काल पुलिसकर्मी हरकत में आएं। छेड़-छाड़ की घटनाओं की रोक-थाम के लिए कड़े इंतजामात किए जाएं। उन्होंने जिलेवार अपराध के आंकड़े देखने के बाद चेतावनी दी है कि जिस जिले में अपराध को रोक पाने में पुलिसकर्मी नाकाम होंगे। उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार अपने कार्यालय में प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आनंद कुमार समेत आला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आहूत बैठक में योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा, बच्चों की गुमशुदगी के मामले सामने आने के बाद पुलस तत्काल हरकत में आए। जहां ऐसी घटनाओं पर टाल-मटोल की बात सामने आएगी, संबंधित थानों और हलके के पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाएगा।

लोक भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री के तेवर बेहद सख्त थे। उन्होंने प्रदेश के डीजीपी से कहा कि वो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की रोकथाम के लिए सटीक रणनीति बनाएं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की बात कही है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उन्हें दो-टूक बता दिया जाए कि यदि वे अपने जिलों में अपराध को रोक पाने में नाकाम रहे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

टप्पल में शांति : पुलिस क्षेत्राधिकारी का तबादला, भारी पुलिस बल तैनात

अलीगढ़, 10 जून (भाषा)।

अलीगढ़ जिले के टप्पल कस्बे में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच सोमवार को शांति दिखी। उधर, खैर क्षेत्र में मध्यरात्रि तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस बीच, टप्पल के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) पंकज श्रीवास्तव को तबादला कर दिया गया है। पुलिस ने इन खबरों को गलत बताया कि टप्पल में असुरक्षित महसूस कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोग पलायन कर रहे हैं। कुलहरि ने कहा कि कुछ लोग अस्थायी तौर पर जा सकते हैं लेकिन जल्द लौट आएंगे।

रविवार को हालात काबू करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। प्रदर्शनकारी प्रशासन से मांग कर रहे थे कि ढाई साल की बच्ची की हत्या के मामले में तत्काल न्याय मिले। पुलिस ने दक्षिणपंथी समूहों द्वारा किए गए प्रदर्शन को किसी तरह नियंत्रित किया। ये लोग टप्पल में महापंचायत करना चाह रहे थे। जिला प्रशासन ने खैर क्षेत्र में मध्यरात्रि 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आकाश कुलहरि ने बताया कि हालात काबू में हैं। किसी को माहौल खराब करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी जमीरूल्लाह खां ने हिंदू लड़की पूजा चौहान की सराहना की है, जिसने जान पर खेलकर रविवार को एक मुसलिम परिवार के लोगों की जान बचाई। यह परिवार हरियाणा के बल्लभगढ़ से अलीगढ आ रहा था। रास्ते में उनकी कार पर मोटरसाइकिल सवार असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया था।

पलायन की खबरें गलत

हालात काबू में हैं। किसी को माहौल खराब करने की छूट नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। टप्पल में असुरक्षा महसूस कर रहे मुसलिम समुदाय के लोगों के पलायन की खबरें गलत हैं। कुछ लोग अस्थायी तौर पर जा सकते हैं लेकिन जल्द लौट आएंगे।
-आकाश कुलहरि, एसएसपी

नारद टेप मामले में सीबीआइ के समक्ष पेश हुए आइपीएस अधिकारी

कोलकाता, 10 जून (भाषा)।

वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा नारद टेप मामले में सीबीआइ की जांच के संबंध में पूछताछ के लिए सोमवार को यहां जांच एजंसी के अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। एजंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, छह जून को पूछताछ के लिए सीबीआइ अधिकारियों के समक्ष पेश हुए मिर्जा को जांच के संबंध में पूछताछ के अन्य चरण के लिए सोमवार को बुलाया गया।

सीबीआइ सूत्रों ने बताया कि मिर्जा से तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल रॉय से उनके संबंधों के बारे में पूछा जा सकता है। मुकुल रॉय इस घोटाले में कथित तौर पर शामिल थे। मिर्जा उस समय वर्द्धमान जिले के पुलिस अधीक्षक थे, जब नारद न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल्स ने स्टिंग ऑपरेशन किया था।

सूत्रों ने बताया कि सीबीआइ यह पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है कि किसने और किसकी तरफ से मिर्जा को उन्हें पेश की गई नकद राशि लेने के निर्देश दिए थे। नारद टेप में तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और आइपीएस अधिकारियों को एक स्टिंग ऑपरेशन में कथित कारोबारी को लाभ पहुंचाने के बदले में उससे रुपये लेते दिखाया गया है। यह स्टिंग ऑपरेशन साल 2014 में किया गया।

Zenith Fibres Limited

(Corporate Identification Number: L17120MH1989PLC054580)
Registered Office: 205, Marol Bhavan, 2nd Floor, Sir M V Road Marol, J B Nagar Post, Andheri East, Mumbai, Maharashtra, 400059; **Tel. No.:** 022-28599428; **Fax:** 022-28599429; **Email:** cs.shah@zenithfibres.com; **Website:** www.zenithfibres.com; **Contact Person:** Ms. Siddhi Shah, Company Secretary and Compliance Officer.

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF ZENITH FIBRES LIMITED

This post buyback public announcement ("**Post Buyback Public Announcement**") is being made in compliance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback. This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated April 02, 2019 and the Letter of Offer dated May 03, 2019 ("**Letter of Offer**"). All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

1.1 Zenith Fibres Limited ("**Company**") had announced the Buyback of upto 5,50,000 (Five lakhs fifty thousand) fully paid-up equity shares of 10/- (Rupees Ten only) each ("**Equity Shares**"), representing approximately **12.44%** of the total number of equity shares in the issued, subscribed and paid-up equity share capital of the Company as at March 30, 2019 i.e. the date of the board meeting, from the eligible shareholders or beneficial owners of Equity Shares of the Company as on the record date i.e. April 12, 2019 ("**Record Date**"), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at a price of **55/-** (Rupees Fifty Five only) per Equity Share for an aggregate amount not exceeding Rs. **3,02,50,000** (Rupees Three Crores Two Lacs Fifty Thousand only) excluding the Transaction Costs ("**Buyback Size**"), and such buyback of shares, the ("**Buyback**"). The Buyback Size is **6.39%** of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the latest audited standalone financials as at March 31, 2019.

1.2 The Company adopted the tender offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by the SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, including any amendments thereof, issued by SEBI.

1.3 The tendering period for the Buyback Offer opened on Thursday, May 16, 2019 and closed on Wednesday, May 29, 2019.

2. DETAILS OF BUYBACK

2.1 4,78,210 (Four Lacs Seventy Eight Thousand Two Hundred Ten) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of Rs. 55/- (Rupees Fifty Five only) per Equity Share.

2.2 The total amount utilized in the Buyback is Rs. 2,63,01,550/- (Rupees Two Crores Sixty Three Lacs One Thousand Five Hundred Fifty only) excluding the Transaction Costs.

2.3 The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:-

Sr. No.	Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of valid bids	Total Equity Shares validly tendered	% response
1	Reserved category for Small Shareholders	2,08,687	30	$ 20,845	9.99
2	General Category for all other Equity Shareholders	3,41,313	9	4,57,365	134.00

$ After rejecting 500 Equity Shares on account of excess tender
As per Certificate dated June 07, 2019 issued by the Registrar and Transfer Agent to the Buyback Offer

2.4 All valid bids were considered for the purpose of acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/ rejection was dispatched by the Registrar to the eligible Equity Shareholders on Monday, June 10, 2019.

2.5 The settlement of all valid bids was completed by Clearing Corporations on Monday, June 10, 2019. The Clearing Corporations have made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback.

2.6 Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buyback were transferred to the Company Demat Account on Monday, June 10, 2019. The unaccepted dematerialized Equity Shares have been returned to respective Seller Member/custodians by the Clearing Corporations on Monday, June 10, 2019.

2.7 Company has applied for extinguishment of Equity Shares tendered under the Buyback is same is expected to be completed by Monday, June 17, 2019.

2.8 The Company, and its respective directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1 The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

(Indian Rupees)

Parameters	Pre and Post-Buyback
Authorised Share Capital- 60,00,000 Equity Shares of Rs.10 each	6,00,00,000

(Indian Rupees)

Particulars	# Pre-Buyback	* Post-Buyback
Paid-Up Equity Share Capital	4,42,23,460 (comprising of 44,22,346 fully paid-up Equity Shares of face value Rs. 10 each)	3,94,41,360 (comprising of 39,44,136 fully paid-up Equity Shares of face value Rs. 10 each)

 # As on the Record Date and as disclosed in the Letter of Offer
**Subject to extinguishment of 478210 Equity Shares*

3.2 Details of shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares accepted for buyback are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Shareholders	$ Number of Equity Shares Accepted for Buyback	$ Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back (%)	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares (%)*
1	Galaxy Dealers Private Limited	3,25,810	68.13	8.26
2	Rajasthan Global Securities Private Limited	39,475	8.25	1.00
3	Madhuri Devi Rungta	36,100	7.55	0.92
4	Vinita Investment Limited	18,500	3.87	0.47
5	Abhishake Rungta	10,530	2.20	0.27
6	Ajeet Modi HUF .	10,000	2.09	0.25
7	Rajeev Rungta	6,000	1.25	0.15
8	Ashok Manganlal Shah	6,000	1.25	0.15
9	LRSD Securities Private Limited	4,950	1.04	0.13

$ Total 478210 Equity Shares accepted under the Buyback Offer
**Subject to extinguishment of 478210 Equity Shares*
As per Certificate dated June 07, 2019 issued by the Registrar and Transfer Agent to the Buyback Offer

3.3 The shareholding pattern of the Company before the Buyback, i.e., as on the Record Date i.e. April 12, 2019 and post Buyback, is as under:

Category of Shareholder	No. of Shares Pre- Buyback	% to the existing Equity Share capital	No. of Shares-Post Buyback*	% to the existing Equity Share capital
Promoter and Promoter Group	22,23,106	50.27%	1817566	46.08
Public	21,99,240	49.73%	2126570	53.92
Total	44,22,346	100%	39,44,136	100%]

**Subject to extinguishment of 478210 Equity Shares*

4. MANAGER TO THE BUYBACK

SAFFRON
energising ideas

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED
605, Sixth Floor, Centre Point, Andheri-Kurla Road, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059. **Tel. No.:** +91 22 4082 0914, **Fax No.:** +91 22 4082 0999
Email id: buybacks@saffronadvisor.com; **Website:** www.saffronadvisor.com; **Investor grievance:** investorgrievance@saffronadvisor.com
SEBI Registration Number: INM000011211; **Contact Person:** Amit Wagle/Shikha Jain

5. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24 of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept full and final responsibility for the information contained in this Letter of Offer. This Letter of Offer is issued under the authority of the Board of Directors through resolution passed by the Board of Directors at their meeting held on March 30, 2019.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ZENITH FIBRES LIMITED

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Sanjeev Rungta	Mukund Beriwala	Siddhi Shah
Chairman	Director	Company Secretary and Compliance Officer
DIN: 00053602	DIN: 00053669	

Place: Mumbai
Date: June 10, 2019

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**31.03.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 20.06.2019

Palwal - Haryana: MAL-1916, 1980, 2012, MBL-2810, 3425, MPL-44, MSL-26917, 27048, 27158, 27233, 27282, 27304, 27346, 27348, 27351, 27487, 27521, 27594, 27675, MUL-82, 365, 366, 405, 432, 461, 469, 490, 492, 521, 531, 539, 554, 561, 576, 577, 591, 595, 599, 600, 605, 606, 621, 625, 638, 659, 661, 670, 690, 706, 736, 744, 754, 764, 765, 766, 767, 769, 771, 773, 804, 860, 866, 872, 915, 917, 936, 941, 948, 951, 952, 963, 1003, 1015, 1019, 1040, 1048, 1088, 1089, 1091, 1112, 1118, 1121, 1150, 1165, 1169, 1178, 1202, 1212, 1219, 1232, 1308, 1314, 1343, 1348, 1364, 1367, 1369, 1394, 1404, 1416, 1468, 1474, 1479, 1480, 1505, 1510, 1523, 1525, 1554, 1598, 1599, 1607, 1621, 1622, 1623, 1631, 1634, 1635, 1651, 1654, 1662, 1698, 1754, 1762, 1773, 1775, 1784, 1826, 1838, 1839, 1845, 1856, 1861, 1881, 1927, 1936, 1938, 1939, 1959, 1962, 1972, 1986, 1995, 2024, 2030, 2082, 2092, 2102, 2119, 2121, 2144, 2148, 2175, 2218, 2272, 2305, 2322, 2324, 2325, 2330, 2331, 2340, 2342, 2346, 2350, 2355, 2366, 2374, 2383, 2426, 2440, 2441, 2442, 2443, MWS-25, 31, 38, 53, **Palwal (Ha):** MAL-1066, MBL-2340, MGL-1545, MHL-29, MSL-11520, 11549, 11568, 11569, 11591, 11616, 11726, 11776, 11822, MUL-313, 316, 350, 361, 367, 378, 387, 438, 466, 485, 515, 593, 608, 627, 654, 669, 674, 725, 728, 739, 742, 778, 788, 798, 807, 816, 850, 854, 856, 878, 881, 884, 885, 915, 943, 964, 965, 966, 971, 981, 1005, 1085, 1110, 1114, 1146, 1183, 1195, 1216, 1246, 1258, 1267, 1312, 1313, 1381, 1385, 1386, 1425, 1444, 1477, 1486, 1487, 1489, 1501, 1510, 1511, 1522, 1548, 1549, 1551, 1573, 1582, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1595, 1597, MWS-5, 11, 13, 67, 73, 76, 82, 99, 107, 127, 128, 140, 144, 161, 164, 167, 174, 183, 190, 193, 202, 208, 215, 217

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.09.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 20.06.2019

Palwal - Haryana: MAL-1607

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक **21.06.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Ltd., Above Bank of Baroda, Moti Colony, Bye Pass Road, Palwal - 121102** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 21.06.2019

Faridabad-Sector-3: MAL-967, 1142, MBL-2354, 2481, MLS-193, MSL-22305, 22349, 22568, 22583, 22610, MUL-55, 289, 314, 329, 355, 421, 436, 441, 451, 462, 485, 494, 504, 505, 533, 537, 542, 566, 573, 583, 584, 625, 626, 628, 635, 636, 640, 658, 659, 669, 674, 692, 693, 717, 719, 745, 755, 760, 779, 781, 816, 817, 823, 824, 833, 855, 896, 909, 916, 924, 962, 965, 966, 975, 1025, 1027, 1045, 1109, 1130, 1140, 1154, 1215, 1294, 1297, 1305, 1329, 1377, 1403, 1423, 1426, 1428, 1438, 1458, 1467, 1497, 1506, 1547, 1567, 1573, 1584, 1687, 1711, 1778, 1805, 1827, 1830, 1837, 1844, MWS-1, 18, 48, 49, 90, 95, 97, 105, 144, 153, 183, 184, 190, 193, 194, 195, 200, 253, 296, 331, 335, 336, 371, 389, 404, 405, 419, 449, 457, 460, 462, 465, 466, 467, 470, 471, 472, 475, 505, 513, 532, 533, 534, 549, 555, 564, 579, 580, 590, 599, 611, 635, 664, 713, 714, 715, 716, 717, 741, 746, 755, 758, 764, 769, 776, 777, 781, **Faridabad-Sector-7:** MAL-779, 912, 927, 947, 950, MSL-12790, 12875, 12895, 12899, MUL-224, 232, 250, 275, 276, 277, 300, 355, 356, 362, 363, 364, 367, 384, 388, 391, 392, 398, 415, 424, 425, 436, 456, 484, 504, 505, 506, 527, 577, 597, 613, 632, 640, 662, 663, 680, 682, 685, 714, 724, 749, 774, 784, 788, 798, 821, 835, 846, 853, 854, 879, 914, 923, 925, 927, 928, 929, 930, 932, 948, 977, 991, 992, 1022, 1026, 1028, 1067, 1091, 1109, 1117, 1120, 1122, 1128, 1131, 1165, 1200, 1208, 1213, 1226, 1227, 1249, 1273, 1275, 1310, 1318, 1328, 1335, 1339, 1343, 1371, 1381, 1386, 1391, 1395, 1396, 1413, 1444, 1448, 1453, 1454, 1490, 1495, 1526, 1551, 1556, 1563, 1568, 1570, 1574, 1575, 1583, 1593, 1602, 1604, 1614, 1643, 1644, 1648, 1654, 1655, 1664, 1665, 1667, 1678, 1679, 1681, 1684, 1686, 1691, 1693, 1712, 1713, 1714, **Ballabhgarh Kumarwada:** MGL-220, 346, 465, 522, MUL-29, 32, 37, 38, 51, 54, 55, 62, 63, 118, 133, 134, 144, 148, 156, 157, 164, 169, 173, 190, 196, 209, 223, 246, 247, 279, 285, 286, 305, 307, 328, 330, 333, 342, 344, 354, 373, 377, 393, 418, 421, 428, 429, 432, 440, 444, 445, 450, MWS-15, 29, 38, 48, 51, 56, 59, 66, 80, 86, 101, 115, 117, 118, 120, 123, 131, 150, 151, 162, 163, 165, 166

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक **22.06.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Ltd., SCF-51, First Floor, Sector-3, Huda Market, Faridabad - 121004** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 20.06.2019

Hondal (Ha): MAL-1667, MPL-28, MSL-8780, MUL-218, 250, 285, 287, 290, 345, 383, 398, 411, 425, 441, 459, 462, 465, 471, 472, 557, 568, 577, 579, 585, 603, 618, 724, 725, 788, 862, 896, 917, 922, 937, 962, 977, 991, 995, 1013, 1041, 1051, 1087, 1097, 1126, 1128, 1134, MWS-6, 38, 65, 84, 105, 112, 146, 168, 173, 196, 228, 239, 252, 253, 266, 267, 280, 288, 295, 320, 326, 328, 329, 337, 342, 351, 365, 366, 377, 385, 395, 396, 399, 430, 436, 445, 446, 451, 463, 465, 474, 476, 492, 512, 513, 523, 528, 529, 540, 550, 553, 554, 559, 565, 567, 568, 570, 572, 573, 576, 577, 595, 599, 605, 609, 612, 619, 622, 623, 639, 640, 646, 647

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली – 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**31.03.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 24.06.2019

Sikar: MAL-987, 1022, 1280, 1439, MBL-2181, MHL-113, 126, 127, MSL-16773, 16868, 16971, 16984, 16986, MUL-858, 880, 992, 993, 1093, 1158, 1235, 1264, 1322, 1535, 1642, 1643, 1686, 1713, 1753, 1784, 1785, 1827, 1861, 1871, 1888, 1899, 1901, 1909, 1918, 1919, 1928, 1931, 1943, 1970, 1979, 1990, 1991, 1997, 1998, 2005, 2006, 2013, 2026, 2055, 2064, 2066, 2072, 2075, 2084, 2097, 2099, 2103, 2104, 2110, 2116, 2130, 2133, 2157, 2160, 2170, 2192, 2193, 2197, 2200, 2214, 2216, 2224, 2251, 2252, 2253, 2261, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2288, 2302, 2326, 2331, 2347, 2353, 2359, 2367, 2371, 2374, 2387, 2390, 2391, 2392, 2396, 2398, 2401, 2408, MWS-4, 20, 21, 40, 48, 49, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 101, 105, 131, 132, 133, 143, 151, 152, 188, 200, 204, 218, 227, 231, 232, 255, 266, 271, 273, 305, 313, 323, 326, 338, 341, 353, 357, 358, 376, 380, 386, 411, 441, 471, 473, 477, 486, 492, 493, 527, 531, 547, 552, 555, 556, 558, 583, 587, 590, 598, 603, 613, 631, 651, 654, 655, 656, 659, 662, 696, 711, 722, 727, 735, 736, 737, 748, 749, 751, 753, 754, 755, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 772, 791, 793, 796, 799, 800, 804, 813, 825, 826, 831, 833, 837, 839, 844, 845, **Sikar - Devipura:** MGL-848, MHL-272, MSL-5916, 5925, 5931, 5942, 5954, MUL-280, 305, 476, 601, 648, 754, 869, 870, 880, 914, 1009, 1011, 1024, 1037, 1069, 1091, 1092, 1113, 1114, 1123, 1130, 1131, 1135, 1136, 1154, 1161, 1190, 1223, 1242, 1245, 1252, 1276, 1285, 1287, 1290, 1291, 1303, 1335, 1346, 1349, 1355, 1360, 1364, 1369, 1371, 1384, 1386, 1401, 1408, 1409, 1411, 1430, 1432, 1445, 1456, 1476, 1492, 1496, 1497, 1517, 1524, 1538, 1545, 1563, 1566, 1570, 1576, 1582, 1583, 1584, 1585, 1590, 1591, 1605, 1619, 1628, 1632, 1633, 1638, 1642, 1661, 1663, 1676, 1683, 1699, 1709, 1723, 1724, 1725, 1736, 1743, 1744, 1757, 1788, 1793, 1794, 1804, 1806, 1807, 1808, 1811, 1815, 1818, 1824, 1827, 1840, 1851, 1853, 1868, 1870, 1871, 1886, 1890, 1900, 1901, 1905, 1907, 1908, 1917, 1919, 1920, 1921, 1925, 1927, 1928, 1931, 1940, 1942, 1945,

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.09.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 24.06.2019

Sikar - Devipura: MUL-1531

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक **25.06.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Ltd., First Floor, Shree Yesh Tower, Near Samrat Cinema, Bajaj Road, Sikar, Rajasthan - 332001** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 21.06.2019

Jhunjhunu (Ra): MHL-60, MSL-2130, MUL-454, 564, 601, 644, 673, 681, 706, 710, 713, 740, 741, 746, 757, 761, 769, 778, 790, 818, 823, 842, 850, 851, 862, 863, 864, 872, 874, 880, 889, 920, 953, 972, 973, 974, 976, 980, 981, 986, 1005, 1006, 1036, 1037, 1043, 1048, 1053, 1067, 1084, 1089, 1098, 1102, MWS-28, 48, 49, 81, 82, 89, 98, 109, 119, 127, 134, 174, 175, 176, 184, 194, 198, 201, 219, 224, 229

नीलामी की तिथि: 22.06.2019

Chirawa (Ra): MAL-456, MGL-27, MHP-10, MSL-3780, 4154, 4535, 4541, MUL-275, 305, 407, 444, 467, 525, 550, 552, 553, 560, 578, 579, 588, 593, 609, 612, 616, 658, 660, 666, 671, 686, 687, 696, 698, 701, 702, 706, 720, 721, 722, 747, 763, 766, 770, 783, 788, 791, 795, 797, 807, 810, 811, 826, 833, 840, 843, 848, 868, 869, 870, 871, 877, 880, 891, 892, 893, 894, 895, 897, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 915, 920, 922, 931

नीलामी की तिथि: 24.06.2019

Fatehpur (Ra): MAL-1263, 1285, MHL-320, 327, 333, 335, MSL-4513, 4561, 4727, MUL-118, 140, 278, 366, 482, 488, 578, 580, 597, 718, 882, 883, 902, 904, 910, 911, 915, 928, 931, 932, 934, 939, 940, 958, 984, 989, 1007, 1022, 1026, 1036, 1046, 1049, 1060, 1064, 1083, 1084, 1096, 1104, 1106, 1111, 1112, 1115, 1122, 1123, 1154, 1166, 1170, 1177, 1185, 1186, 1196, 1205, 1207, 1210, 1222, 1232, 1238, 1239, 1250, 1256, 1260, 1261, 1263, 1275, 1279, 1285, 1289, 1298, 1301, 1321, 1322, 1326, 1327, 1334, 1337, 1340, 1341, 1343, 1344, 1351, 1355, 1356, 1359, 1360, 1361, 1364, 1371, 1372, 1373, 1395, 1402, 1403, 1409, 1411, 1412, 1414, 1419, 1430, 1432, 1433, 1434, 1440, 1442, 1446, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452

नीलामी की तिथि: 26.06.2019

Neem Ka Thana (Ra): MAL-380, MGL-168, 347, 387, 529, 729, 948, 1115, 1120, 1146, 1244, 1309, MHL-163, MSL-5687, 6008, 6326, 6375, 6448, 7042, 7063, 7154, 7163, 7180, 7197, MUL-11, 29, 39, 79, 86, 107, 141, 146, 171, 177, 199, 205, 206, 234, 253, 267, 268, 290, 305, 336, 346, 348, 384, 388, 391, 408, 428, 437, 438, 439, 444, 449, 470, 473, 548, 592, 614, 616, 653, 673, 691, 692, 693, 715, 738, 740, 796, 797, 802, 806, 818, 870, 888, 889, 890, 905, 917, 920, 961, 975, 989, 997, 1002, 1019, 1056, 1094, 1098, 1100, 1117, 1124, 1125, 1143, 1144, 1145, 1169, 1181, 1194, 1212, 1213, 1214, 1220, 1242, 1253, 1266, 1302, 1321, 1349, 1370, 1376, 1381, 1384, 1422, 1432, 1433, 1441, 1455, 1471, 1476, 1488, 1492, 1503, 1505, 1506, 1528, 1529, 1550, 1571, 1577, 1592, 1644, 1646, 1648, 1662, 1674, 1676, 1681, 1684, 1696, 1698, 1700, 1715, 1723, 1725, 1727, 1750, 1756, 1763, 1772, 1774, 1793, 1810, 1848, 1889, 1891, 1897, 1910, 1911, 1912, 1931, 1932, 1943, 1944, 1945, 1946, 1967, 1970, 1978, 1984, 1994, 1997, 1998, 2035, 2041, 2062, 2065, 2067, 2069, 2071, 2075, 2077, 2078, 2088, 2092, 2106, 2107, 2110, 2113, 2116, 2126, 2127, 2134, 2135, 2138, 2140

नीलामी की तिथि: 27.06.2019

Bhiwadi (Ra): MGL-694, 977, MSL-2562, 2573, 2574, 2576, 2584, 2587, 2641, 2665, 2722, 2740, 2768, MUL-46, 116, 162, 163, 226, 231, 233, 239, 240, 243, 245, 254, 296, 309, 310, 343, 346, 349, 350, 354, 359, 362, 401, 413, 415, 423, 439, 451, 474, 482, 496, 500, 522, 525, 527, 537, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 566, 577, 602, 603, 607, 642, 656, 660, 661, 681, 700, 711, 715, 735, 757, 758, 770, 783, 785, 788, 807, 808, 822, 825, 845, 847, 849, 878, 879, 881, 902, 910, 924, 930, 940, 946, 952, 956, 958, 968, 979, 988, 1004, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, 1046, 1049, 1051, 1064, 1080, 1087, 1088, 1089, 1094, 1111, 1114

जनसत्ता

11 जून, 2019

सजा का सबक

देश को हिला कर रख देने वाले बहुचर्चित कठुआ कांड में सोमवार को विशेष अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सुनाई और तीन को पांच-पांच साल की। अर्थ दंड अलग से। इस कांड के एक नाबालिग आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। पिछले साल जनवरी में जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के एक गांव में एक चरवाहा परिवार की आठ साल लड़की की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस अपराध को जिस तरह से अंजाम दिया गया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यह बच्ची पशुओं को चराने निकली थी, तभी उसे अगवा कर लिया गया। उसे एक मंदिर में कैद रखा गया जहां उसे नशे की दवाएं दी जाती रहीं और उसी हालत में उससे सामूहिक बलात्कार किया जाता रहा। शर्मनाक बात यह है कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों में मंदिर का पुजारी, उसका रिश्तेदार, एक विशेष पुलिस अधिकारी भी था। चार-पांच दिन बाद बच्ची की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया था। ऐसे वाकये मुश्किल से ही सुनने में आते हैं। आज पीड़ित परिवार को जो न्याय मिला है उसकी वजह यह है कि मामला सुर्खियों में आ गया और उसने देश को हिला दिया। देश की सर्वोच्च अदालत तक सक्रिय हुई और मामले की सुनवाई पठानकोट में विशेष अदालत में करवाई गई। वरना जिस बेहद गरीब तबके से यह खानाबदोश परिवार आता है उसके लिए तो न्याय के लिए गुहार लगा पाना भी शायद संभव नहीं होता। यह घटना देश, केंद्र और राज्य की सरकारों, समाज सबके लिए शर्मनाक थी।

अब फैसला आ गया और दोषियों को सजा भी हो गई। लेकिन इस घटना में जो कुछ हुआ और जिन्होंने इसे अंजाम दिया, उससे साफ है कि ये लोग सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि हैवान थे। मंदिर की देखभाल करने वाला ऐसे घृणित और जघन्य अपराध को अंजाम देगा, कोई सोच भी नहीं सकता! इतना ही नहीं, इस पुजारी ने अपने एक रिश्तेदार लड़के को भी फोन करके दूसरे शहर से बुला लिया था। विशेष पुलिस अधिकारी जिसे स्थानीय लोगों की मदद के लिए पुलिस की ओर से नियुक्त किया जाता है, वह ऐसे किसी के अपहरण और बलात्कार की साजिश रचेगा और गुनाह करेगा, और साथ में दूसरे पुलिस वाले इसके सबूत मिटाएंगे, यह पुलिसिया तंत्र का चेहरा दिखाने के लिए काफी है। सवाल है कि पुलिस कैसी सुरक्षा करती है अपने नागरिकों की! इससे भी शर्मनाक यह था कि इस कांड पर जम कर राजनीति हुई, इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। इसी तरह वकीलों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को आरोपपत्र दाखिल करने से रोक दिया था। ऐसे में क्या इस गरीब पीड़ित परिवार के लिए न्याय संभव हो पाता!

हाल में अलीगढ़ के टप्पल में बच्ची की हत्या, भोपाल में दस साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या जैसी घटनाओं ने शर्मसार कर दिया। उज्जैन और जबलपुर में भी दो मासूमों का बलात्कार हुआ। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि समाज में विकृतियां गहरे पैठी हुई हैं, हमारा शासन तंत्र भी कहीं न कहीं अपराधों की अनदेखी करता है। इसीलिए अपराधी बेखौफ हैं। कठुआ की घटना में अगर मिटाए गए सबूत भी अदालत के समक्ष होते तो अपराधियों को सजा कहीं ज्यादा कठोर मिलती। कठुआ कांड के दोषियों को सजा मिलना पीड़ित परिवार के लिए राहत हो सकती है, लेकिन ऐसी घटनाएं न हों और पुलिस तंत्र जिम्मेदार बने, दोषियों को बचाने के लिए किसी धर्म विशेष की ओर से रैलियां न निकाली जाएं, यह भी हमारे नीति-नियंताओं को सुनिश्चित करना होगा।

प्रतिरोध की चेतना

ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सिनेमा की दुनिया में परदे की चकाचौंध के बीच भी अपने सरोकार को बचाए रख पाते हैं। गिरीश कर्नाड उन्हीं कुछ अजीम शख्सियतों में से एक थे, जिन्होंने बेशक सिनेमा के परदे से लेकर रंगमंच तक पर कई जरूरी कहानियों को जिंदा किया, लेकिन उसके साथ-साथ दुनिया के असली सवालों से भी मुठभेड़ की और जहां भी खड़ा होना उन्हें जरूरी लगा और मुमकिन हो सका, वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जाहिर है, इस तरह का हौसला किसी शख्स के भीतर कोई एक दिन में नहीं आ जाता, बल्कि इसके पीछे बड़े जतन से लड़ी गई लड़ाइयां होती हैं, वक्त के साथ जद्दोजहद होती है और उससे पार निकल कर एक साफ नजरिए से बढ़े कदम होते हैं। गिरीश कर्नाड ने अपनी जिंदगी में तमाम ऐसी चुनौतियों और कसौटियों का सामना किया और साबित किया कि दुनिया की दीवारें और अड़चनें एक तरफ और उसके बरक्स खड़ा होना एक तरफ। यह बेवजह नहीं है कि अस्सी साल से ज्यादा की उम्र और कुछ गंभीर बीमारियों के बावजूद वे इंसानियत के हक में उठने वाली आवाजों के साथ खुद को खड़ा करने के लिए लंबी दूरी तय करके भी पहुंचते थे।

यों भी एक सच्चा कलाकार वक्त और भौगोलिक हदों के समांतर मानवीय हकों और मूल्यों को ज्यादा तरजीह देता है। 19 मई, 1938 को महाराष्ट्र के माथेरान में जन्म लेने वाले गिरीश कर्नाड ने धारवाड़ में कर्नाटक आर्ट कॉलेज से स्नातक किया था। आगे की पढ़ाई इंग्लैड में करने के बाद भारत लौटे। फिर चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में सात साल तक काम करने से लेकर शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। लेकिन फिर रंगमंच में ही उनका दिल ठहरा। इसके अलावा, वे साहित्य और फिल्मों की दुनिया के साथ अपनी रचनात्मकता को कसौटी पर कसने लगे। कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों में बराबर पकड़ रखने वाले गिरीश कर्नाड का पहला नाटक हालांकि कन्नड़ में था, लेकिन बाद में वह अंग्रेजी में भी मंच पर उतरा। थियेटर की दुनिया में मामूली दिलचस्पी रखने वाले भी 'हयवदन', 'तुगलक', 'ययाति', 'अंजु मल्लिगे', 'अग्निमतु माले', 'नागमंडल', 'अग्नि और बरखा' जैसे चर्चित नाटकों को हमेशा याद रखते हैं, जिनके विषय समाज की किसी न किसी जड़ता पर चोट करते हैं। खासतौर पर जाति और रूढ़ियों की जकड़न में बंधे समाज की बुनियाद पर उनके नाटकों ने जिस तरह प्रहार किया, वह उन्हें बरास्ते थियेटर किसी समाज सुधारक की भूमिका का परिचय देता है।

दूसरी ओर, फिल्मों की दुनिया में भी उनकी शुरुआत यूआर अनंतमूर्ति के उपन्यास 'संस्कार' पर बनी फिल्म से हुई, जो अपने आप में सामाजिक जड़ताओं से जूझने वाली रचना के तौर पर मशहूर है। समांतर सिनेमा के दौर में 'निशांत' और 'मंथन' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय में मौजूद स्वाभाविकता की खासियत ने उन्हें अलग पहचान दी और बाद में उन्होंने व्यावसायिक फिल्मों में भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन उनकी जिंदगी का सफर जिन राहों से गुजरा, उसमें उन्हें जितना रंगमंच और सिनेमा के एक शानदार चेहरे के रूप में देखा जाएगा, उससे ज्यादा वे इसलिए याद किए जाएंगे कि उनकी दुनिया जमीन पर भी उतनी ही मुखर थी। अपने समय में सत्ता के सामने प्रतिरोध के एक मुखर स्वर के रूप में वे जिस दम के साथ खड़े रहे, वह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि सुविधा के संसार की फिक्र छोड़ कर उन्होंने इंसानी मूल्यों की दुनिया, उसकी बहुलता और आजादी की चेतना का पक्ष चुना था और उसके लिए आवाज उठाने में वे कभी पीछे नहीं रहे।

कल्पमेधा

सुभाषित उन कीलों की भांति हैं जो सच्चाई को हमारी स्मरण शक्ति पर जड़ देती हैं।

-दिदरो

चुनौती बनते वायरस

संजय कुमार सिंह

पिछले कुछ सालों में जो वायरस संक्रमणजन्य बीमारियां सुनने में आई हैं उससे चिंता होती है कि इन सबके वायरस खत्म करने में कितना समय लगेगा और बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, जीका, एचआइवी-एड्स आदि से गरीब देशों की जनता कब मुक्त हो पाएगी।

केरल में इन दिनों निपाह वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआइवी) ने जांच के बाद राज्य में कुछ मरीजों के इससे संक्रमित होने की पुष्टि भी कर दी है। यह वायरस चमगादड़ों के जरिए फैलता है। इसलिए राज्य के वन विभाग को भी सतर्क कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि जानवरों के जरिए मनुष्यों में आने वाले ऐसे वायरस का मामला कितना गंभीर है और इससे बचना कितना मुश्किल। पिछले कुछ सालों में भारत, ब्राजील सहित कई विकासशील और खासतौर से अफ्रीकी देश किसी न किसी वायरस के हमले की चपेट में आते रहे हैं। चिंताजनक बात तो यह है कि वायरसों का यह हमला तेजी से होता है और जल्द ही आबादी के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लेता है। निपाह वायरस का पहला मामला भारत में 2001 में सामने आया था जब मलेशिया के जरिए यह वायरस भारत पहुंचा था। उस समय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इसके छियासठ मामले सामने आए थे, जिनमें से पैंतालीस लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए इस बार इससे बचने में पूरी सावधानी बरती जा रही है।

इससे पहले 2014 में इबोला वायरस के हमले ने भी सरकार की नींद उड़ा दी थी। हालांकि इसके प्रकोप को रोक लिया गया था। इबोला वायरस संक्रमित जानवर जैसे बंदर, सूअर या एक खास प्रजाति की चमगादड़ के खून या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलता है। माना जाता है कि चमगादड़ स्वयं प्रभावित हुए बिना इस वायरस को रखते और फैलाते हैं। जब यह संक्रमण मनुष्यों में फैल जाए तो फिर यह बीमारी मनुष्यों के बीच फैल सकती है और महामारी का रूप ले सकती है। इससे बचाव का रास्ता यही है कि संक्रमित बंदरों और सुअरों से यह बीमारी मनुष्य में न फैलने दी जाए। जानवरों में संक्रमण की जांच करके और संक्रमण पाए जाने पर उनके शरीर को समुचित तरीके से नष्ट करके ही इसकी रोकथाम की जा सकती है। पर ऐसे संक्रमित जानवरों को खत्म करना आसान नहीं है। वैसे तो इन जानवरों के मनुष्यों के बीच या उनके संपर्क में रहने का कोई कारण नहीं है, पर भिन्न कारणों से इन्हें मारने पर रोक है और वैसे भी कुत्ते-बंदर आदि आम लोगों को परेशानी का कारण बन जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके काटे से बचाव की दवा भी सरकारी अस्पतालों में आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती है।

एड्स, पोलियो, पीलिया या हेपेटाइटिस, खसरा, डेंगू, इन्फ्लूएंजा, छोटी माता आदि बीमारियां वायरस संक्रमण के कारण ही होती हैं। आंखों में ट्रेकोमा भी वायरस के कारण होता है, जबकि रेबीज कुत्ते या बंदर के काटने से होता है। मैनिनजाइटिस, हर्पीज, गलशोथ और चेचक जैसी बीमारियां विषाणुओं से फैलती हैं। इन्हें रोकने और खत्म करने की कोशिश चल रही है। चेचक को तो लगभग रोका जा चुका है और पोलियो खत्म होने के कगार पर है। फिर भी वायरसों के कारण होने वाली बीमारियां मनुष्य के लिए गंभीर चुनौती तो हैं ही।

अभी तो हम कई सालों से पोलियो का वायरस खत्म करने में लगे हैं। पिछले कुछ सालों में जो वायरस संक्रमणजन्य बीमारियां सुनने में आई हैं उससे चिंता होती है कि इन सबके वायरस खत्म करने में कितना समय लगेगा और बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, जीका, एचआइवी-एड्स आदि से गरीब देशों की जनता कब मुक्त हो पाएगी। इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि जीका वायरस का पता 1947 में युगांडा में चला था जो 2015 में लैटिन अमेरिकी देश, खासकर ब्राजील में फैल गया। 1973 के बाद से दुनिया में विषाणु से फैलने वाली तीस नई बीमारियां सामने आई हैं। वायरस से बीमारी की समस्या बहुत आम है और यह मुर्गों से भी फैलता है। तब तो मुर्गों को नष्ट कर दिया जाता है क्योंकि वे खाने के लिए होते हैं और बीमार जानवर या पक्षी का मांस खाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सरकारें ऐसे उपाय करने में नाकाम रहती हैं कि यह संक्रमित खाद्य लोगों तक न पहुंच पाए। इसी का नतीजा होता है कि संक्रमित मांस ऐसे वायरसों को तेजी से फैला देता है।

नगरों-महानगरों में मनुष्यों को परेशान करने वाले जानवर पहले कुत्ते और बंदर ही थे। अब गाएं

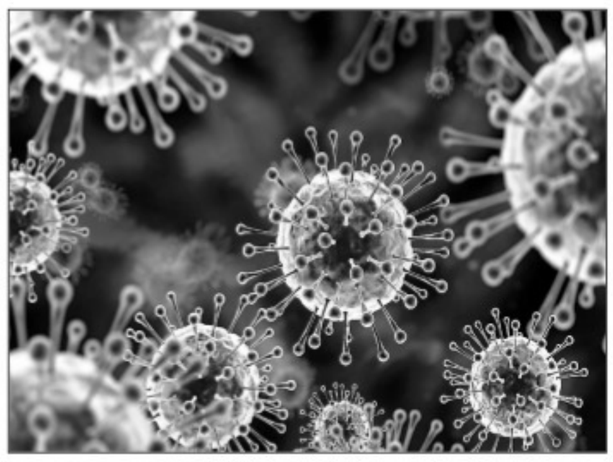

और सांड़ भी हैं। समस्या इनकी मौजूदगी नहीं है। असली समस्या इनसे बचाव के उपाय न होना है। गायों के झुंड का सड़कों पर बैठा होना बहुत आम है और इसी तरह सड़क पर कुत्ते या किसी और जानवर के चले आने से दुर्घटनाएं आम हैं। जब हम इनसे बचने के साधारण और लगभग जरूरी उपाय नहीं कर पाते हैं तो कभी-कभी होने वाले वायरस से निपटने के उपाय कमजोर होंगे ही। यह सही है कि जानवरों को भी जीने का हक है और मनुष्य अपनी शक्ति व योग्यता का उपयोग कर उन्हें मार दे, यह उचित नहीं है। पर इनसे बचाव के उपाय तो होने ही चाहिए। जब बचाव के उपाय मार देने से महंगे हों तो ये उपाय सरकार को ही करने चाहिए। पर इसमें सरकारी लापरवाही साधारण नहीं है।

वैसे तो संक्रामक रोग किसी को और कभी भी हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर बरसात में संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। हालांकि इसका संबंध वर्षा से कम, साफ सफाई से ज्यादा है। साफ-सफाई पर्याप्त नहीं होने के कारण बरसात में हर तरफ गंदगी व सड़ांध फैली होती है। वायरस संक्रमण के लिए यही सबसे उपयुक्त काल होता है। गरीब देश के लोग मौसम की मार से वैसे ही त्रस्त होते हैं और अच्छा खान-पान न होने के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। इसलिए, बरसात में ये वायरस जनित बीमारियां ज्यादा फैलती हैं और अमूमन ऐसा गरीब देशों में होता है। तकनीकी तौर पर कहा जा सकता है कि सावधानी बरत कर काफी हद तक इनसे बचना संभव है। सफाई तो हम अपनी और अपने घर की कर सकते हैं, लेकिन घर के आसपास और सड़क, नाले, बाजार और अस्पतालों से निकलने वाला कचरा गंभीर समस्या है। सरकारें और स्थानीय निकाय इसके प्रति लापरवाह ही रहते हैं।

एक बड़ी समस्या शिक्षा और अफवाहों से बचने की भी है। शिक्षा न होने के कारण लोग अफवाहों के फेर में आसानी से पड़ जाते हैं और इसका असर होता है कि जिन बीमारियों और वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण या दवाइयां उपलब्ध हैं, लोग उनका भी सेवन नहीं करते हैं। सरकारी अभियान का विरोध भी होता है और सरकार इसका ढंग से मुकाबला भी नहीं कर पाती है। इससे नुकसान यही होता है कि सारी समस्याएं टलती जा रही हैं और अनुकूल स्थिति का इंतजार किया जा रहा है।

भारत में जानलेवा बीमारियों के वायरस आते रहते हैं। दूसरे देशों से आए संक्रमित लोगों, खाद्य पदार्थों या फिर अन्य किसी तरह से, भारत में ऐसे वायरसों का हमला होता रहा है। बस, बात यही है कि कुछ अपना काम कर जाते हैं, कुछ बेअसर रहते हैं। लेकिन पूरी सरकारी मशीनरी को तो सतर्क होना ही होता है। पिछले साल इन्हीं दिनों दक्षिण भारत के राज्यों में निपाह वायरस की चर्चा थी। तब इस वायरस और इस कारण होने वाली बीमारी से बचने का टीका नहीं था। हालांकि इससे बचने के उपाय बताए गए थे, लेकिन इसे देश भर में समय रहते आम आदमी तक पहुंचाना भारी मुश्किल है। ऐसे में वायरसों से होने वाला संक्रमण एक बड़ी चुनौती तो है ही।

बाजार में नैतिकता

सन्नी कुमार

दुनिया मेरे आगे

कोई संदेश अपने आप में कितना भी निर्दोष या बेहतरीन क्यों न हो, लेकिन संदिग्ध संदेशवाहक उसके औचित्य को संदेहास्पद बना ही देता है। मसलन, कोई हथियार सौदागर शांति के महत्त्व पर भले ही खूब अच्छी बातें कर लेता हो, मगर इस मामले में उसकी नैतिकता संदिग्ध ही रहेगी, क्योंकि उसका व्यापार ही शांति के विरोध में है। इसी प्रकार, जब बाजार की कोई एजेंसी स्त्री समानता जैसे 'बोझ' को अपने कंधे पर ढोने का दावा करती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी नीयत पर शक होता है। जिसका अस्तित्व ही स्त्रियों के वस्तुकरण पर टिका है, वह आखिर क्यों इसके विरुद्ध काम करेगा! दरअसल, आजकल 'कॉन्ट्रासेप्टिव' बनाने वाली एक कंपनी 'ऑर्गेज्म इनइक्वलिटी' को लेकर अभियान चला रही है। हालांकि पश्चिमी देशों में काफी समय से इसे लेकर बात हो रही है। लेकिन ताजा अभियान का केंद्र जिनके हाथों में है, उसमें इसके उद्देश्य को लेकर कुछ संशय स्वाभाविक है। इस संदर्भ में बरबस एक प्रसंग याद आता है।

बीसवीं सदी के शुरुआती दशक में पश्चिमी दुनिया नारीवाद की पहली लहर महसूस कर रही थी। इसी दौर में वहां 'टॉर्च ऑफ फ्रीडम' नाम से एक आंदोलन चला जो स्त्री-पुरुष समानता स्थापित करने के उद्देश्य से स्त्रियों में धूम्रपान को बढ़ावा देने की बात करता था। इस आंदोलन का मानना था कि ऐसा करने से उस 'सामाजिक निषेध' का प्रतिकार होगा जहां सिगरेट पीना पुरुषों के लिए ठीक, पर महिलाओं के लिए बुरा माना जाता था। स्त्रियां हाथ में जलती सिगरेट लेकर जुलूस निकालती थीं और इसे 'अधिकारों की मशाल' भी कहा गया। अब इस मशाल से स्त्रियों की दुनिया जगमगाई या उनका देह ही जली, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मगर एक यह तथ्य उस समूचे आंदोलन को सवालों के घेरे में खड़ा करता है कि इस आंदोलन को हवा देने वाला एडवर्ड बर्नेस ऐसा किसी समानता को प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक सिगरेट कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए कर रहा था। इसका उद्देश्य समानता स्थापित करना नहीं था। इसी तरह, वर्तमान में जब बाजार की एजेंसी कोई दावा कर रही है तो उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी हो जाता है।

दरअसल, समय के साथ बाजारवाद ने अपने हिसाब से मानव जीवन के मानक को निर्मित कर देने में काफी सफलता प्राप्त कर ली है। विषुवतीय प्रदेश के लोगों में गोरा होने को सुंदर होने का पर्याय माने जाने का सौंदर्यबोध विकसित करना हो या आमतौर पर 'फिट' होने के नाम पर स्वस्थ शरीर को एक विशेष आकार में ढली शारीरिक संरचना से प्रतिस्थापित कर देना हो, बाजारवाद की सफलता चारों ओर देखी जा सकती है। दिलचस्प है कि बाजारवाद अपने ऐसे हर कदम का औचित्य सिद्ध करने के लिए कोई न कोई नैतिक सहारा अवश्य लेता है। कभी यह सुंदरता, कभी स्वस्थ जीवन तो कभी रूढ़ियों के निषेध की ओट में यह अपना हित साधने की कोशिश करता है। इसी तरह, यौन विषयों से संबंधित अपने उत्पाद की बिक्री का औचित्य सिद्ध करने के लिए वह इसे लेकर प्रचारित भ्रांतियों को दूर करने का दावा करता है। यह ठीक है कि भारत जैसे देश में अभी भी यौन विषयों पर अपेक्षित सहजता नहीं है, लेकिन इसे ठीक करने का जिम्मा उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, जिनका उद्देश्य भ्रांतियों का शमन नहीं, उत्पाद बेचना हो या उसके लिए आधारशिला तैयार करनी हो।

जहां तक 'ऑर्गेज्म इक्वलिटी' की धारणा का सवाल है तो यह एक तरह से नितांत निजी मानवीय क्षणों में बाजार के प्रवेश कर जाने जैसा है। यहां इस अंतर को समझना होगा कि इन निजी क्षणों में दोनों जेंडर की समान भागीदारी एक अनिवार्य शर्त है, मगर इसे निर्धारित करने का नैतिक हक बाजार को दे देना एक बिल्कुल नए तरह की समस्या को जन्म देना है। हमें समझना होगा कि एक तरफ जहां सामाजिक रूढ़ियां यौन संबंध में सहमति से लेकर तमाम अन्य पक्षों में स्त्रियों को समानता से वंचित करती हैं तो दूसरी ओर बाजार यौनिक अनुभूति के कृत्रिम मानक बना कर शोषण के नए नियम बनाता है। समानता स्थापित करने के लिए दोनों के चेहरे पर पड़ा पर्दा हटाना होगा। बाजार ने संबंधों में खुलेपन के नाम पर लगातार जिस तरह की अपेक्षाओं को विकसित करने की कोशिश की है, उसमें पोर्न इंडस्ट्री या अश्लील फिल्मों के कारोबार ने प्रभावी भूमिका निभाई है। इसलिए बाजार की ऐसी हर कोशिश को काफी सावधानी से परखने की जरूरत है।

स्त्री-पुरुष के बीच समानता स्थापित करने का दावा करने वाले ऐसे आंदोलन दरअसल मूल प्रश्न तक कभी जाते ही नहीं। दरअसल, इसका सबसे उचित समाधान जीवन के विविध क्षेत्रों और मानसिक दृढ़ता के स्तर पर स्त्री-पुरुष समानता है, ताकि वे अपने हक में बेहतर निर्णय ले सकें, न कि किसी कंपनी का ऐसा मानक, जिसे पाने के लिए उसका उत्पाद खरीदना जरूरी हो जाए। बाजार मानव जीवन की निजता में न घुस पाए, इसके लिए समाज को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। समाज अपनी भूमिका में जितना कमजोर होगा, बाजार को उतना ही मौका मिलेगा और उसका हस्तक्षेप उतना ही मजबूत होगा। समय के साथ यह नैतिक भी लगने लगेगा।

दरिंदगी के विरुद्ध

दरिंदगी को अक्सर हम युगों से जोड़ कर नापते हैं। इसे नापेंगे तो हमें मध्ययुग के पीछे उस कालखंड में जाना पड़ेगा जो सभ्यताओं के भी पीछे का आदिम युग कहलाता है। हजारों हजार वर्षों का सफर तय करने के बाद भी दहशत और पशुता का वही चेहरा फिर-फिर हकीकत बन कर सामने आ खड़ा होता है। और तिस पर हम अपने-अपने चश्मे लगा कर इन घृणित और विद्रूप चेहरों को शर्मनाक तरीके से बांटने और छांटने लगते हैं। कुछ चुनी हुई मिसालों को आगे रख कर उस खेमे के लोग इन पर हिंदू सांप्रदायिकता या हिंदू बहुसंख्यकवाद का ठप्पा लगा देते हैं, तो कुछ खास घटनाओं को अलग करके इस खेमे के लोग उछल पड़ते हैं कि देखा, मैंने पहले ही कहा था इस्लाम बर्बरता और वहशत का पर्यायवाची है!

आप देखेंगे तो इस तरह की विडंबना पूर्ण घटनाओं में जबरदस्त 'सर्वधर्म समन्वय' दिखाई देगा। कहीं गुजरात दंगे, कहीं निर्भया, कहीं कठुआ तो कहीं अलीगढ़ की दरिंदगी की शिकार बच्चियां नजर आएंगी। सुदूर अतीत में जाने पर विभाजन के वक्त में मासूमों के खून से रंगे सरहदी इलाके दिखाई देंगे। समझ नहीं आता कि इन लोम सिहरक घटनाओं को अंजाम देने के जुनूनी, आदमखोर और हृदयहीन क्षणों में कोई व्यक्ति या समूह किसी मजहब के दर्शन का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? और अगर उसे प्रतिनिधि मान लिया जाए तो इससे क्या यह बात साबित नहीं हो जाती है कि सभी मजहब वहशत को रोकने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं? अगर आपके और हमारे दिलों में सभ्य मानव समाज के लिए जरा भी चिंता बाकी है तो हमें आज से ही, बल्कि अभी से तमाम मजहबी ढकोसलों को बंद कर देना चाहिए। ऐसे में कवि कुमार विकल की कुछ पंक्तियां शिद्दत से याद आने लगती हैं- 'मैं चाहे कृपाण से मरूं या त्रिशूल से/ या किसी भीड़ से/ लेकिन मरने से पहले/ चिल्लाऊंगा जरूर/ कि मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना!'

आपको लग रहा होगा कि यह एक अतिवादी स्थापना है। लेकिन यह स्थापना उसी संकुचित सोच की अनिवार्य तार्किक परिणति है जिसके तहत हम ऐसे घृणित कृत्यों को धर्म या मजहब से जोड़ कर देखने और दिखाने लगते हैं। या फिर एक दूसरा रास्ता यह बचता है कि ऐसे कृत्यों को धर्म से जोड़ने के बजाय इन्हें मानवता विरोधी कृत्य के तौर पर देखा जाए और सभ्यता के पक्ष में खड़े होकर पुरजोर तरीके से ऐसी बर्बरताओं को एक सुर से खारिज किया जाए!

● *राहुल मिश्रा, विकास कॉलोनी, चिरगांव, झांसी*

धनतंत्र

भारत में चुनाव कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जनसंख्या उस चुनौती को और बढ़ा रही है। चुनाव खर्च 62 साल में 370 गुना बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस खर्च ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को पीछे छोड़ दिया है। बढ़ते चुनाव खर्च को देखते हुए इस बात पर चिंता व्यक्त की जाने लगी है कि क्या संसद में सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं, जिनके पास पैसा है? क्या अमीर ही जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? इन सबके लिए चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में है जिसने चुनाव आचार संहिता के नियम 90 में हाल ही में परिवर्तन किया है। आयोग ने लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ा दिया है। अगर चुनाव खर्च पर लगाम नहीं लगाई गई तो लोकतंत्र सिर्फ पैसे वालों का तंत्र बन कर रह जाएगा।

● *तानिया पाठक, केएमवी, जालंधर*

घाटे का खत

लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जहां तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 'जय श्रीराम' लिखे दस लाख पोस्टकार्ड भेज रहे हैं तो वहीं तृणमूल कांग्रेस, भाजपा के नेताओं को 'जय बांग्ला, जय काली' लिखे बीस लाख पोस्टकार्ड भेज रही है। इस पूरी सियासी कवायद में लगभग 30 लाख पोस्टकार्ड दोनों दल एक-दूसरे को भेज रहे हैं। एक खबर के अनुसार दोनों दलों की इस राजनीतिक लड़ाई में केंद्र सरकार को 3.53 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह पैसा देश की जनता का है जिससे दोनों दल अपना सियासी हित साध रहे हैं।

डाक विभाग की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पोस्टकार्ड पर सरकार की लागत 12.15 रुपए आती है लेकिन वह जनता के हित के लिए इसे सिर्फ पचास पैसे में भेजती है। यानी हर पोस्टकार्ड पर सरकार को 11.75 रुपए का घाटा उठाना पड़ता है। यह घाटा सरकार जनता को सुविधा देने के लिए उठाती है। अब अगर दोनों दल अपनी राजनीतिक लड़ाई पोस्टकार्ड के जरिए लड़ेंगे तो इससे केंद्र सरकार को 3.53 करोड़ रुपए का घाटा होगा। इसी साल अप्रैल में खबर आई थी कि डाक विभाग भारी घाटे में है। बताया गया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय डाक का घाटा सबसे अधिक हो गया है। 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक 1854 से चल रहे भारतीय डाक में घाटे के कारणों में से एक पोस्टकार्ड, पार्सल, बुक पोस्ट, स्पीड पोस्ट और दूसरी सेवाओं में दी जानी वाली सब्सिडी भी है।

● *प्रियंवदा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश*

हिंदी के सहारे

यदि हिंदी की उपयोगिता को देखते हुए उसके प्रचार-प्रसार की कोई पहल की जाती है तो आखिर इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आपत्ति करने वालों को इस सच्चाई से परिचित होना चाहिए कि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए हिंदी एक आवश्यकता बन गई है। आज जब नौकरी, व्यापार आदि के कारण हर प्रांत के लोगों की देश के दूसरे हिस्सों में आवाजाही और साथ ही बसाहट बढ़ती जा रही है तब यह समय की मांग है कि संपर्क भाषा का पर्याय बन गई हिंदी को सहर्ष अपनाया जाए। कई राज्यों ने ऐसा ही किया है और इनमें अरुणाचल सबसे बढ़िया उदाहरण है। इस उदाहरण की अनदेखी करना सच से मुंह मोड़ना ही है।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर, बिहार*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

जरा हट के

श्रीनगर के पास खीर भवानी मंदिर में वार्षिक समारोह के दौरान दूध से भरे पात्रों में रखीं ताजा गुलाब की पंखुड़ियां।

बोल

राष्ट्रपति पुतिन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। हमने फैसला किया है कि हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को नए उच्च स्तर तक ले जाएंगे। आपसी सहयोग और सहायता को बढ़ाएंगे तथा एक नए युग में अपने संबंधों को बढ़ावा देंगे।

-शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति (बयान में)

विवाद

लंदन के मेयर के तौर पर बेहद खराब काम करने वाले सादिक खान ने अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से दुष्टता की। वे असंवेदनशील किस्म के विफल व्यक्ति हैं, जिनहें लंदन में हो रहे अपराधों पर ध्यान देना चाहिए, मुझ पर नहीं। -डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति (ट्विटर पर)

सम-सामयिक

अंतरिक्ष युद्धाभ्यास: सैन्यीकरण की होड़, भारत का जोर सुरक्षा पर

जनसत्ता संवाद

भारत में मिसाइल का परीक्षण किया गया। इससे साफ हो गया कि अंतरिक्ष में सैन्य ताकत बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। इसके ठीक दो महीने बाद हाल में रक्षा मंत्रालय से इस आशय की खबरें आईं कि जुलाई में अंतरिक्ष में युद्धाभ्यास की तैयारी की जा रही है। भारतीय सेना में हाल में इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया 'ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एजंसी'। अंतरिक्ष में युद्धाभ्यास की योजना का नाम दिया गया है 'इंडस्पेसएक्स'।

इस युद्धाभ्यास में सैन्य और वैज्ञानिक समुदाय के लोग हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, 'अंतरिक्ष का सैन्यीकरण हो रहा है, साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी अंतरिक्ष और काउंटर-स्पेस क्षमताओं का आकलन करना है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा का आकलन भी होगा।'

दरअसल, अंतरिक्ष में अमेरिका, चीन रूस जैसे देशों ने जिस तरह से अपने जासूसी उपक्रम की पैठ बढ़ाई है और मारक क्षमता विकसित की है, उसके मद्देनजर भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा को लेकर प्रभावी तंत्र विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। अरसे से माना जा रहा था कि भारत को अंतरिक्ष में विरोधियों पर निगरानी, संचार, मिसाइल की पूर्व चेतावनी और सटीक लक्ष्यवेध में निपुणता हासिल करने की जरूरत है। एक अधिकारी के मुताबिक, ऐसे में 'इंडस्पेसएक्स' हमें अंतरिक्ष में रणनीतिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, जिन्हें संभालने की आवश्यकता है।

एमीसेट की नजर

इसके पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो ने अप्रैल में पीएसएलवी- सी 45 का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ सैन्य उपग्रह 'एमीसेट' और अन्य विदेशी क्षुद्र उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। एमिसेट का वजन 436 किलोग्राम है। यह डीआरडीओ का 'इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस सैटेलाइट' है। इससे दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। एमिसेट से राडार और सेंसर्स पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी।

भारत के लिए कितना जरूरी

चीन ने संचार, नौवहन, पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम समेत विभिन्न मकसद से लगभग सौ से ज्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। भारत अभी तक इस तरह के किसी कार्यक्रम की बराबरी नहीं कर पाया है। भारतीय सशस्त्र बल अब भी दो सैन्य उपग्रहों के अलावा, निगरानी, नौवहन और संचार उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर दोहरे उपयोग वाले रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग करते हैं।

ऐसे में भारत ने 'मिशन शक्ति' के तहत पहला कदम उठाया। पृथ्वी की कक्षा में 283 किमी की ऊंचाई पर 740 किलोग्राम की माइक्रोसेट-आर उपग्रह को नष्ट करने के लिए 19-टन की इंटरसेप्टर मिसाइल 27 मार्च को छोड़ा गया। डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी भारत अंतरिक्ष रोधी क्षमताओं को विकसित कर रहा है, जैसे कि निर्देशित ऊर्जा हथियार, लेजर, ईएमपी आदि, जिससे इलेक्ट्रॉनिक हमलों से अपने उपग्रहों की रक्षा कर सके।

चीन की अंतरिक्ष ताकत

चीन ने अंतरिक्ष में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई है। चीनी सेना अलग से कई यूनिटों को गठित किया है, जिन्हें अंतरिक्ष में हमलों के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। अमेरिका की 'डिफेंस इंटेलीजेंस एजंसी' प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी अंतरिक्ष में हमलों के लिए प्रशिक्षित मिलिटरी यूनिटों को बना चुकी है। चीन 'हाई अर्थ ऑर्बिट' में 37,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मार कर सकने वाली मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2007 से ही अंतरिक्ष से अमेरिका और यूरोपियन देशों की जासूसी में शामिल है। 2007 से ही अमेरिका और यूरोप के खिलाफ साइबर जासूसी में शामिल है।

शोध-अनुसंधान

प्लास्टिक कचरे से बनेगा विमान का ईंधन

जनसत्ता संवाद

वैज्ञानिकों ने रोजाना घरों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे (पानी की बोतल, प्लास्टिक बैग आदि) से निजात पाने का एक अनोखा तरीका विकसित किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, नई तकनीक के जरिए प्लास्टिक कचरे से जेट विमानों का ईंधन बनाया जा सकता है।

अमेरिका में वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी (डब्ल्यूएसयू) के शोधकर्ताओं ने जेट ईंधन के उत्पादन के लिए प्लास्टिक कचरे को सक्रिय कार्बन के साथ उच्च तापमान पर पिघलाया। डब्ल्यूएसयू में एसोसिएट प्रोफेसर हनवु लेई के मुताबिक, दुनिया भर में प्लास्टिक कचरा बहुत बड़ी समस्या है। इस कचरे को रिसाइकल कर उपयोग में लाने का सबसे अच्छा तरीका विकसित किया गया है। 'अप्लाइड एनर्जी' जर्नल में प्रकाशित शोध में बताया गया कि इस तकनीक में कम घनत्व की पॉलीथिन, पानी और दूध की बोतलों, प्लास्टिक बैग आदि को तीन मिलीमीटर तक के छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद प्लास्टिक के इस कचरे को एक ट्यूब रिएक्टर में 430 डिग्री सेल्सियस से लेकर 571 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सक्रिय कार्बन के ऊपर रखा जाता है।

कार्बन एक उत्प्रेरक होता है, जो रासायनिक क्रिया को बढ़ावा देता है। प्लास्टिक का केमिकल बांड को तोड़ना कठिन होता है, इसलिए इसमें उत्प्रेरक को शामिल करना पड़ता है। प्लास्टिक में बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, जो ईंधन के प्रमुख घटक होते हैं। इतने तापमान पर जब कार्बन उत्प्रेरक काम करता है तो प्लास्टिक के घटक अलग-अलग हो जाते हैं। विभिन्न तापमानों में कई अलग-अलग उत्प्रेरकों के साथ परीक्षण करने के बाद शोधकर्ताओं ने 85 फीसद जेट ईंधन और 15 प्रतिशत डीजल ईंधन प्राप्त किया। शोधकर्ताओं ने पानी की बोतलों, दूध की बोतलों, प्लास्टिक बैग आदि जैसे उत्पादों को तीन मिलिमीटर या चावल के दाने जितना महीन पीस लिया। इन दानों को एक ट्यूब संयंत्र में 430 से 571 डिग्री सेल्सियस जैसे उच्च तापमान पर एक एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर रखा गया। इसमें आगे की शोध जारी है। अगर बड़े स्तर पर यह शोध कामयाब होता है तो पर्यावरण बचाने की मुहिम में बड़ी कामयाबी होगी।

वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी (डब्ल्यूएसयू) के शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक के कचरे को एक ट्यूब रिएक्टर में 430 डिग्री सेल्सियस से लेकर 571 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सक्रिय कार्बन के ऊपर रखा। विभिन्न तापमानों में कई अलग-अलग उत्प्रेरकों के साथ परीक्षण करने के बाद 85 फीसद जेट ईंधन और 15 फीसद डीजल ईंधन प्राप्त किया।

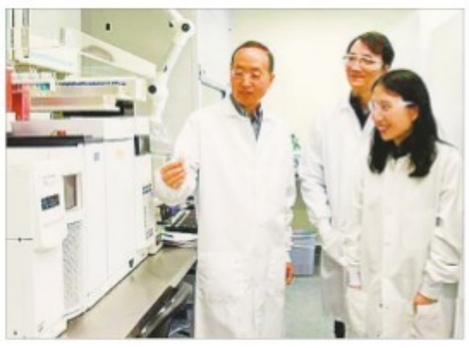

वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की शोध टीम

भारत में भी इस तरह के आंशिक प्रयोग के दावे सामने आए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून ने एक ऐसे ही प्रयोग को सत्यापित किया है। इंदौर की संस्था ग्रीन अर्थ इनोवेशंस (जीईआई) ने दावा किया है कि हमने प्लास्टिक से ईंधन बनाने के लिए रसायनिक प्रक्रिया को पलट दिया है। प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन का उत्पाद है। हमने अपनी तकनीक में एक उत्प्रेरक के जरिए प्लास्टिक का डी-पॉलीमराइजेशन करते हुए उससे तेल उत्पादन की प्रक्रिया ईजाद की है। इस संस्था के मनोज शर्मा के मुताबिक, हमारी तकनीक के जरिए प्लास्टिक से निकाले गए ईंधन का प्रयोग भारत स्टेज-2 वाहनों को चलाने में किया जा सकता है। इसके अलावा डीजी सेट्स संचालन, भारी पंप, हॉट मिक्स प्लांट आदि चलाने जैसे औद्योगिक कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक कचरे से निकाला गया ईंधन डीजल के समतुल्य होता है। मनोज शर्मा और जादवपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर नीलाचल भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर के बाहरी क्षेत्र में 10 मीट्रिक टन क्षमता का प्लांट स्थापित किया है। वहां प्रायोगिक तौर पर वाहनों के लिए ईंधन विकसित करने का काम चल रहा है।

विश्व परिक्रमा

इफ्तार पार्टी में मेहमानों से बदसलूकी

रविवार, 02 जून : इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की इफ्तार पार्टी में पहुंचे मेहमानों के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों ने बदसलूकी की। सेरेना होटल में इफ्तार पार्टी आयोजित की थी।मेहमानों को पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने परेशान किया। भारत ने इस घटना के विरोध में प्रतिवाद पत्र (डिमार्शे) जारी किया।

बोइंग विमानों में नई गड़बड़ी सामने आई

सोमवार, 03 जून : अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के विमानों में नई तरह की गड़बड़ी का पता चला है। अमेरिका की संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) के मुताबिक, 737 श्रृंखला और उससे पहले के बोइंग विमानों में भी अनुचित तरीके से बनाए गए कलपुर्जे लगे हो सकते हैं।

श्रीलंका के सभी मुसलिम मंत्रियों का इस्तीफा

मंगलवार, 04 जून : बौद्ध धर्म की बहुलता वाले श्रीलंका में आतंकी धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद मुसलिम समुदाय को निशाने पर लिए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके चलते श्रीलंका सरकार में शामिल नौ मुस्लिम मंत्रियों ने बीते मंगलवार को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।

नरेंद्र मोदी

महारानी ने मैकेनिक का काम किया : ट्रंप

बुधवार, 05 जून : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लैंड की यात्रा के दौरान ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बारे में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने महारानी के राजमहल बकिंघम पैलेस में दिए गए भोज के दौरान उल्लेख किया कि दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान महारानी (एलिजाबेथ) मैकेनिक का काम किया करती थीं।

मोदी और इमरान की मुलाकात नहीं होगी

गुरुवार, 06 जून : इसी महीने आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान के साथ अलग से कोई मुलाकात नहीं करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है।

55 लोगों की हत्या की बात मानी

शुक्रवार, 07 जून : जमनी में नर्स का काम करने वाले एक शख्स ने 55 मरीजों की हत्या करने की बात मानी है। इस नर्स का नाम नील्स होएगल है।

मोदी को मालदीव का सर्वोच्च सम्मान

शनिवार, 08 जून : मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन से सम्मनित किया। उन्हें इस सम्मान से वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने सम्मानित किया।

जानें-समझें

मंत्रिमंडलीय समितियां

नीति नियमन का विशेष अधिकार

दीपक रस्तोगी

केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल की समितियां कितनी महत्त्वपूर्ण होती हैं- इसे लेकर देश में कभी ऐसी चर्चा नहीं हुई, जैसी पिछले कुछ दिनों से हो रही है। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह मंत्रिमंडल समितियों का पुनर्गठन करने के साथ ही पहली बार आर्थिक विषयों- निवेश एवं विकास और रोजगार एवं कौशल विकास पर दो नई मंत्रिमंडल समितियों का गठन किया। इस तरह से सरकार में मंत्रिमंडल समितियों की संख्या बढ़ कर आठ हो गई है। समितियों के गठन में प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के 'मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस' के फार्मूले को दोहराया है।

कैसे होता है गठन

मंत्रिमंडल समिति का गठन आमतौर पर प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्री परिषद भी इनका गठन कर सकती है। प्रधानमंत्री अधिकांश समितियों के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री यह भी तय कर सकते हैं कि जिन मामलों की चर्चा विशिष्ट मंत्रिमंडल समिति में हुई हो उसकी चर्चा मंत्रिमंडल की मुख्य बैठक में की जाए या नहीं। समिति की मुख्य भूमिका सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि से संबंधित महत्त्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करना और अंतिम रूप देना है। समितियों में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल किए जाते हैं। मंत्रिमंडल समितियां अस्थाई हैं। मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श कर फैसलों के अलावा, ये समितियां सरकार को अपने नेताओं के साथ-साथ अपने सहयोगियों को भी अच्छी जिम्मेदारी देने में मदद करती हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो वे उन सांसदों को शामिल कर सकते हैं जो विशेष आमंत्रित सूची के तहत कैबिनेट में नहीं हैं। सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री जरूरत के आधार पर जितनी चाहें उतनी समितियां स्थापित कर सकती है।

समितियों की लंबी परंपरा

वर्ष 1948 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान केवल दो मंत्रिमंडल समितियां बनाई थीं- राजनीतिक और आर्थिक समिति। इसके बाद सूची में तीन और समितियां जोड़ी गईं- सुरक्षा, नियुक्तियां और आवास। 70 के दशक के अंत में इंदिरा गांधी के दौर में ऐसी समितियों की संख्या बढ़ गई थी। 1994 में जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, तब 13 मंत्रिमंडल समितियां थीं। डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के समय में 12 कैबिनेट समितियां थीं। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने अधिकांश समितियों को खत्म कर दिया और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक मामलों, संसदीय मामलों, नियुक्तियों और आवास सहित प्रमुख छह समितियों को बरकरार रखा। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने दो नई समितियों को जोड़ा- निवेश एवं विकास और रोजगार एवं कौशल विकास। इससे पहले 2013 में भी सरकार ने परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए निवेश पर कैबिनेट समिति का गठन किया था, जिसे 2014 में मोदी सरकार ने खत्म कर दिया था।

मंत्रिमंडल और संसदीय समितियां

भारत सरकार ने वर्ष 1961 से मंत्रिमंडल समितियों के गठन की शुरुआत की थी और इसके लिए कानून की भी व्यवस्था की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, 1961 यानी टीबीआर लाया गया था। सरकार दो तरह की समितियां बनाती है- एक मंत्रिमंडल समिति और, दूसरी संसदीय समिति। संसदीय समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है। जबकि मंत्रिमंडल समिति में सिर्फ मंत्रिपरिषद के सदस्य ही होते हैं।

प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार

जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन और मंत्रालयों का बंटवारा प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है उसी तरह से मंत्रिमंडल की समितियों का गठन भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। राजनीतिक मामलों की समिति नीतिगत फैसलों के मामले में महत्त्वपूर्ण होती है। यह समिति केंद्र और राज्य से संबंधित मुद्दों के अलावा विदेश मामलों के उन नीतिगत मसलों पर फैसला करती है जो सीधे तौर पर आंतरिक या बाहरी सुरक्षा से जुड़े नहीं होते हैं। सीसीपीए का दायित्व उन बड़े आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श कर नीतिगत फैसला करना होता है, जिनका दूरगामी प्रभावी देश पर पड़ सकता है। वास्तव में यह समिति ही तय करती है कि सरकार का फोकस किन पर ज्यादा होगा। इसलिए इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करते हैं।

जानकारों की राय

मंत्रिमंडल के कुछ चर्चित फैसले

मंत्रिमंडल समितियों ने कई चर्चित फैसले लिए हैं, जिनके दूरगामी असर हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में सुरक्षा पर समिति (सीसीएस) ने 58,000 करोड़ रुपए के रफाल विमान सौदे को आगे बढ़ाया। 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2014-15 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी थी।

रोजगार के अवसर पैदा हों, इसकी जरूरत है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी तो मांग बढ़ेगी, मांग होगी तो क्षमताओं का उपयोग होगा और उद्योग का लाभ बढ़ेगा। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आसान नहीं होता। पुख्ता नीति तैयार करनी ही होगी। अगर उद्योग या एफएमसीजी उत्पादों की मांग बढ़ती है इससे उद्योग का पहिया स्वत: चल पड़ेगा। मांग बढ़ानी होगी। नई मंत्रिमंडल समितियों से उम्मीद बंधी है।

- सिराज हुसैन, पूर्व आइएएस

भारत के संदर्भ में बेरोजगारी कि प्रवृत्ति मूलत: संरचनात्मक है। बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार के अवसर नहीं मिलते, जिससे कि उन्हें नियमित रूप से कुछ आमदनी होती रहे। हम रोजगार विहीन प्रगति कर रहे हैं। साथ ही सवाल सिर्फ रोजगार का ही नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण रोजगार का भी है। ऐसे में नवगठित समितियों को सधे कदम उठाने होंगे।

- बिबेक देबरॉय, अर्थशास्त्री

व्यक्तित्व

अपूर्वी चंदेला : निशानेबाजी में पहली भारतीय विश्व चैंपियन

जनसत्ता संवाद

भारतीय शूटर अपूर्वी चंदेला कुछ समय से खबरों में हैं। हाल ही में अपूर्वी 10 मीटर एअर राइफल कैटेगरी में दुनिया की शीर्ष निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 26 मई को जर्मनी के म्यूनिख में 10 मीटर एअर राइफल का गोल्ड 0.1 प्वाइंट से अपने नाम किया है। उन्होंने 2022 के ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है।

अपूर्वी चंदेला ने फाइनल में 251 अंक लिए, वहीं उनकी प्रतिद्वंद्वी चीन की वांग लुयाओ ने 250.8 का स्कोर कर रजत पदक जीता। तीसरे नंबर पर चीन की झू होंग रहीं। उन्होंने 229.4 के स्कोर के साथ कांस्य जीता। अपूर्वी ने अपनी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए 30 अप्रैल को शाम 6:32 पर ट्वीट किया, 'वर्ल्ड नंबर एक का मुकाम आज मैंने अपने शूटिंग करिअर में हासिल किया।' अपूर्वी का इस साल यह दूसरा स्वर्ण पदक है।

जयपुर की इस अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज ने इससे पहले इस साल फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित आइएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भी महिलाओं की 10 मीटर एअर राइफल स्पर्धा में विश्व रेकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। उन्होंने 252.9 के विश्व रेकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। पिछले साल गोल्डकोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। अपूर्वी चंदेला की गिनती उन एथलीटों में होती है, जो सुर्खियों से दूर रहना पसंद करती हैं, क्योंकि वे अपना सारा फोकस अपने खेल पर रखना चाहती हैं। अपूर्वी चंदेला का जन्म जयपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम कुलदीप सिंह चंदेला और माता का नाम बिंदू राठौर हैं। अपूर्वी की स्कूली शिक्षा जयपुर से ही हुई। आगे की पढ़ाई के वे दिल्ली आईं और दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से समाजशास्त्र में स्नातक किया। इसके बाद उनके खेल करिअर की शुरुआत हुई। 2012 में, चंदेला ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एअर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जो सीनियर सर्किट में उनका पहला वर्ष था। 2004 में उन्होंने हेग में इंटरशूट चैंपियनशिप में चार पदक जीते, जिसमें दो व्यक्तिगत और दो टीम पदक शामिल थे। उसी वर्ष ग्लासगो में उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें फाइनल में उन्हें 206.7 अंक हासिल किया।

चंदेला महिलाओं के 10 मीटर एअर राइफल स्पर्धा में 2016 रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई हुई थीं, जहां वे 51 प्रतियोगियों में से क्वालिफिकेशन राउंड में 34वें स्थान पर रहीं। 2018 एशियाई खेलों में, उन्होंने 10 मीटर एअर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट के लिए रवि कुमार के साथ जोड़ी बनाई और कांस्य पदक जीता। अपूर्वी चंदेला ने नई दिल्ली में 2019 आइएसएसएफ विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने विश्व कप 2019 में महिलाओं की 10 मीटर एअर राइफल में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अपूर्वी ने बहुत कम समय में यह मुकाम हासिल कर लिया है।

एससीओ में पुतिन से भी मिलेंगे मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 जून।

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 13-14 जून को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी द्विपक्षीय बैठक तय हो गई है।

प्रधानमंत्री मोदी की वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक का एजंडा विदेश मंत्रालय ने तैयार कर लिया है। इससे पहले रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मोदी की मुलाकात की अधिकारियों ने पुष्टि की थी। सोमवार को विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) गीतेश सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एससीओ बैठक से इतर चीन के राष्ट्रपति शी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वहां आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन वे किसी देश विशेष के बारे में बात नहीं करेंगे। बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आतंकवाद के बढ़ते खतरे सहित क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों से निपटने के बारे में भारत के रुख को स्पष्ट करने की उम्मीद है। मोदी की कई और राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें हो सकती हैं। इस आशय के कई प्रस्तावों को विदेश मंत्रालय अंतिम रूप दे रहा है। मोदी के लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद यह पहली बहुपक्षीय बैठक होगी जिसमें वे भाग लेने जा रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के सचिव सरमा ने कहा कि किर्गिस्तान में शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं के वैश्विक सुरक्षा स्थिति, बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग, लोगों से लोगों का संपर्क और अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय महत्त्व के सामयिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। भारत 2005 से एससीओ में एक पर्यवेक्षक रहा है। उसने समूह की मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लिया है। आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाल की अपनी मालदीव और श्रीलंका यात्रा के दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधा और क्षेत्रीय शांति के लिए राज्य पोषित आतंकवाद पर अंकुश की बात उठाई।

पाक ने दी मोदी के विमान को गुजरने की इजाजत

लाहौर, 10 जून (भाषा)।

पाकिस्तान ने सोमवार को सैद्धांतिक रूप से फैसला किया कि वह एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के शहर बिश्केक जाने की खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने देगा। भारत ने पाकिस्तान से अनुरोध किया था कि वह किर्गिस्तान के बिश्केक जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विमान को अपने हवाई क्षेत्र से होकर गुजरने की अनुमति दे। एक अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार के अनुरोध को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भारत सरकार को फैसले से अवगत करा दिया जाएगा।

सिद्धू ने राहुल से की मुलाकात, 'स्थिति' से कराया अवगत

चंडीगढ़, 10 जून (भाषा)।

पंजाब के मंत्री एवं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद को अहम स्थानीय शासन विभाग से हटाए जाने के कुछ दिन बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से सोमवार को दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें राज्य की 'स्थिति' से अवगत कराया। सिद्धू ने ट्वीट किया, 'कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की, उन्हें अपना पत्र सौंपा, उन्हें स्थिति से अवगत कराया।' क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की।

पंजाब मंत्रिमंडल में फेरबदल में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सिद्धू से स्थानीय शासन और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभागों का कार्यभार ले लिया था। इसके

बाद सिद्धू ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की थी। उन्हें ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विभागों की जिम्मेदारी दी गई है।

वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से कांग्रेस आने वाले सिद्धू ने इससे पहले कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लिया था और इसके बजाय गुरुवार को अपने आधिकारिक आवास पर मीडिया से बात की थी। सिंह और सिद्धू के बीच तनाव पिछले महीने उस समय सामने आया था, जब मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव में पंजाब के शहरी इलाकों में कांग्रेस के 'खराब प्रदर्शन' के लिए सिद्धू को दोषी ठहराया था।

सिद्धू ने गुरुवार को कहा था कि उनके विभाग को सार्वजनिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता।

आतंकवाद पर मोदी के प्रस्ताव पर साथ आया फ्रांस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 जून।

फ्रांस ने आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का सोमवार को स्वागत करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शुमार है। फ्रांस के यूरोप एवं विदेश मामलों के मंत्री जीन बैपटिस्ट लेमोयन ने यहां बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग एवं डिजाइन के क्षेत्र में फ्रांस के संस्थानों में पढ़ चुके भारतीय छात्रों के साथ बातचीत से इतर ये टिप्पणियां की।

उन्होंने कहा, 'आतंकवाद से लड़ने की हर एक पहल का स्वागत है, क्योंकि यह विश्व के प्रत्येक देश के लिए खतरा है। इसलिए प्रयासों को एकजुट करने के लिए जो कुछ संभव है उसका स्वागत है। यह (आतंकवाद) जलवायु परिवर्तन की तरह एक वैश्विक चुनौती है। हम इस कदम पर करीब से गौर करेंगे।' लेमोयन ने कहा, 'आतंकवाद के खिलाफ जंग हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। फ्रांस इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है और मैं यह कह सकता हूं कि इस मोर्चे पर हमारे संबंध मजबूत हैं।' नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद यह फ्रांस के किसी मंत्री का पहला भारत दौरा है।

फ्रांस के मंत्री ने कहा कि पहला रफाल लड़ाकू विमान सितंबर में भारत पहुंचेगा और यह भारत-फ्रांस सहयोग का एक मजबूत संकेत होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद 36 रफाल विमानों की एक-एक कर आपूर्ति की जाएगी। रफाल सौदे को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा, 'फ्रांस सरकार को विवादों से फर्क नहीं पड़ता और हमने एक रूपरेखा तैयार की है, हम बस उसे पूरा करना चाहते हैं। यह दोनों देश के हित में है। रफाल भारत के प्रभुत्व के लिए एक उपकरण है।' भारतीय वायुसेना के पेरिस स्थित कार्यालय में घुसपैठ के कथित प्रयास पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'जांच जारी है। जब भी हमें नए ब्योरे मिलेंगे, भारतीय अधिकारियों को सूचित कर दिया जाएगा।' लेमोयन ने यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भारत उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज

नई दिल्ली, 10 जून (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के अवकाश पीठ ने सोमवार को कनौजिया की पत्नी जगीशा अरोड़ा की ओर से अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन की दलीलों पर गौर करने के बाद कहा कि इस याचिका पर कल सुनवाई की जाएगी। नित्या रामकृष्णन का कहना था कि इस मामले में शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि यह गिरफ्तारी 'गैरकानूनी' और 'असंवैधानिक' है।

जगीशा अरोड़ा ने अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है और उसे अविलंब रिहा करने का उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया है। अधिवक्ता शादन फरासत के माध्यम से दायर याचिका में कनौजिया की पत्नी ने कथित रूप से जमानती अपराध में दिल्ली से कनौजिया को गिरफ्तार करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। इसके अलावा, याचिका में इस गैरकानूनी गिरफ्तारी के लिए कनौजिया को ऐसा मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया गया है जो दूसरों के लिये भी नजीर बने।

याचिका में कहा गया है कि पत्रकार के आवास पर आठ जून को सादी वर्दी में आए लोग उसे अपने साथ ले गए। याचिका के अनुसार सात जून को लखनऊ में हजरतगंज थाने में पुलिस अधिकारियों ने कनौजिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (आपराधिक मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। ये दोनों ही अपराध जमानती हैं। याचिका के अनुसार इन कथित अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत दिल्ली में ही पुलिस को उन्हें जमानत पर रिहा कर देना चाहिए था।

कनौजिया ने कथित रूप से ट्विटर और फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर विभिन्न मीडिया संस्थाओं के संवाददाताओं के समक्ष एक महिला यह बोलते हुए दिखाई दे रही है कि उसने आदित्यनाथ के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा है। इस संबंध में कनौजिया के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की और उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया।

पाक के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार

इस्लामाबाद, 10 जून (भाषा)।

पाकिस्तान की शीर्ष भ्रष्टाचार निरोधक संस्था ने फर्जी बैंक खाता केस में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को सोमवार को यहां उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ओर से जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर की अग्रिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दिए जाने के कुछ ही समय बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की एक टीम, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष जरदारी के एफ-8 सेक्टर स्थित घर में दाखिल हुई। हालांकि, फरयाल को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।फर्जी बैंक खाता केस की जांच कर रहे एनएबी ने रविवार को दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया था। यह मामला धन रखने और धन को पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए कथित फर्जी बैंक खातों के इस्तेमाल से जुड़ा है।

युवराज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, कहा अब आगे बढ़ने का समय

पेज 1 का बाकी

एक तरह से प्रेम और नफरत जैसा रिश्ता रहा। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि वास्तव में यह मेरे लिए कितना मायने रखता है। इस खेल ने मुझे लड़ना सिखाया। मैंने जितनी सफलताएं अर्जित की उससे अधिक बार मुझे नाकामी मिली पर मैंने कभी हार नहीं मानी।'

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने करिअर के तीन महत्त्वपूर्ण क्षणों में विश्व कप 2011 की जीत और मैन आफ द सीरीज बनना, टी20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के जड़ना और पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में 2004 में पहले टेस्ट शतक को शामिल किया। विश्व कप 2011 के बाद कैंसर से जूझना उनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई थी। उन्होंने कहा, 'मैं इस बीमारी से हार मानने वाला नहीं था।' इसके बाद हालांकि उनकी फार्म अच्छी नहीं रही। उन्होंने भारत की तरफ से आखिरी मैच जून 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे के रूप में खेला था। उन्होंने अपना अंतिम टैस्ट मैच 2012 में खेला था। इस साल आइपीएल में वे मुंबई इंडियन्स की तरफ से खेले लेकिन उन्हें अधिक मौके नहीं मिले।

दक्षिण अफ्रीका में 2007 में खेले गए विश्व कप में उनकी उपलब्धि का कोई सानी नहीं है। उन्होंने किंग्समीड में स्टुअर्ट ब्राड के एक ओवर में छह छक्के लगाए थे जिसे क्रिकेट प्रेमी कभी भूल नहीं पाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केवल 12 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया जो कि एक रेकार्ड है। युवराज वनडे में मध्यक्रम के मुख्य बल्लेबाज बन गए थे और इस बीच उन्होंने अपनी गेंदबाजी से भी प्रभावित किया। उन्होंने विश्व कप 2011 में अपनी आलराउंड क्षमता का शानदार नमूना पेश किया तथा 300 से अधिक रन बनाने के अलावा 15 विकेट भी लिए। इस दौरान उन्हें चार मैचों में मैन आफ द मैच और बाद में मैन आफ द टूर्नामेंट चुना गया।

युवराज ने कहा, 'विश्व कप 2011 को जीतना, मैन आफ द सीरीज बनना, चार मैन आफ द मैच हासिल करना सब सपने जैसा था जिसके बाद कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुझे कड़वी वास्तविकता से रू ब रू होना पड़ा। ' उन्होंने कहा, 'यह सब तेजी से घटित हुआ और तब हुआ जब मैं अपने करिअर के चरम पर था। मैं अपने परिवार और दोस्तों से मिले सहयोग को शब्दों में बयां नहीं कर सकता जो मेरे लिए उस समय मजबूत स्तंभ की तरह थे। बीसीसीआइ और बीसीसीआइ के तत्कालीन अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने भी मेरे उपचार के दौरान सहयोग किया।' युवराज ने सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी को अपना पसंदीदा कप्तान बताया तथा अपने करिअर में जिन गेंदबाजों को खेलने में उन्हें मुश्किल हुई उनमें श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन और आस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा का नाम गिनाया।

गृह मंत्रालय की आंतरिक सुरक्षा पर बैठक

पेज 1 का बाकी

पर 48 पेज लंबी रिपोर्ट सौंपी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा के मसले पर उच्चस्तरीय बैठक की।

इस बैठक में खासतौर पर बंगाल के हालात को लेकर चर्चा हुई। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, आइबी और रॉ के प्रमुख भी शामिल हुए। गृह मंत्रालय की बैठक के बाद बंगाल के हालात को लेकर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जरूरत हुई तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि, भाजपा इसकी मांग नहीं करेगी। मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस आशय के किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई है। इस बैठक में बंगाल सरकार के द्वारा हिंसा को लेकर भेजी गई रिपोर्ट पर चर्चा हुई, जिसमें वहां के मुख्य सचिव ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा फैलाई और बंगाल सरकार ने इसे नियंत्रित किया है। बैठक खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि, गृह मंत्री से मुलाकात के बाद त्रिपाठी ने इससे महज शिष्टाचार भेंट करार दिया। राज्यपाल त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने बस राज्य की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अवगत कराया। पश्चिम बंगाल में पिछले दो दिनों में राजनीतिक हिंसा में आठ लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें भाजपा के पांच और तृणमूल के तीन कार्यकर्ता हैं। गृह मंत्रालय ने बंगाल में हिंसा को लेकर राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परामर्श जारी किया था। साथ ही, हिंसा पर रिपोर्ट तलब की थी। बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी। उन्होंने गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है कि हिंसा के सभी मामलों में बिना किसी देरी के कड़ी और उचित कार्रवाई की गई है। कुछ असामाजिक तत्वों ने चुनाव बाद झड़प की छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया था, पुलिस ने ऐसे सभी मामलों में बिना किसी देरी के कड़ी और उचित कार्रवाई की। गृह मंत्री की सोमवार की सुरक्षा पर बैठक को लेकर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में जिस तरह हिंसा फैल रही है, वहां राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है।

ऐसे काम किया जैसे जंगल का कानून हो : जज

पेज 1 का बाकी

बिछा रखा था कि उड़ने से पहले ही पकड़ लिया गया)।' न्यायाधीश ने कहा कि कठुआ कांड के तथ्यों पर यह पंक्ति पूरी से चरितार्थ होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में पश्चिम बंगाल में एक यौन कर्मी की हत्या के मामले में अपने फैसले में मिर्जा गालिब की इन्हीं पंक्तियों का जिक्र किया था। लगभग 367 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाए गए फैसले में सिंह ने तीन आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र और हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि सबूत मिटाने के जुर्म में तीन अन्य को पांच साल जेल की सजा सुनाई। एक आरोपी को बरी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण अपहरण, नशीला पदार्थ देना, गलत तरीके से बंधक बनाना, आठ साल की एक बच्ची का बलात्कार और उसकी हत्या ने आपराधिक कानून को गति में ला दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मीडिया की सुर्खियों से दूर और बंद कमरे में हुई मुकदमे की पूरी सुनवाई के बाद सिंह ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया।

अपने मंत्रालयों के लिए पंचवर्षीय योजना बनाएं शीर्ष अधिकारी : मोदी

पेज 1 का बाकी

से कहा कि वे भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम करें। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, 'मोदी ने कहा कि लोगों की इस महती आशा को चुनौती की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखें। जनादेश दिखाता है कि लोग यथास्थिति में बदलाव चाहते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं, वे अपने लिए बेहतर जीवन चाहते हैं।'बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्रियों मंत्रियों राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और जितेंद्र सिंह ने भी भाग लिया।

बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मतदाताओं ने अगले पांच साल के लिए अपना दृष्टिकोण तय कर दिया है और हमारे सामने यह एक अवसर की तरह है। जनसांख्यिकीय लाभांश पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि जनांकिकी का कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में केंद्र सरकार के प्रत्येक विभाग, प्रत्येक राज्य के हर एक जिले की भूमिका है।

मोदी ने कहा कि उन्हें अपनी टीम पर गर्व है। उन्होंने सभी से कहा कि वे प्रत्येक विभाग के परिणाम और दक्षता में बेहतरी के लिए तकनीक का प्रयोग करें। इस मौके पर कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने कहा कि सभी मंत्रालयों में महत्त्वपूर्ण प्रभावशाली फैसले किए जाने चाहिए। इसके लिए 100 दिन के भीतर मंजूरी ली जानी चाहिए।

तीन को ताउम्र कैद, तीन को पांच साल की जेल

पेज 1 का बाकी

(आरपीसी) के तहत आपराधिक साजिश, हत्या, अपहरण, सामूहिक बलात्कार, साक्ष्यों को नष्ट करने, पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाने और समान मकसद से अपराध को अंजाम देने का दोषी करार दिया गया।

अभियोजन ने उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की थी। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और आपराधिक षड्यंत्र एवं हत्या के लिए उन पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें आरपीसी के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग जेल की सजा भी सुनाई गई जो आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ चलेगी।

उन्होंने बताया कि तीन सह अपराधियों... पुलिस उपनिरीक्षक आनंद दत्ता, मुख्य आरक्षक (हेड कांस्टेबल) तिलक राज और विशेष पुलिस अधिकारी सुरेंदर वर्मा को साक्ष्य नष्ट करने के लिए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि अगर वे जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें जेल में अतिरिक्त छह महीने कैद की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के वकीलों की टीम में जेके चोपड़ा, एसएस बसरा, हरमिंदर सिंह और भूपिंदर सिंह शामिल थे। उन्होंने मुख्य आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की और कहा कि विशाल को बरी किए जाने के खिलाफ वे अपील करेंगे। अधिवक्ताओं ने एक बयान में कहा, 'हत्या और सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए सभी तीनों आरोपियों के लिए हमने फांसी की सजा की मांग की। यह हम सभी की कड़ी मेहनत और जांच एवं कानूनी समझ का नतीजा है। हमें 99 फीसद परिणाम हासिल हुआ है।'

जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में एक किशोर सहित आठ लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। किशोर के खिलाफ अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है क्योंकि उसकी उम्र तय करने की याचिका पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। पिछले वर्ष अप्रैल में दायर 15 पन्नों के आरोपपत्र के मुताबिक, लड़की का अपहरण पिछले वर्ष दस जनवरी को हुआ और गांव के एक छोटे मंदिर में उसे चार दिनों तक नशीला पदार्थ देकर उससे बलात्कार किया गया। मंदिर की देखरेख सांजी राम करता था। बाद में लड़की की हत्या कर दी गई।

हिंसा में सिर्फ दो लोग मारे गए : ममता

पेज 1 का बाकी

हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, 'वे (भाजपा) सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी खबरें फैलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। केंद्र सरकार और (भाजपा) पार्टी के कार्यकर्ता राज्य में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम बंगाल को एक और गुजरात नहीं बनने देंगे।' मुख्यमंत्री ने मीडिया पर भी भाजपा के इशारे पर गलत जानकारी प्रसारित करके राज्य का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव 2021 से पहले होने की अटकलों को भी खारिज कर दिया।

बनर्जी ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कुछ केंद्रीय नेताओं के इशारे पर भाजपा एक साजिश के तहत पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग और जंगलमहल इलाकों में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है।

जो सही लगा उसे बोलने से कभी नहीं डरे कर्नाड

पेज 1 का बाकी

किया है। कर्नाड के निधन पर सिनेमा, नाटक और राजनीति से जुड़े लोगों ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं। शोक जताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, 'लेखक, अभिनेता और भारतीय रंगमंच के सशक्त हस्ताक्षर गिरीश कर्नाड के देहावसान के बारे में जानकर दुख हुआ है। उनके जाने से हमारे सांस्कृतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर कहा, 'वह उन मुद्दों पर भी भावुकता से बोलते थे जो उन्हें प्रिय लगते थे। आने वाले सालों में उनके काम की लोकप्रियता बनी रहेगी।' कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ने ट्विटर पर लिखा, 'उनके परिजन और दुनिया भर में मौजूद उनके मुरीदों के प्रति संवेदनाएं।' बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा, 'प्रख्यात लेखक, रंगकर्मी, अभिनेता और निर्देशक गिरीश कर्नाड का निधन, अति-दुःखद है। उनके परिवार एवं मित्रों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।'

कर्नाड के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने ट्वीट किया, 'ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, प्रतिष्ठित अभिनेता एवं फिल्म निर्माता गिरीश कर्नाड के निधन की खबर सुन कर मैं दुखी हूं। साहित्य, थिएटर और फिल्मों में उनके बहुमूल्य योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके निधन से हमने एक सांस्कृतिक दूत खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।' पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने भी कर्नाड के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि कन्नड़ भाषा को उन्होंने ही सातवां ज्ञानपीठ दिलाया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने एक ट्वीट कर कहा, 'जाने-माने अभिनेता-नाटककार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गिरीश कर्नाड के निधन की खबर सुन कर दुखी हूं। उनके परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।' मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि कर्नाड को राजकीय सम्मान दिया जाएगा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लोगों को दिया जाता है।

अभिनेता और फिल्मकार कमल हासन ने ट्वीट कर शोक जताया, ' गिरीश कर्नाड... उनकी पटकथाएं मुझे चकित एवं प्रेरित दोनों करती हैं। वे अपने पीछे कई प्रेरित प्रशंसक छोड़ गए हैं, जो लेखक हैं। इनके कार्य संभवतः उनके नुकसान को कुछ हद तक सहनीय बनाएं।' साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबार ने कहा कि उन्होंने कर्नाड के रूप में 'एक करीबी मित्र' खो दिया।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी कर्नाड का जन्म डॉ. रघुनाथ कर्नाड और कृष्णाबाई के घर 1938 में हुआ था। कर्नाड ने अनेक नाटकों और फिल्मों में अभिनय किया जिनकी काफी सराहना हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके कर्नाड को 1974 में पद्म श्री और 1992 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। वह 1960 के दशक में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रोहड्स स्कॉलर भी रहे। उन्होंने वहां से दर्शनशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में 'मास्टर ऑफ आर्ट्स' की डिग्री हासिल की।

उनके कन्नड़ भाषा में लिखे नाटकों का अंग्रेजी और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। वह 'नव्या' साहित्य अभियान का हिस्सा भी रहे। उनके नाटक 'नागमंडल', 'ययाति' और 'तुगलक' ने उन्हें काफी ख्याति दिलाई। कर्नाड सलमान खान की 'टाइगर जिंदा है' और अजय देवगन अभिनीत 'शिवाय' जैसी व्यावसायिक फिल्मों में भी दिखाई दिए।

48 डिग्री का सितम

पेज 1 का बाकी

गरमी ने कहर बरपाया। श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली के औसत अधिकतम तापमान में आठ डिग्री सेंटीग्रेड की उछाल देखने को मिला। इस साल की भीषण गरमी के मद्देनजर दिल्ली में कई दिनों से रेड अलर्ट की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक,यदि किसी क्षेत्र में तापमान लगातार दो दिन 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहे तो वहां लू की स्थिति घोषित कर दी जाती है। यदि पारा 47 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर चला जाए तो 'लू की गंभीर स्थिति' बन जाती है।

उन्होंने बताया कि शुष्क पछुआ हवाओं, पश्चिमी विक्षोभ का मैदानी इलाकों पर कोई प्रभाव न होने और जून के महीने की भीषण गरमी के कारण तापमान इतना ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के कारण संभवतः मंगलवार को तापमान में एक-दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आए लेकिन लू चलना अभी जारी रहेगा। राजस्थान के कोटा में अधिकतम तापमान 47.3 व न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां दोनों तापमान में क्रम से छह व चार डिग्री का उछाल देखने को मिला। अमृतसर में गरमी का स्तर 45.5 डिग्री रहा जबकि पटियाला में सात डिग्री के उछाल के साथ पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली के आसपास भी भीषण गरमी का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तापमान 48.9 पर बना रहा। जहां दिल्ली में अगले दो तीन दिन में अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है वहीं प्रयागराज को पूरे हफ्ते राहत की कोई उम्मीद नहीं है। बांदा में पारा 49.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से सात डिग्री अधिक है। भोपाल में सात डिग्री के उछाल के साथ पारा 45 के पार दर्ज किया गया। भिवानी में पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में सोमवार सुबह गरमी का असर रहा और न्यूनतम तापमान इस मौसम के औसत से एक डिग्री कम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम के मिजाज की तल्खी ने सारे रिकार्ड लोड़ डाले। मौसम विभाग के मुताबिक, दिन के दौरान लू का प्रकोप लगातार जारी रहेगा और अधिकतम तापमान 46 डिग्री रहने के आसार है। मौसम विज्ञानियों ने आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया है और कहा है कि अगले दो दिन तक लू से राहत के आसार भी नहीं हैं। अगले दो दिन तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार रहने की संभावना है। रविवार को न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान मौसम के औसत से चार डिग्री अधिक 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

नई दिल्ली

हांगकांग में पुलिस की कार्रवाई के बाद हिंसक हुआ प्रदर्शन

हांगकांग, 10 जून (एएफपी)।

चीन के नए प्रत्यर्पण कानून के विरोध में हांगकांग में बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन सोमवार तड़के पुलिस की कार्रवाई के बाद हिंसात्मक हो गया। आयोजकों ने बताया कि यह हांगकांग में साल 1997 के बाद अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इसमें 10 लाख सो अधिक लोगों ने भाग लिया। इससे पहले साल 1997 में हांगकांग को चीन को सौंपे जाते समय सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया था।

आयोजकों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार से प्रत्यर्पण कानून की अपनी योजना को वापस लेने की मांग की। हांगकांग के चीन समर्थक नेता एक विधेयक पर जोर दे रहे हैं जिसमें आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें चीन प्रत्यर्पित किए जाने का प्रावधान है लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर काफी हंगामा मचा और इसके विरोध में शहर के विभिन्न वर्गों के लोग एकजुट हो गए हैं।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन आधी रात को उस समय हिंसात्मक हो गया जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर रात भर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया था। पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों ने बोतलें फेंकी। रविवार देर रात जारी बयान में सरकार ने समझौते के कोई संकेत न देते हुए सांसदों से अपील की कि विधेयक को बुधवार को दूसरी बार पढ़ा जाए।

'चीन प्रत्यर्पित करने की योजना वापस लेने से इनकार'

हांगकांग, 10 जून (एजंसी)।

हांगकांग के बेजिंग समर्थक नेता ने चीन में प्रत्यर्पण किए जाने की विवादित योजना को वापस लेने से सोमवार को इनकार कर दिया। साल 1997 के बाद से शहर के सबसे बड़े प्रदर्शन के बाद विद्रोही तेवर अपनाए हुई मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने कहा कि संसद निर्धारित समय के अनुसार बुधवार को विधेयक पर बहस करेगी। उन्होंने इस विधेयक को टालने या इसे वापस लेने की मांग ठुकरा दी। इस फैसले के विरोध में विपक्षी नेताओं ने समर्थकों से बुधवार को संसद के बाहर एकजुट होने या हड़ताल करने का आह्वान किया है।

ईरान ने चेताया, सुरक्षित होने के मुगालते में न रहे अमेरिका

तेहरान, 10 जून (एपी)।

जर्मनी के विदेश मंत्री की यात्रा के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने सोमवार को अमेरिका को आगाह किया कि तेहरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने के बाद वह सुरक्षित बने रहने की उम्मीद नहीं कर सकता है। खाड़ी में मौजूदा तनाव के मद्देनजर ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कड़े शब्दों में अपनी बातें रखी। यह संकट तब गहरा गया था, जब एक साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक ताकतों के साथ हुए 2015 के समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया। ट्रंप ने ईरान के तेल क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए कड़ी पाबंदी लगाने की भी घोषणा की थी।

जरीफ ने कहा, 'ट्रंप ने खुद ही घोषणा की थी कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ा है। इस क्षेत्र में तनाव घटाने का एकमात्र समाधान है कि आर्थिक युद्ध को रोका जाए।' उन्होंने आगाह किया कि हमारे साथ जो भी युद्ध शुरू करेगा, वह उसे खत्म नहीं कर पाएगा। जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास ने जोर दिया कि उनका देश और अन्य यूरोपीय देश परमाणु समझौते को बचाने के लिए रास्ता निकालना चाहते हैं।उन्होंने कहा, 'हम कोई चमत्कार तो नहीं कर पाएंगे लेकिन इसे असफल होने से बचाने के लिए जो भी बन पड़ेगा, हम प्रयास करेंगे।' हालांकि, यूरोप ने अमेरिका द्वारा लगाई गई नई पाबंदी से निकालने के लिए ईरान को अब तक किसी तरह की पेशकश नहीं की है। समझौते को बचाने के वास्ते यूरोप के लिए ईरान ने सात जुलाई की तारीख निर्धारित की है। वरना, ईरान आगाह कर चुका है कि वह यूरेनियम का संवर्द्धन करेगा।

तेहरान में सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ (दाएं) और जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास।

माली में 100 लोगों की हत्या

बमाको, 10 जून। मध्य माली के अशांत क्षेत्र में हिंसा की घटना में एक गांव में आधी रात को नृशंस हमले में करीब 100 लोगों की हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने सोमवार को इस घटना के बारे में बताया।किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन डोगोन समुदाय की आबादी वाले एक गांव को निशाना बनाकर किए गए नरसंहार को जवाबी हमला माना जा रहा है। जातीय मूल की आबादी के बीच आपसी संघर्ष में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के तीन सप्ताह पहले डोगोन समूह ने फुलानी समुदाय के 160 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। **(एएफपी)**

जी-20 ने बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और घटते श्रमबल को बताया वैश्विक जोखिम

फुकुओका, 10 जून (एएफपी)।

दुनिया में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और घटते कार्यबल को लेकर चिंता बढ़ रही है। जी-20 देशों के वित्तीय नीति निर्माताओं ने पहली बार इस मुद्दे पर चर्चा की है। समूह ने स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत, काम करने वालों की कमी व बुजुर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं की चिंता के बीच घटती जन्म दर और बढ़ती उम्र से जुड़े आर्थिक मुद्दों से निपटने पर जोर दिया है।

जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की जापान में हुई दो दिवसीय बैठक (शनिवार-रविवार) में इस बात पर विचार किया गया। उन्होंने इस समस्या के समाधान पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में बहुत देर होने से पहले जल्दी कुछ करने की जरूरत है। जापान में उम्रदराज होती जनसंख्या बड़ी घरेलू समस्या है। बैठक के मेजबान देश के वित्त मंत्री टारो आसो ने कहा, 'आपके समृद्ध होने से पहले उम्रदराज होती जनसंख्या का असर यदि एक बार दिखना शुरू हो गया तो आप वास्तव में इससे निपटने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा पाएंगे।' जी-20 में शामिल देश अभी विकास और जनसंख्या के विभिन्न स्तरों पर हैं। जहां एक तरफ जापान में कुल आबादी में बुजुर्गों का अनुपात अधिक है वहीं सऊदी अरब का समाज युवा है।

ज़ाकिर नाइक को भारत प्रत्यर्पित नहीं करने का अधिकार : मलेशिया

कुआलालंपुर, 10 जून (भाषा)।

मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने सोमवार को कहा कि उनके देश के पास विवादित इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक को भारत को प्रत्यर्पित नहीं करने का अधिकार है। कट्टरपंथी टीवी प्रचारक नाइक (53) कथित रूप से 2016 में भारत से भाग गया था और बाद में मुसलिम बहुल देश मलेशिया चला गया था, जहां उसे स्थायी निवासी का दर्जा दिया गया। समाचार पत्र ह्यद स्टारह्ण ने महातिर के हवाले से कहा, 'जाकिर को लगता है कि उन पर (भारत में) निष्पक्ष मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।'

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण
चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष
सी.पी. (सीएए) सं. 10/सीएचडी/सीएचडी/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 के विषय में
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के साथ पठित धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के विषय में
तथा
गोल्डन केम–टेक लिमिटेड (अंतरणकर्ता कम्पनी/आवेदक कम्पनी 1) तथा स्टाइलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी/आवेदक कम्पनी 2) के बीच समामेलन की स्कीम के विषय में

याचिका की सुनवाई की सूचना

आवेदक कम्पनियों द्वारा गोल्डन केम–टेक लिमिटेड तथा स्टाइलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम की स्वीकृति आदेश के लिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के तहत एक याचिका ("याचिका") प्रस्तुत की गई थी तथा उक्त याचिका की सुनवाई राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ("एनसीएलटी") के समक्ष 12–07–2019 को की जानी नियत है।
कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका के विरोध का इच्छुक है, अपने आशय की सूचना, जो उसके अपने स्वयं अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता द्वारा नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, आवेदक कम्पनी अथवा इसके अधिवक्ता को नीचे वर्णित पते पर भेज सकता है, जो आवेदक कम्पनी अथवा इसके अधिवक्ता और एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ, कार्पोरेट विधि भवन, सेक्टर–27, चंडीगढ़ को याचिका की सुनवाई हेतु नियत तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार और एक शपथपत्र ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को यह प्रति आवेदक कम्पनी अथवा इसके अधिवक्ता द्वारा उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।
दिनांकित : 11–06–2019

आवेदक कम्पनी :	आवेदक कम्पनी हेतु अधिवक्ता
श्री मनित गुप्ता	श्री वैभव शर्मा
निदेशक	अधिवक्ता
स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	लॉयर्स चैम्बर नंबर 2
एससीओ 14, सेक्टर 7–सी,	पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय,
मध्य मार्ग, चंडीगढ़	चंडीगढ़

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण,
प्रधान पीठ के समक्ष
कम्पनी याचिका सं. सीएए–66 (पीबी)/2019
के साथ संबंधित
कम्पनी आवेदन सं. सी.ए. (सीएए) – 18 (पीबी)/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के विषय में
तथा
निम्नलिखित के बीच समामेलन की स्कीम के विषय में
डीएलके डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
.....**अंतरणकर्ता/याचिकादाता कम्पनी सं. 1**
तथा
कास्टापोली पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
.....**अंतरणकर्ता/याचिकादाता कम्पनी सं. 2**
तथा
कानोडिया टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड
.....**अंतरिती/याचिकादाता कम्पनी सं. 3**
तथा
उनके संबंधित शेयरधारक एवं क्रेडिटर्स

सूचित हों कि उपरोक्त नामक "याचिकादाता कम्पनियों" द्वारा डीएलके डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड ("अंतरणकर्ता/ याचिकादाता कम्पनी सं. 1") तथा कास्टापोली पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ("अंतरणकर्ता/ याचिकादाता कम्पनी सं. 2") का कानोडिया टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड ("अंतरिती/याचिकादाता कम्पनी सं. 3") और उनके संबंधित शेयरधारकों और क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम की मंजूरी/अनुमोदन हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 तथा 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत एक याचिका 02 मई, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी तथा माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा उक्त याचिका में आदेश 03 मई, 2019 को उद्घोषित किया गया था। उक्त याचिका की अंतिम सुनवाई अब माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ के समक्ष 24 जुलाई, 2019 को पूर्वा. 10.30 बजे अथवा उसके शीघ्र पश्चात की जानी नियत की गई है। याचिकादाता कम्पनी सं. 1 और 3 का पंजीकृत कार्यालय ए–54, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–52 और याचिकादाता कम्पनी सं. 2 का पंजीकृत कार्यालय ए–43, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–52 में स्थित है।
कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका के समर्थन अथवा विरोध का इच्छुक है, अपने आशय की सूचना, जो उसके अपने स्वयं के/उसके अधिवक्ता के/अधिकृत प्रतिनिधि के पूरे नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, याचिकादाता के अधिकृत प्रतिनिधि को भेज सकता है, जो याचिकादाता के अधिकृत प्रतिनिधि को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम 2 (दो) दिन पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार अथवा याचिका के विरोध में उपयोग हेतु आशयकृत एक शपथपत्र की प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत करनी होगी। याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को यह प्रति याचिकादाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।
याचिकादाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से
हस्ता./–
संजय ग्रोवर/देवेश कुमार वशिष्ट/नीरज अरोड़ा
कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी
बी–88, प्रथम तल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली–110024
स्थान : नई दिल्ली — मोबाइल नंबर – 9810144530/9034793369
तिथि : 11 जून, 2019 — ई–मेल : sanjaygrover7@gmail.com

SALORA
सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड
CIN: L74899DL1968PLC004962
पंजी. कार्या.: डी–13/4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली–110020
टेली.: 011–40552341, ईमेल: sect@salora.com, वेबसाईट: www.salora.com
शेयरधारकों के लिये सूचना
निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में इक्विटी शेयरों का अंतरण

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 (''नियमावली'') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुपालन में सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड (''कम्पनी'') 576 शेयरधारकों द्वारा धारित रु. 10/- प्रति के 76,025 इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित करेगी।
नियमावली में अन्य विषयों के अलावे ऐसे सभी शेयरों को भारत सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरण का प्रावधान है जिसके लिये लगातार सात वर्षों से शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा वह दावा-रहित रहा है। तदनुसार, कम्पनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों को 10 जून, 2019 को व्यक्तिगत सूचना भेज दी है जिनके शेयरों को उक्त नियमावली के अंतर्गत आईईपीएफ में अंतरित किया जायेगा अथवा जिन्होंने वित्त वर्ष 2009-10 से शुरू होने वाले लगातार सात वर्षों में वित्त वर्ष 2008-09 के लिये लाभांश का दावा नहीं किये हैं। कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों तथा आईईपीएफ में अंतरण के लिये नियत शेयरों के विवरणों को अपनी वेबसाईट www.salora.com पर भी अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि आईईपीएफ में अंतरित किये जाने वाले शेयरों के विवरणों की वेबसाईट पर जांच कर लें।
ऐसे सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन की तिथि से 3 माह की पूर्णता अर्थात 10 **सितम्बर**, 2019 को या उससे पूर्व वित्त वर्ष 2008-09 के लिये अप्रदत्त लाभांश का दावा करने के लिये कम्पनी/रजिस्ट्रार के पास अनुरोध के साथ आवेदन करें ताकि उनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित न की जाये। कृपया यह ध्यान रहे कि यदि 10 **सितम्बर**, 2019 तक कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार द्वारा कोई जवाब प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी उक्त नियमावली में वर्णित नियत प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आगे कोई सूचना दिये बिना ऐसे शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित कर देगी। उनके नाम में पंजीकृत इक्विटी शेयर स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा उसे अ-विचारणीय माना जायेगा।
शेयरधारक कृपया ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों को आईईपीएफ प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र के निर्गम(मों) के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा।
कम्पनी ने वित्त वर्ष 2008-09 के लिये दावा-रहित लाभांश 20 अगस्त, 2016 को आईईपीएफ में अंतरित कर दी है। यदि संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ में अंतरण के बाद शेयरों/यदि कोई हो, ऐसे शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लाभों सहित वित्त वर्ष 2008-09 के लिये दावा-रहित लाभांश वापस प्राप्त करने की दावा करने के इच्छुक हों, वे नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट रूप में तथा जो आईईपीएफ की वेबसाईटः www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है, प्रपत्र आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अलग से एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
उपरोक्त मामले में अग्रिम स्पष्टीकरण तथा अप्रदत्त/दावा-रहित लभांश(शों) का दावा करने के अनुशोध के लिये संबंधित शेयरधारक कम्पनी अथवा उसके आरटीए से निम्न पते पर सम्पर्क करें:
परवीण शर्मा
स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
डी–153ए, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–I, नई दिल्ली–110020
टेलीः 011 डायरेक्ट नं.–011–41044923, फैक्सः +91 11–26812682, ईमेल आईडीः parveen@skylinerta.com, वेबः www.skylinerta.com
सलोरा इन्टरोशनल लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
स्थानः नई दिल्ली — गोपाल सीताराम जीवाराजका
तिथिः 10.06.2019 — अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF VVA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

	RELEVANT PARTICULARS	
1	Name of corporate debtor	VVA Developers Private Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor	19/04/2007
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC- Delhi
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U45400DL2007PTC162293
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office - 422, Ansal Chamber-II 6 Bhikajicama Place New Delhi - 110066
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	6th June, 2019 (order received on 7th June, 2019)
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	2nd December, 2019
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Mr. Deepak Maini Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00676/2017-2018/11149
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Add: C-100, Sector -2, Noida Uttar Pradesh 201301 Email: deepak.maini@insolvencyservices.in
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: C-100, Sector -2, Noida Uttar Pradesh 201301 Email: Claims to be submitted at vva.cirp@gmail.com
11	Last date for submission of claims	20th June, 2019
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	1. Home Buyers 2. Commercial Spaces Buyers
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	**For Home Buyers:** 1. Name: Mr. Anil Kumar Jain Regd. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00735/2017-2018/11233 2. Name: Mr. Ghanshyam Kaushik Regd. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00556/2017-2018/11697 3. Name: Mr. Sanjeet Kumar Sharma Regd. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01132/2018-19/11827 **For Commercial Space Buyers:** 1. Name: Mr. Anil Tayal Regd. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01118/2018-2019/11818 2. Name: Mr. Anurag Nirbhaya Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00870/2017-2018/11468 3. Name: Gurdev Bassi Regd. No.: IBBI/IPA-001/IP-P-01633/2019-2020/12504
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	**a) Relevant Forms: Mentioned at Point 5 below;** **b) Details of Authorised Representatives –** **For Home Buyers** 1. Mr. Anil Kumar Jain Address: Flat No. 255 B, Iind Floor Block A 1, Near Central School, Lawrence Road, Keshav Puram, New Delhi -,110035 | Email Id: aniljn@yahoo.com 2. Mr. Ghanshyam Kaushik Address: 144-c, Mianwali Colony,Gurgaon,Haryana , 122001 | Email Id: gskaushik111@yahoo.com 3. Mr. Sanjeet Kumar Sharma Address: Be 149, Street No.5 Hari Nagar, New Delhi Email Id: sansharma1975@gmail.com **For Commercial Space Buyers** 1. Mr. Anil Tayal Address: 204, Sagar Plaza , Plot No-19,District Centre , Laxmi Nagar ,New Delhi -110092 Email Id: caaniltayal@gmail.com 2. Mr. Anurag Nirbhaya Address: 204, Sagar Plaza, Plot No. 19, District Centre, Laxmi Nagar,New Delhi – 110092 Email Id: anurag@canirbhaya.com 3. Gurdev Bassi Address: 1629 Progressive Housing Society,Sec-50-b, Chandigarh ,160047 Email Id: ipgurdevbassi@gmail.com

1. Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the VVA Developers Private Limited on 6th June, 2019.
2. The creditors of VVA Developers Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 20th June, 2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
3. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
4. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [Home Buyers and Commercial Space Buyers] in Form CA.;
5. The claims may be submitted in their specified forms. Form B – Operational Creditor (Other than Workmen/Employee); Form C – Financial Creditor; Form CA – Financial creditor in a class (Home Buyers and Commercial Space Buyers;) Form D – Workmen/Employee; Form E – Operational Creditor – Representative of Workmen/Employee; and Form F – Other Creditors. Copy of the above Forms can be downloaded from https://ibbi.gov.in/downloadform.html
6. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 11th June, 2019 — Deepak Maini
Place: Noida — Insolvency Professional
IBBI/IPA-001/IP-P00676/2017-2018/11149

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**31.03.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 19.06.2019

Gurgaon: MAL-961, MHL-187, 196, MHP-24, MSL-30731, 30841, 30881, 30901, 30916, MUL-212, 278, 339, 359, 393, 576, 614, 634, 655, 663, 673, 680, 696, 721, 747, 750, 770, 790, 858, 875, 879, 915, 941, 993, 1001, 1009, 1026, 1027, 1064, 1065, 1066, 1077, 1094, 1095, 1102, 1106, 1107, 1112, 1129, 1133, 1141, 1144, 1155, 1156, 1157, 1158, 1162, 1164, 1165, 1168, 1172, 1181, 1189, 1195, 1213, 1221, 1235, 1236, 1244, 1246, 1247, 1249, 1260, 1262, 1268, 1276, 1281, 1283, 1289, **Gurgaon - Sohna Chowk:** MAL-763, 809, 841, 854, MBL-1934, MSL-17843, 17848, 18121, 18133, 18283, 18386, 18397, 18422, 18451, 18458, 18463, 18517, 18592, 18603, 18605, 18608, 18631, 18632, 18690, 18693, 18694, 18708, 18733, 18738, 18752, 18766, 18769, 18780, 18816, 18824, 18830, 18859, 18871, 18880, 18900, 18946, 18962, 18980, MUL-40, 48, 121, 161, 266, 269, 294, 302, 386, 404, 464, 473, 474, 482, 483, 495, 499, 544, 564, 569, 574, 576, 581, 590, 607, 610, 614, 641, 692, 699, 710, 758, 769, 771, 775, 795, 797, 805, 821, 827, 834, 849, 852, 856, 858, 859, 869, 878, 882, 883, **Gurgaon - New Railway Road:** MAL-360, MGL-1122, 1263, 1389, 1415, MSL-17042, 17099, 17153, 17161, MUL-45, 104, 156, 335, 343, 382, 449, 487, 605, 606, 607, 612, 635, 642, 685, 690, 691, 696, 762, 775, 776, 791, 805, 811, 834, 841, 842, 854, 860, 880, 901, 906, 907, 930, 935, 937, 952, 966, 972, 997, 1011, 1016, 1036, 1047, 1051, 1052, 1057, MWS-7, 36, 87, 100, 103, **Gurgaon-Sector-10:** MAL-370, 371, 451, MGL-1117, MSL-7397, 7418, 7452, 7468, 7473, 7507, 7521, MUL-53, 194, 223, 276, 426, 460, 462, 464, 563, 575, 591, 596, 603, 604, 613, 619, 634, 673, 682, 694, 695, 696, 701, 703, 704, 716, 719, 731, 821, 851, 867, 876, 882, 904, 915, 929, 937, 947, 948, 957, 979, 988, 989, 991, 996, 998, 1007, 1021, 1030, 1060, 1070, 1071, 1074, 1108, 1140, 1144, 1150, 1154, 1155, 1156, 1157, 1160, 1193, 1194, 1199, 1201, **Gurgaon-Sector-31:** MAL-688, MGL-1008, 1217, MHL-216, 279, MOL-19, MPL-63, MSL-13217, 13242, 13444, 13525, 13555, 13623, 13624, 13625, 13659, 13666, 13682, 13690, 13711, 13715, 13726, 13745, 13774, 13781, MUL-49, 79, 105, 267, 270, 295, 357, 547, 548, 549, 584, 725, 753, 781, 788, 871, 876, 889, 899, 911, 920, 933, 944, 946, 959, 980, 983, 985, 1001, 1059, 1060, MWS-15, 16, 26, 30, 33, 35, 39, 44, 45, 52, 61, 62, 70, 122, 158, 226, 239, 266, 307, 311, 333, 352, 389, 415, 416, 438, 442, 467, 479, 506, **Gurgaon-Sector-14:** MAL-905, MGL-1540, MHL-208, MSL-19895, 19910, 20005, 20026, 20044, 20045, 20049, 20065, 20081, 20086, 20127, 20155, MUL-53, 140, 154, 155, 213, 285, 369, 404, 447, 503, 598, 638, 642, 664, 722, 746, 786, 792, 797, 824, 826, 837, 849, 867, 885, 895, 898, 932, 933, 945, 964, 971, 973, 974, 977, 985, 999, 1037, 1047, 1072, 1081, 1092, 1093, 1119, 1131, 1165, 1190, 1197, 1236, MWS-4, 9, 37, 49, 52, 97, 99, 120, 123, 129, 139, 141, 164, 169, 170, 176, 183, 184, 185, 189, 197, 210, 211, 227, 229, 308, 322, 326, 337, 338, 351, 352, 356, 360, 370, 385, 396, **Gurgaon - Jharsa Road-Sector-15:** MAL-363, 369, MGL-487, 760, MSL-6408, 6477, 6478, 6575, 6616, 6629, 6761, MUL-12, 13, 14, 15, 16, 36, 59, 140, 189, 195, 281, 355, 364, 394, 453, 484, 522, 529, 530, 568, 576, 591, 606, 618, 625, 626, 635, 660, 673, 687, 688, 693, 699, 703, 719, 730, 738, 744, 746, 749, 755, 758, 779, 795, 799, 811, 817, 820, 825, 844, 852, **Gurgaon - Dundahera:** MAL-287, 288, 380, MBL-919, MSL-6855, 6858, 6874, MUL-131, 139, 210, 290, 291, 318, 542, 545, 597, 649, 692, 694, 726, 729, 742, 743, 773, 776, 814, 823, 847, 850, 851, 857, 871, 874, 880, 882, 890, 908, 914, 919, MWS-16, 27, 37, 51, 53, 61, 101, 147, 159, 169, 173, 194, 204, 217, **Gurgaon-Sector-22:** MAL-379, 416, 464, MHL-52, 65, MSL-7051, MUL-35, 131, 344, 362, 368, 386, 410, 412, 413, 416, 421, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 445, 484, 491, 497, 512, 519, 520, 521, 528, 532, 548, 596, 613, 642, 644, 648, 649, 667, 668, 672, 688, 696, 705, 712, 722, 733, 734, 735, 739, 783, 786, 787, 788, 790, 793, 798, 809, 816, 820, 821, 826, 827, 869, 871, 872, 873, 874, MWS-15, 23, 37, 40, **Gurgaon-Sector-4 (Ha):** MAL-432, 434, MSL-6902, 6927, 9669, 9687, 9710, 9774, 9803, 9806, 9807, 9808, 9817, 9883, 9935, 9939, MUL-76, 191, 227, 305, 346, 347, 355, 377, 413, 445, 464, 483, 491, 499, 500, 502, 512, 547, 557, 602, 615, 620, 628, 629, 630, 631, 638, 648, 650, 651, 659, 662, 699, 706, 718, MWS-48, 85, **Gurgaon-Sheetla Mata Mandir:** MSL-3848, MUL-26, 112, 146, 217, 231, 234, 271, 276, 297, 303, 308, 311, 329, 338, MWS-10, 18, 32, 39, 44

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.09.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 19.06.2019

Gurgaon: MUL-898,1 057, **Gurgaon-Sector-14:** MWS-128, **Gurgaon - Jharsa Road-Sector-15:** MUL-1133, **Gurgaon - Dundahera:** MHP-2

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।
हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक **20.06.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **First Floor, SCO-32 Huda Market, Sector-04, Gurgaon, Haryana - 122001** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 22.06.2019

Sohna (Ha): MHL-73, MSL-3763, 3866, 3950, MUL-102, 119, 140, 150, 157, 165, 217, 241, 242, 246, 253, 308, 329, 330, 345, 370, 397, 404, 450, 475, 482, 506, 518, 566, 645, 653, 663, 685, 686, 698, 699, 710, 720, 729, 730, 732, 733, 736, 750, 751, 759, 764, 767, 768, 777, 782, 784, 785, MWS-37, 86, 90, 101, 102, 107, 109

नीलामी की तिथि: 24.06.2019

Pataudi (Ha): MBL-453, MSL-5011, 5037, 5048, MUL-90, 111, 138, 140, 141, 143, 160, 187, 193, 194, 248, 249, 250, 258, 264, 266, 270, 271, 272, 273, 279, 288, 291, 292, 296, 313, 314, 315, 338, 363, 364, 366, 367, 386, 387, 389, 390, 408, 420, 431, 443, 454, 457, 461, 463, 467, 472, 495, 498, 501, 503, 504, 515, 550, 552, 559, 560, 561, 562, 564

U.P. STATE BRIDGE CORPORATION LTD.
Office of the Dy. Project Manager, Mechanical Unit-I,
Bhusamandi, Aishbagh, Lucknow - 226 004

No. 179/11M/MU-1/19-20 Dt. 07/06/2019

Short Term Tender Notice

E-Tenders are hereby invited from the firm registered with GST Bridge Corporation and having experience in the repair of crane so as to reach this office latest by 3.00 P.M. on 21.06.2019 for the supply/Repair of Japani crane 335 AS CSN 103069 The E-tenders shall be opened on the same day at 3.30 P.M. in presence of E-tenderer's present at time of opening. E-Tender documents can be purchased from the office of the undersigned on any working day upto 20.06.2019 on 3.30 P.M. at the cost of Rs. 1000/- + 18% GST.

(Ashok Tiwari),
Dy. Project Manager (M)

ईडी के सामने पेश नहीं हुईं चंदा कोचर

नई दिल्ली, 10 जून (भाषा)।

आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर को सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना था। लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहीं। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ने बताया कि इसके पीछे उन्होंने खराब सेहत का हवाला दिया है। उन्हें अब इसी सप्ताह पेश होने के लिए कहा जाएगा। कोचर एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रही हैं। इसकी जांच निदेशालय कर रहा है। इस मामले में बैंक के साथ वीडियोकॉन समूह भी शामिल है। कोचर पिछले सप्ताह भी खराब सेहत का हवाला देकर निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुई थीं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निदेशालय अब बैंक के कुछ और अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाने पर विचार कर रहा है ताकि वह कोचर के बयानों की पुष्टि कर सके। निदेशालय ने पिछले महीने कई दौर की पूछताछ में कोचर और उनके पति दीपक कोचर के बयान दर्ज किए थे।

मारुति ने मई में वाहन उत्पादन में 18 फीसद की कटौती की

नई दिल्ली, 10 जून (भाषा)।

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने मई में वाहन उत्पादन में 18 फीसद की कटौती की है। यह लगातार चौथा महीना है जब कंपनी ने उत्पादन में कटौती की है।

मारुति सुजुकी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि उसने मई 2019 में हल्के वाणिज्यिक वाहन समेत कुल 1,51,188 वाहनों का उत्पादन किया जबकि एक साल पहले इसी महीने कंपनी ने 1,84,612 इकाइयों का उत्पादन किया था। इस दौरान उत्पादन में 18.1 फीसद की कटौती की गई है। हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) सुपर कैरी को छोड़कर कंपनी ने मई में कॉम्पैक्ट और मिनी कारों सहित अन्य सभी वाहन श्रेणियों में उत्पादन में कमी की है। मारुति ने आल्टो, स्विफ्ट और डिजायर समेत यात्री वाहनों का उत्पादन 18.88 फीसद घटा कर 1,48,095 वाहन कर दिया। उसने मई, 2018 में 1,82,571 इकाइयों का उत्पादन किया था। कंपनी ने आल्टो 800 जैसे छोटे खंडों में वाहनों का उत्पादन 42.29 फीसद कम करके 23,874 इकाई कर दिया जबकि मई, 2018 में यह 41,373 इकाइयों पर थी।

कंपनी ने लगातार चौथे महीने उत्पादन में कटौती की

मारुति ने सेलेरियो, स्विफ्ट जैसे कॉम्पैक्ट वाहनों का उत्पादन 9.54 फीसद घटा कर 84,705 वाहन कर दिया, जो कि मई 2018 में 93,641 इकाइयों पर था। उपयोगी (यूटिलिटी) वाहनों का उत्पादन भी 3.21 फीसद गिरकर 24,748 इकाई रहा। मई 2018 में उसने 25,571 वाहनों का उत्पादन किया था। कंपनी ने कहा कि वैन उत्पादन भी 34.99 फीसद घटाकर 10,934 इकाई कर दिया जो कि मई 2018 में 16,819 इकाई पर था। इससे पहले मारुति ने अप्रैल में उत्पादन में करीब 10 फीसद की कटौती की थी। वहीं, मार्च में उत्पादन में 20.9 फीसद और फरवरी में आठ फीसद की कटौती की थी।

वाहन निर्माता कंपनियां पिछले कुछ समय से बिक्री में सुस्ती का सामना कर रही हैं। इस सुस्ती के कारण कंपनियों को बाजार मांग के हिसाब से उत्पादन को समायोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

गूगल लॉबिंग पर सबसे अधिक खर्च करने वाली प्रौद्योगिकी कंपनी : रपट

वाशिंगटन, 10 जून (भाषा)।

गूगल नीति निर्धारकों को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग पर सबसे अधिक खर्च करने वाली प्रौद्योगिकी कंपनी है। पिछले साल गूगल ने इस मद में 2.17 करोड़ डालर की राशि व्यय की। एक मीडिया रपट में यह बात सामने आई है।

सीएनबीसी ने 'सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स' की रपट के हवाले से कहा कि हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा लॉबिंग पर खर्च बढ़ा है। सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स एक गैर-सरकारी और शोध संगठन है। यह चुनाव और लोकनीति पर धन और लॉबिंग के प्रभाव पर नजर रखता है। रपट में कहा गया है कि निजता और बाजार नियंत्रण के सवाल पर अमेरिका नियामकों की ओर से प्रौद्योगिकी कंपनियों पर शिकंजा कसा है। इसके चलते नीति निर्धारकों को प्रभावित करने के लिए उनकी ओर से लॉबिंग पर खर्च बढ़ा है। अमेरिका में गूगल से ज्यादा कोई और कंपनी इस मद में इतना पैसा खर्च नहीं करती है।

सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स के अनुसार गूगल ने पिछले साल लॉबिंग पर 2.17 करोड़ डॉलर व्यय किए जबकि 2009 में यह खर्च मात्र 40 लाख डॉलर था। गूगल लगातार दूसरे साल इस मद पर सबसे अधिक खर्च करने वाली कारपोरेट कंपनी रही है। यह पारंपरिक बोइंग और एटीएंडटी जैसी कंपनियों से अधिक है। अमेजन और फेसबुक ने भी 2018 में लॉबिंग पर रिकॉर्ड खर्च किया है।

सूचकांक में लगातार दूसरे दिन बढ़त, आइटी शेयर चमके

मुंबई, 10 जून (भाषा)।

अमेरिका द्वारा मेक्सिको पर शुल्क को टालने के बाद सकारात्मक वैश्विक रुख के बीच शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में लाभ दर्ज हुआ। विशेषरूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कंपनियों के शेयर चमक में रहे।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान 350 तक चढ़ने के बाद अंत में 168.62 अंक या 0.43 फीसद के लाभ से 39,784.52 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 39,979.48 अंक के उच्च स्तर तक गया। यह 39,619.97 अंक के निचले स्तर तक भी आया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52.05 अंक या 0.44 फीसद की बढ़त के साथ 11,922.70 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसने 11,975.05 अंक का उच्चस्तर और 11,871.75 अंक का निचला स्तर भी छुआ। हालांकि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र में नकदी की स्थिति को लेकर चिंता से बाजार धारणा प्रभावित हुई। इससे वित्तीय कंपनियों के शेयर नीचे आए। सेंसेक्स की कंपनियों में टीसीएस, भारती एअरटेल, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, आइटीसी, पावरग्रिड, एचसीएल टेक और टाटा स्टील 2.39 तक लाभ में रहे। दूसरी ओर यस बैंक, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया और ओएनजीसी के शेयरों में 2.89 फीसद की गिरावट आई। बीएसई मिडकैप में मामूली बढ़त रही जबकि स्मॉलकैप में नुकसान रहा।

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टावर ए 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 (भारत)
शाखा का पताः टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि., 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 5530737 (विजय पाल यादव)

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की श्री विजय पाल यादव, निवासीः 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके अध्यक्ष एवं ट्रस्टी श्री विजय पाल यादव, जी-10, कृष्णा, प्लाजा, गढ़ रोड, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी श्री विजय पाल यादव, पुत्र स्व. आर श्री यादव, निवासीः 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी श्रीमती सुनीता यादव, पत्नी विजय पाल यादव, निवासीः 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी श्री नितिन यादव, पुत्र श्री एम एस यादव, निवासीः 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी श्रीमती शिखा यादव, पत्नी जयदीप सिंह यादव, पुत्री श्री विजय पाल यादव, निवासीः 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी सुश्री वर्षा यादव, पुत्री श्री विजय पाल यादव, निवासीः 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी एम.एस. यादव, पुत्र स्व. आर.सी. यादव निवासीः 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, सर्वहित ट्रस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके ट्रस्टी रमेश चन्द्र यादव, पुत्र हरि सिंह यादव, निवासीः 112, नांगलोई, दिल्ली-41, श्रीमती सुनीता यादव, निवासीः 145 बी सी लाइन्स, मेरठ, उ.प्र.-250001, मै. ईएमएम बी इन्फ्रा स्ट्रक्चर्स (इंडिया) प्रा.लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रबंध निदेशक श्री विजय पाल यादव, प्लॉट नं. 1000 एम, ग्रामघट, निकट द्वारका हाइट्स, एनएच-58, वेट व्यास पुरी मेरठ, प्लॉट नं. 1000 एम, ग्रामघट, निकट द्वारका हाइट्स, एनएच-58, वेट व्यास, निदेशक श्रीमती सुनीता यादव, प्लॉट नं. 1000 एम, ग्रामघट, निकट द्वारका हाइट्स, एनएच-58, वेट व्यास पुरी, मेरठ, रमेश चन्द्र यादव, पुत्र हरि सिंह यादव, निवासीः 126/128, अमीर मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस वाली गली, ग्राम नांगलोई, दिल्ली-110041, कमला यादव, निवासीः के एम नं. 126/128, अमीर मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस वाली गली, ग्राम नांगलोई, दिल्ली-110041, मै. प्रसंडी बिल्डर्स प्रा.लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक राजीव अग्रवाल, जी-10, कृष्णा प्लाजा, गढ़ रोड, मेरठ, उ.प्र.-250002, मै. प्रसंडी बिल्डर्स प्रा.लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक सूरज यादव पाल, जी-10, कृष्णा प्लाजा, गढ़ रोड, मेरठ, उ.प्र.-250002, वीएएम रिजार्ट्स एंड होटल्स प्रा.लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक श्री विजय पाल यादव, एपैक्स कॉलेज व्यास पुरी के सामने, मेरठ, उ.प्र.-250002, वीएएम रिजॉर्ट्स एंड होटल्स प्रा.लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक श्रीमती सुनीता यादव, एपैक्स कॉलेज व्यास पुरी के सामने, मेरठ, उ.प्र.-250002 से 22 अप्रैल, 2017 को रु. 5,05,28,976/- (रुपए पांच करोड़ पांच लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ छियत्तर मात्र) की कुल राशि की वसूली के लिये "जैसा है जहां है" एवं "जो भी वहां है" आधार पर 25 जून, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 22 अप्रैल, 2017 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 5,05,28,976/- (रुपए पांच करोड़ पांच लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ छियत्तर मात्र) की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्टें., नई दिल्ली-110055 में उक्त 25 जून, 2019 को 2.00 बजे अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी उक्त 24 जून, 2019 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार रचनात्मक/भौतिक	आरक्षित मूल्य रु. / धरोहर राशि रु.
सम्पत्ति सं. 1: प्लॉट नं. 21, सेक्टर नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र.-2013011 में ब्लॉक ए में निर्मित यूनिट नं. 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21, 2रा तल, सुपर एरिया 6600 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः कॉरीडोर, दक्षिणः यूनिट नं. 22 एवं 23, पूर्वः कॉरीडोर तथा यूनिट नं. 2 से 5, पश्चिमः कॉरीडोर तथा यूनिट नं. 10 से 14	भौतिक	रु. 15264000/- / रु. 1526400/-
सम्पत्ति सं. 2: प्लॉट नं. 21, सेक्टर नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र.-2013011 में ब्लॉक ए में निर्मित यूनिट नं. 3, 4, 5, 6 एवं 11 ए प्रथम तल, सुपर एरिया 6356 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः कॉरीडोर तथा यूनिट नं. 2,, दक्षिणः अन्य	भौतिक	रु. 14693400/- / रु. 1469340/-
सम्पत्ति सं. 3 प्लॉट नं. 21, सेक्टर नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र.-2013011 में ब्लॉक ए में निर्मित यूनिट नं. 8 एवं 9, भूतल जिसका सुपर एरिया माप 2600.00 वर्ग फीट है। चौहद्दीः उत्तरः अन्य सम्पत्ति	भौतिक	रु. 6010515/- / रु. 601051.5/-
सम्पत्ति सं. 4 प्लॉट नं. 21, सेक्टर नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.-2013011 में स्थित यूनिट नं. 17 एवं 18, 2रा तल, ब्लॉक डी, जिसका सुपर एरिया माप 1789 वर्ग फीट है। उत्तरः यूनिट नं. 15 एवं 16, दक्षिणः यूनिट नं. 19 एवं 20, पूर्वः कॉरीडोर तथा यूनिट नं. 3, पश्चिमः कॉरीडोर तथा यूनिट नं. 13	भौतिक	रु. 4135698/- / रु. 413569.8/-

समेकित आरक्षित मूल्य रु. 4,01,03,613/- तथा ईएमडी रु. 40,10,361/- होगी।
* बोलीदाता संयुक्त अथवा व्यक्तिगत रूप से सभी सम्पत्तियों के लिये अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।
बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 25 जून, 2019 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net या Auctiontiger Mobile App (Android) के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ "टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि." के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण 21 जून, 2019 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं तक किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा तथा उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की ईच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणोंः शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाताः मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अहमदाबाद, फोनः 07961200520/598/554/587/559/587/538, ईमेल आईडीः support@auction-tiger.net एवं rajsthan@auctiontiger.net एवं tilak@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणीः इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री जगदीप सहरावत, ई-मेलः jagdeep.sehrawat@ TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 7290010751 से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् https://sarfaesi.auctiontiger.net में दी गई लिंक देखें।

स्थानः दिल्ली हस्ता./-
तिथिः 8.6.2019 प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

सार्वजनिक सूचना
कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली के समक्ष
सीमित दायित्व भागीदार अधिनियम, 2008, धारा 13 (3) के मामले में
तथा
मामले में
ग्रोफास्ट एण्टरप्राईजेज एलएलपी
(AAL-5043)
---आवेदक

(सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निगमित एक एलएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. बी-20 (पुराना नं. सी-16), दूसरा तल, महारानी बाग, नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली डीएल 110065 आईएन में है)

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए एलएलपी को सक्षम बनाने के लिए 10 जून, 2019 को आयोजित पदनामित पार्टनर्स की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए उसकी पुष्टि के लिए एलएलपी नियमावली, 2009 के नियम 17 के साथ पठित सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के अंतर्गत ग्रोफास्ट एण्टरप्राईजेज एलएलपी ("यहां के बाद एलएलपी के रूप में वर्णित") कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के पास आवेदन करने की प्रक्रिया में है।

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे ऊपर वर्णित पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कम्पनी रजिस्ट्रार, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृते एवं के लिए
ग्रोफास्ट एण्टरप्राईजेज एलएलपी
नवीन कुरेले
तिथिः 10.06.2019 पदनामित पार्टनर
स्थानः नई दिल्ली DIN: 00144039

फॉर्म नं. यूआरसी-2
अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत
पंजीकरण के बारे में सूचना का विज्ञापन
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में)

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, कंपनी पंजीयक, दिल्ली एवं हरियाणा के पास एक आवेदन किया गया है कि **मोटोवर्क्स ऑटोमोबाइल्स एलएलपी, एक सीमित दायित्व साझेदारी फर्म** को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के तौर पर **मोटोवर्क्स ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड** के नाम के साथ पंजीकृत किया जाए।
2. प्रस्तावित कंपनी का मूल उद्देश्य निम्न प्रकार से है:-
   - ऑटोमोबाइल्स एवं इसके पार्ट्स एवं एसेसरीज या अन्य सहायक व्यवसाय जो ऑटोमोबाइल व्यवसाय या साझेदारों के बहुमत से निर्णित किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से किसी अन्य व्यवसाय के संचालन के लिए उचित एवं आवश्यक हो, उसका निष्पादन करना।
3. प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और कंपनी के अनुच्छेद एवं एसोसिएशन की प्रति का निरीक्षण बी-1/5, झिलमिल डीएसआईडीसी, झिलमिल, ताहिरपुर, दिल्ली-110095 में स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।
4. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में, हमारे पंजीकृत कार्यालय को एक प्रति सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार, सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6,7,8, सैक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड-122050 को भेज सकता है।

आवेदक का नामः
1. सुमय अस्तावन
2. विजय लक्ष्मी अस्तावन

दिनांकः 10 जून, 2019

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण
चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष
सी.पी. (सीएए) सं. 10/सीएचडी/सीएचडी/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 के विषय में
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के साथ पठित धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के विषय में
तथा
गोल्डन केम-टेक लिमिटेड (अंतरणकर्ता कम्पनी/आवेदक कम्पनी 1) तथा स्टाइलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी/आवेदक कम्पनी 2) के बीच समामेलन की स्कीम के विषय में

याचिका की सुनवाई की सूचना

आवेदक कम्पनियों द्वारा गोल्डन केम-टेक लिमिटेड तथा स्टाइलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम की स्वीकृति आदेश के लिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत एक याचिका ("याचिका") प्रस्तुत की गई थी तथा उक्त याचिका की सुनवाई राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ("एनसीएलटी") के समक्ष 12-07-2019 को की जानी नियत है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका के विरोध का इच्छुक है, अपने आशय की सूचना, जो उसके अपने स्वयं अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता द्वारा नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, आवेदक कम्पनी अथवा इसके अधिवक्ता को नीचे वर्णित पते पर भेज सकता है, जो आवेदक कम्पनी अथवा इसके अधिवक्ता और एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ, कार्पोरेट विधि भवन, सेक्टर-27, चंडीगढ़ को याचिका की सुनवाई हेतु नियत तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार और एक शपथपत्र ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को यह प्रति आवेदक कम्पनी अथवा इसके अधिवक्ता द्वारा उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांकित : 11-06-2019

आवेदक कम्पनी :	आवेदक कम्पनी हेतु अधिवक्ता
श्री मनित गुप्ता	श्री वैभव शर्मा
निदेशक	अधिवक्ता
गोल्डन केम-टेक लि.	लॉयर्स चैम्बर नंबर 2
एससीओ 14, सेक्टर 7-सी,	पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय,
मध्य मार्ग, चंडीगढ़	चंडीगढ़

प्रपत्र जी (पहली विस्तार)
समाधान योजनाओं का आमन्त्रण
(ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन)

	प्रासंगिक विवरण	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	**फोर्ट्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	10 नवंबर, 2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज – जयपुर
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U24232RJ2010PTC033295
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	51बी, लाल पुरा कॉलोनी, वनस्थली मार्ग, जयपुर-302001
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	08 मार्च, 2019
7.	रुचि की अभिव्यक्ति के आमन्त्रण की तिथि	**11 जून, 2019 (संशोधित)** 21 मई, 2019 (वास्तविक)
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है :	संभावित समाधान आवेदक ई-मेल आईडीः cirp.fbpl@gmail.com पर विशिष्ट अनुरोध भेजकर, ई-मेल के माध्यम से विवरण मांग सकते हैं।
9.	धारा 29ए के तहत प्रयोज्य अपात्रता के मानदण्ड उपलब्ध है :	संभावित समाधान आवेदक ई-मेल आईडीः cirp.fbpl@gmail.com पर विशिष्ट अनुरोध भेजकर, ई-मेल के माध्यम से विवरण मांग सकते हैं।
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अन्तिम तिथि	**01 जुलाई, 2019 (संशोधित)** 10 जून, 2019 (वास्तविक)
11.

कांग्रेस नेता विक्रमार्क का अनिश्चितकालीन अनशन खत्म

हैदराबाद, 10 जून (भाषा)।

तेलंगाना में कांग्रेस के 12 विधायकों के सत्तारूढ़ टीआरएस में अवैध विलय के खिलाफ अनशन पर बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम भट्टी विक्रमार्क ने पार्टी साथियों की अपील पर तीन दिन बाद अनिश्चितकालीन उपवास खत्म कर दिया।

तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष एन उत्तम कुमार रेड्डी ने यहां पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस विधायक दल के नेता विक्रमार्क ने यहां निम्स अस्पताल में अपना उपवास खत्म कर दिया। पुलिस ने उनकी बिगड़ती तबीयत के मद्देनजर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था।

रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों के विलय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी और मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना आयोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेगी और मामला संसद में भी उठाया जाएगा। विक्रमार्क ने यहां धरना चौक पर शनिवार को 36 घंटे का अनशन आरंभ किया था जिसे बाद में उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन में बदल दिया था।

पुलिस ने बताया कि विक्रमार्क की तबियत बिगड़ने और स्वीकृत समय से अधिक समय तक प्रदर्शन करने के मद्देनजर उन्हें निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीसीपी (मध्य जोन) पी विश्व प्रसाद ने कहा, 'उन्होंने 36 घंटे धरना करने की अनुमति मांगी थी और उसकी अनुमति दे दी गई, लेकिन, उन्होंने स्वीकृत समय के बाद भी प्रदर्शन जारी रखा।' उन्होंने कहा, 'चिकित्सकीय दल ने उनकी जांच की। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।'

उल्लेखनीय है कि तेलंगाना में विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीनिवास रेड्डी ने गत गुरुवार को कांग्रेस के 12 विधायकों को टीआरएस के सदस्यों के तौर पर मान्यता दे दी थी।

रक्षा मंत्रालय गोवा शिपयार्ड को हर मदद देगा : नाइक

पणजी, 10 जून (भाषा)।

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने सोमवार को कहा कि केंद्र गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को हर मदद मुहैया कराएगा, जिससे वह रक्षा संबंधी अपनी सभी परियोजनाओं को समय से पूरा कर सके। नाइक ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमोडोर (अवकाशप्राप्त) बीबी नागपाल के साथ विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के सामने रक्षा मंत्रालय के आदेशों से संबंधित मुद्दों का जल्द हल किया जाएगा। गोवा शिपयार्ड यहां से करीब 40 किमी दूर स्थित वास्को में स्थित है।

नाइक ने कहा, 'मंत्रालय परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए शिपयार्ड को सभी आवश्यक समर्थन देगा। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनकी ऑर्डर बुक पूरी तरह से भरी हो।'

पटना हवाईअड्डे को बम से उड़ाने की

पटना, 10 जून (भाषा)।

पटना हवाईअड्डे को बम से उड़ाने की कथित तौर पर धमकी मिलने के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

पटना हवाईअड्डे के प्रभारी निदेशक केएस विजयन ने सोमवार को बताया कि रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे टेलीफोन पर एक कॉल कोलकाता से आई थी, जिसमें पटना हवाईअड्डे को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस फोन कॉल के बाद रात्रि करीब सवा बारह बजे तक हवाईअड्डा परिसर में सघन तलाशी और जांच की गई तथा सबकुछ ठीक पाया गया।

छत्तीसगढ़ में एक नक्सली गिरफ्तार

बीजापुर, 10 जून (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया।बीजापुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यहां बताया कि पुलिस ने पामेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एमपुर गांव के जंगल से नक्सली अर्जुन कुंजाम (27) को गिरफ्तार किया है।

IS 15700:2005 सेवोत्तम प्रमाणित

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण इकाई–फैजाबाद
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्पलेक्स, अंगूरी बाग, अयोध्या. ई–मेल: nirmanikai.fzb@gmail.com

पत्रांक: 469/AC-14/18 दिनांक: 10.06.2019

अति अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में क्रमांक–1 हेतु **''श्रेणी–ए''** एवं क्रमांक–2 हेतु **''श्रेणी–डी या उससे ऊपर''** पंजीकृत समान कार्यो के अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से टू बिड पद्धति पर निम्नांकित विवरण के अनुसार ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई–फैजाबाद, आफिस काम्पलेक्स अंगूरीबाग, फैजाबाद में खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत (₹ लाख में)	धरोहर धनराशि (₹ लाख में)	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई–निविदा डाउनलोड तथा अपलोड करने की तिथि	तकनीकी बिड खुलने की तिथि व समय	वित्तीय बिड खुलने की तिथि व समय
1	आई.टी.आई. मिल्कीपुर, अयोध्या के अवशेष निर्माण कार्य	बी0ओ0 क्यू0 के अनुसार	275.00	5.50	₹ 6000 + 18% GST	12 माह	18.06.2019 16:00 बजे से 03.07.2019 12:00 बजे तक	03.07.2019 13:00 बजे	05.07.2019 12:00 बजे
2	सामु0स्वा0 केन्द्र सुनवा के अवशेष निर्माण कार्य	बी0ओ0 क्यू0 के अनुसार	40.00	0.80	₹ 1500 + 18% GST	6 माह	18.06.2019 16:00 बजे से 03.07.2019 12:00 बजे तक	03.07.2019 13:00 बजे	05.07.2019 12:00 बजे

नोट– उक्त निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई–फैजाबाद या परिषद की वेबसाइट www.upavp.in एवं http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

परियोजना प्रबन्धक

pnb Housing Finance Limited
कॉर्पोरेट कार्यालय: 9 वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन-011-23357171, 23357172,23705414, website:www.pnbhousing.com
शाखा कार्यालय : 8वां तल, डीमीएम बिल्डिंग, 16, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली- 110001, वेबसाईट: www.pnbhousing.com

शुद्धिपत्र

दिनांक 26.05.2019 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित ऋण खाता संख्या **HOU/DEL/0317/361092** ऋणी श्री करूणायन त्रिपाठी और श्री राघवेन्द्र त्रिपाठी की कब्जा सूचना में बकाया राशि की दिनांक 17.10.2018 के स्थान पर 25.01.2019 पढ़ा जावे। शेष तथ्य यथावत रहेंगें।

प्राधिकृत अधिकारी,(मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लि.)

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

(दिवाला एवं दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्ति के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत)

सेलेस्टियल इस्टेट प्रा.लि. के संभावित प्रस्ताव आवेदकों

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	सेलेस्टियल इस्टेट प्रा.लि.
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	18.6.2007
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45400DL2007PLC164871
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	बी–100, 2रा तल, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, DL110028 आईएन
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	11.3.2019, आईआरपी की सूचना 27.3.2019 को दी गई।
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	10.6.2019 (10 जून, 2019)
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	www.celestialestate.in एवं/ अथवा irpcepl@celestialestate.in पर ई–मेल द्वारा अनुरोध भेजकर आरपी से प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	irpceplestate.in पर ई–मेल द्वारा अनुरोध भेजकर आरपी से प्राप्त की जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	25.6.2019 (25 जून, 2019)
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	5.7.2019 (5 जुलाई, 2019)
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	10.7.2019 (10 जुलाई, 2019)
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	20.7.2019 (20 जुलाई, 2019)
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	10.7.2019 (10 जुलाई, 2019)
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 बी (1) के अंतर्गत उसे प्राप्त करने के लिये योग्य संभावित प्रस्ताव आवेदकों (पीआरए'ज) के साथ इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में शेयर की जायेगी।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	9.8.2019 (9 अगस्त, 2019)
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	अधोलिखित पते पर मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा हाथों–हाथ जमा करः ध्यानार्थः प्रस्तावकर्मी, सेलेस्टियल इस्टेट प्रा.लि., ए–166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 कृपया irpcepl@celestialestate.in पर ई–मेल पुष्टि करें।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	8.9.2019 (8 सितम्बर, 2019)
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	विवेक पार्ती, प्रस्ताव कर्मी, IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-18/11376
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई–मेल	विवेक पार्ती, ए–166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024, ई–मेलः v_parti@yahoo.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	ए–166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 ई–मेलः irpcepl.celestialestate.in
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	आगे विवरण www.celestialestate.in पर उपलब्ध है अथवा irpcepl@celestialestate.in पर ई–मेल से अनुरोध भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	10.6.2019 (10 जून, 2019)

हस्ता./–
विवेक पार्ती
प्रस्ताव कर्मी- सेलेस्टियल इस्टेट प्रा.लि.
आर पी पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-18/11376
ए–166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024

तिथि: 8 जून, 2019
स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म नंबर INC-26

[30 कंपनियों (निगमन) नियम, 2014 पर शासन करने का उद्देश्य]

केंद्र सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र)
नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के उप खंड (4) और उप–नियम (5) के नियम (2014) में कंपनियों के 30 नियम (निगमन) नियम के मामले में

तथा

मेसर्स चौधरी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
(कंपनी पहचान सं : U85110DL2004PTC125368)
जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सी– 522, विकासपुरी नई दिल्ली –110018 है।

आवेदक

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय ''रा.रा.क्षे. दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 8 मई, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली को इस सूचना के प्रकाशन के 14 (चौदह दिन) के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय में भेजें।

पता: सी–522, विकासपुरी,
नई दिल्ली –110018

आवेदक की ओर से और उसके लिए
मेसर्स चौधरी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता/–
जगदीप सिंह चौधरी
निदेशक
डीआईएन: 01480117

दिनांक: 25.05.2019
जगह: नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**31.03.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 19.06.2019

Ratia (Ha): MUL-1020, MAL-3817, 3912, 4035, 4470, 5567, MBL-7047, MSL-16436, 17429, 17440, 17547, 17576, 17620, 17650, 17692, 17770, 17836, 17846, 17857, 17858, 17868, MUL-441, 573, 639, 657, 677, 717, 758, 847, 853, 857, 904, 906, 917, 940, 953, 954, 1070, 1087, 1102, 1138, 1146, 1157, 1158, 1165, 1166, 1177, 1192, 1208, 1250, 1258, 1289, 1329, 1334, 1347, 1354, 1355, 1358, 1412, 1421, 1469, 1526, 1528, 1537, 1575, 1586, 1592, 1597, 1600, 1609, 1614, 1621, 1643, 1669, 1685, 1698, 1732, 1733, 1754, 1772, 1809, 1824, 1835, 1849, 1912, 1923, 1929, 1936, 1951, 1962, 2001, 2016, 2018, 2041, 2046, 2062, 2078, 2095, 2107, 2126, 2153, 2169, 2213, 2214, 2227, 2231, 2233, 2237, 2245, MWS-33, 34, 47, 85, 95, 126, 137, 171, 173, 199, 201, 226, 227, 240, 306, 311, 317, 329, 331, 351, 360, 362, 363, 368, 378, 397, 403, 408, 415, 431, 445, 455, 473, 474, 486, 487, 493, 509, 512, 514, 522, 528, 556, 565, 570, 579, 592, 608, 622, 623, 714, 720, 731, 734, 753, 761, 762, 790, 808, 820, 821, 823, 829, 847, 852, 876, 878, 885, 898, 901, 905, 906, 924, 925, 935, 936, 943, 945, 956, 963, 967, 972, 980, 982, 984, 1013, 1018, 1019, 1039, 1054, 1056, 1057, 1059, 1063, 1072, 1076, 1098, 1107, 1128, 1133, 1181, 1184, 1188, 1202, 1218, 1238, MUL-891, 2055, MAL-4644, MUL-708, 1859, MWS-1199, MUL-1699, 1896, MSL-17665, MWS-1022

नीलामी की तिथि: 20.06.2019

Barwala (Ha): MUL-610, 658, 1623, MWS-316, 324, 555, MUL-614, 1238, 1521, 1768, MWS-66, 232, 389, 564, MUL-248, 301, 931, 1357, 1789, MWS-156, 219, 240, 525, 171, MSL-6417, 6439, 6552, MUL-391, 596, 654, 696, 1073, 1316, 1350, 1354, 1462, 1475, 1565, 1673, MWS-14, MSL-6504, MUL-416, 464, 468, 485, 765, 906, 1098, 1193, 1422, 1728, MWS-291, 416, 427, MAL-623, 800, 972, 1251, MSL-6280, 6441, 6450, 6453, 6558, 6575, MUL-212, 251, 253, 280, 287, 329, 335, 389, 414, 415, 431, 432, 460, 462, 480, 487, 499, 524, 528, 536, 607, 628, 633, 642, 653, 682, 705, 706, 713, 753, 754, 758, 796, 812, 813, 833, 835, 845, 855, 880, 883, 893, 924, 926, 930, 942, 950, 968, 969, 983, 986, 996, 1034, 1036, 1037, 1063, 1097, 1119, 1120, 1124, 1172, 1178, 1179, 1202, 1259, 1275, 1276, 1278, 1286, 1294, 1296, 1301, 1306, 1313, 1331, 1332, 1336, 1341, 1343, 1344, 1358, 1378, 1388, 1394, 1398, 1410, 1413, 1418, 1430, 1431, 1434, 1478, 1495, 1503, 1512, 1548, 1613, 1624, 1626, 1645, 1649, 1651, 1661, 1688, 1692, 1729, 1752, 1755, 1756, 1757, 1771, 1772, 1773, 1784, MWS-27, 48, 116, 130, 132, 134, 145, 165, 174, 179, 195, 196, 198, 203, 224, 235, 237, 250, 263, 271, 281, 283, 295, 296, 297, 329, 359, 370, 372, 373, 386, 388, 393, 403, 420, 424, 441, 457, 466, 474, 494, 499, 503, 507, 529, 531, 538, 554, 578, 588, MUL-388, 605, 1731, MWS-201, 345, 422, 496, MUL-1067, MWS-102

नीलामी की तिथि: 22.06.2019

Tohana (Ha): MHL-182, MUL-70, 300, 306, 316, 327, 346, 373, 406, 442, 467, 498, 500, 522, 548, 564, 616, 618, 620, 702, 781, 790, 847, 886, 899, 908, 909, 932, 966, 967, 979, 989, 991, 1057, 1061, 1070, 1077, 1078, 1088, 1100, 1120, 1149, 1165, 1177, 1185, 1195, 1219, 1225, 1244, 1245, 1265, 1266, 1270, 1272, 1280, 1282, 1284, 1299, 1314, 1336, 1338, 1339, 1352, 1361, 1388, 1409, 1415, 1422, 1430, 1450, 1460, 1513, 1517, 1590, 1596, 1613, 1615, 1624, 1636, 1659, 1663, 1673, 1682, 1697, 1700, 1710, MWS-5, 28, 43, 45, 50, 67, 71, 114, 133, 167, 182, 208, 217, 239, 247, 302, 310, 338, 402, 416, 426, 434, 473, 479, 501, 517, 546, 553, 560, 562, 568, 575, 579, 590, 597, 604, 606, 609, 610, 611, 620, 626, 630, 640, 643, 646, 650, 659, 663, 664, 665, 693, 697, 703, 704, 716, 717, 732, 733, 734, 740, 749, 751, 752, 762, 781, 782, 792, 822, 823, 825, 833, 835

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.09.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 20.06.2019

Barwala (Ha): MUL-1200

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली – 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन [अधिनियम], 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत सिटी बैंक एन.ए. जिसका कार्यालय 3रा तल, 27, सेन्ट्रल मार्केट, वेस्टर्न एवैन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026 में है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 25.1.2019 जारी कर अमरजीत सिंह लाम्बा तथा हरबंस सिंह (यहां के बाद ''ऋणधारकों'' के रूप में वर्णित) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 10,20,064.96/– (रुपए दस लाख बीस हजार चौंसठ एवं पैसे छियानवे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

[ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 6 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।]

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 25.1.2019 को रु. 10,20,064.96/– (रुपए दस लाख बीस हजार चौंसठ एवं पैसे छियानवे मात्र) की राशि के लिए सिटी बैंक एन.ए. के चार्ज के अधीन होगा।

[ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।]

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं. 71 ए, प्लॉट नं. 26, पॉकेट जी–16, सेक्टर 15, रोहिणी, नई दिल्ली में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

श्री रोहण कुमार
प्राधिकृत अधिकारी
(सिटी बैंक एन.ए.)

तिथि: 11.6.2019
स्थान: दिल्ली

TATA

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

सम्पर्क का पता: 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली–110055, भारत

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में,

1. **मीठी इन्टेरियर्स प्रा. लि., द्वारा उसके निदेशक श्री मिथिलेश झा** टी–2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक्टर–5, द्वारका, नई दिल्ली–110075
2. **मिथिलेश कुमार झा, पुत्र राजेन्दर झा,** टी–2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक्टर–5, द्वारका, नई दिल्ली–110075 साथ हीः फ्लैट नं. 70, छठा तल, मंजिल अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 7, सेक्टर–9, द्वारका, नई दिल्ली–110075 साथ हीः ए–903, प्लॉट नं. 3 डी, अप्पू एन्क्लेव, सीजीएचएस, सेक्टर–11, फेज द्वारका, नई दिल्ली–110075 स्व. राजेन्द्र झा, टी–2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक–5, दिल्ली के सांविधिक उत्तराधिकारी
3. **अन्नपूर्णा झा, पत्नी स्व. राजेन्द्र झा** टी–2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक–5, दिल्ली ए–903, प्लॉट नं. 3 डी, अप्पू एन्क्लेव, सीजीएचएस, सेक्टर–11, फेज द्वारका, नई दिल्ली–110075 साथ हीः फ्लैट नं. 70, छठा तल, मंजिल अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 7, सेक्टर–9, द्वारका, नई दिल्ली–110075 साथ हीः यूनिट नं. टी 2 से टी 9, तीसरा तल, पंकज आर्केड, एमएलयू पॉकेट, सेक्टर 5, प्लॉट नं. 16, द्वारका, नई दिल्ली–110075

एलएएन 6130466, 6130455, 551839 में टीसीएफएसएल की दिल्ली शाखा द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 16 मई, 2019 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये रु. 2,65,96,607/– (ऋण नं. 6130466/– रु. 4687081.49, ऋण नं. 6130455– रु. 3,74,065, ऋण नं. 5518392– रु. 2,15,35,461/– की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार–बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 16 मई, 2019 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 27 मई, 2019 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ ऋण खाता सं. 6130466, 6130455, 5518392 में रु. 26596607/– (रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख छियानवे हजार छः सौ सात मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

संपत्तियों की अनुसूची

पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, एमआईयू पॉकेट, सेक्टर 5, द्वारका, नई दिल्ली–110075 में स्थित व्यावसायिक शॉप/कार्यालय/यूनिट नं. टी 2, 3, टी 4, टी 5, टी 6, टी 7, टी 8, टी 9, तीसरे तल पर जिसका सम्पूर्ण विवरण बिक्री प्रलेख में दिया गया है।

चूंकि सूचना 27 मई 2019 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 11.6.2019

प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

TATA

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टावर ए 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 (भारत)
शाखा का पताः टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि., 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली–110055

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई–नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 3369134 (मै. अल्ट्रा टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लि.)

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह–ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा कर लिया गया है, की 1. मै. अल्ट्रा टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा उसके निदेशक, 2. श्री सैफ मोविन, सी–16/ए, कालकाजी, भूतल, नई दिल्ली–110019, श्री सैफ मोविन, मकान सं. बी–150, जाकिरबाग के सामने, 3. कृष्ण पाल सिंह, मकान सं.–627, सेक्टर–16ए, फरीदाबाद, हरियाणा–121002 से रु. 75,60,384/– (रुपये पचहत्तर लाख साठ हजार तीन सौ चौरासी मात्

ज्येष्ठ अष्टमी पर सोमवार को जम्मू के खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना करते कश्मीरी पंडित।

मध्य प्रदेश : अबोध बच्ची से बलात्कार और हत्या का आरोपी गिरफ्तार

सूबे के गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा, मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में होगी

भोपाल, 10 जून (भाषा)।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अबोध बच्ची का कथित रूप से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी विष्णु मोहारे को सोमवार सुबह प्रदेश के खंडवा जिले से गिरफ्तार किया।

भोपाल के कमला नगर पुलिस थाना इलाके में शनिवार की रात नाबालिग बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या करने के बाद आरोपी ने बच्ची का शव उसी के घर के पास नाले में फेंक दिया और फरार हो गया था। पुलिस ने रविवार को सुबह शहर के कमला नगर पुलिस थाना इलाके में नाले से शव बरामद किया था। विष्णु मोहारे पिछले कुछ महीने से इस बच्ची के बगल वाले घर में ही किराए पर रह रहा था और मजदूरी करता था।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने बताया, 'आरोपी विष्णु मोहारे को खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित मोरटक्का गांव से सोमवार सुबह करीब 10 बजे गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस 48 घंटे के अंदर चालान पेश करेगी। मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्याय शीघ्र हो।' उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटा लिए हैं।बच्चन ने कहा कि उसे ओंकारेश्वर से भोपाल लाया जा रहा है। ओंकारेश्वर से भोपाल की दूरी लगभग 250 किलोमीटर दूर है। इसी बीच, मध्य प्रदेश के कानून एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मृतक बच्ची के परिजन को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

आरोपी की गिरफ्तारी से पहले स्थानीय लोगों ने सोमवार को यहां कमला नगर पुलिस थाने का घेराव किया और उसकी जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल को इस थाने के आसपास तैनात किया गया था।

इस मामले में अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कमला नगर पुलिस थाने में पदस्थ एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआइ) सहित छह पुलिसकर्मियों को रविवार को निलंबित किया है। आरोपी को पकड़ने में पुलिस की मदद करने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपए इनाम देने का एलान भी किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने बताया, 'इस बच्ची के शव की शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसमें कहा गया है कि बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और गला घोंटने से उसकी मौत हुई है। हम विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।' इस बच्ची के साथ विष्णु ने उस वक्त घटना को अंजाम दिया, जब वह अपने घर से शनिवार रात को करीब आठ बजे गुटखा खरीदने के लिए पास की ही दुकान में गई थी। पुलिस ने उसे रात भर ढूंढ़ा। लेकिन बच्ची का शव रविवार सुबह करीब पांच बजे मिला था।

किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर केरल विधानसभा में हो-हल्ला

तिरुवनंतपुरम, 10 जून (भाषा)।

केरल में किसानों की आत्महत्या को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) ने विधानसभा में सोमवार को खूब हो-हल्ला मचाया और माकपा की अगुवाई वाली सरकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही किसानों के कृषि ऋण माफ करने की मांग की। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है।

माकपा नीत एलडीएफ सरकार ने बताया कि वह केरल राज्य किसान ऋण माफी आयोग के जरिए किसानों के दो लाख रुपए तक के ऋण माफ करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन किसानों के मुद्दों पर सदन में चर्चा करने से इनकार के बाद विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर चले गए।

सदन से बाहर जाने से पहले सत्तारूढ़ और विपक्षी सदस्यों के बीच हाल के समय में कर्ज या फसल नुकसान की वजह से आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या पर बहस हुई। सदन में जब कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार ने कहा कि 2016 में एलडीएफ की सरकार राज्य में आने के बाद इडुक्की में 10 और वायनाड में पांच किसानों ने आत्महत्या की, तो विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने तर्क करते हुए कहा कि पिछले डेढ़ साल में 18 किसानों ने आत्महत्या की है।

कृषि मंत्री कुमार ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं बाढ़, सूखा और ओखी तूफान की वजह से कृषि क्षेत्र चुनौतियों का सामना कर रहा है और किसान गंभीर मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं।

तुल्ला मुल्ला के खीर भवानी मेले में पहुंचे हजारों श्रद्धालु

भक्तों ने नंगे पांव जाकर राज्ञा देवी के मंदिर में चढ़ाई गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां

तुल्ला मुल्ला (जम्मू कश्मीर), 10 जून (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल जिले में बने प्रसिद्ध राज्ञा देवी मंदिर में सोमवार को हजारों श्रद्धालु कश्मीरी पंडित एकत्रित हुए। वे यहां पारंपरिक श्रद्धा एवं हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले खीर भवानी मेले में एकत्र हुए थे।

इन श्रद्धालुओं ने धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर में घंटे बजा कर देवी के प्रति अपने अनुराग को प्रकट किया। तुल्ला मुल्ला गांव में चिनार के विशाल पेड़ों की छाया में बने इस मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। इनमें से अधिकतर कश्मीरी पंडित थे और इस मेले में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से आए थे।

खीर भवानी मेला इस विस्थापित समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इस मेले की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। यह मेला राज्य के सांप्रदयिक सौहार्द के प्रतीकों में शामिल है और इस हिंदू मान्यताओं से जुड़े इस मेले के विभिन्न प्रबंध मुसलमान समुदाय के लोग करते हैं।

श्रद्धालु गुलाब की पंखुडियां लेकर नंगे पांव मंदिर तक जाते हैं और उन्हें देवी को अर्पित करते हैं। पुरुष श्रद्धालु मंदिर के समीप जलधारा में स्नान करते हैं। श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित जलकुंड में खीर चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के नीचे बहने वाली जलधारा के पानी का रंग घाटी के कल्याण का संकेत देता है। यदि इसका जल कालिमा लिए हुए हो तो यह कश्मीर के लिए अशुभ माना जाता है। हालांकि इस बार जलधारा के पानी का रंग स्वच्छ और धवल था।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक मंदिर आए और उन्होंने राज्य में शांति की कामना की। नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राम माधव, कांग्रेस के जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख जीए मीर और कई अन्य नेता भी मंदिर पहुंचे।

झारखंड : बलात्कार के जुर्म में 11 लोगों को उम्रकैद

दुमका, 10 जून (भाषा)।

झारखंड के दुमका जिले में साल 2017 में 19 वर्षीय एक युवती से बलात्कार करने के जुर्म में एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) पवन कुमार ने दोषियों पर कुल 2.97 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने इन्हें सात जून को दोषी करार दिया था।

मुफ्फसिल पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दोषियों ने पहले महिला से हर्जाने के तौर पर धन और एक मोबाइल फोन मांगा क्योंकि उसका दोस्त गैर आदिवासी था।

फिर उन सभी ने छह सितंबर 2017 को दिघी गांव के समीप उससे बलात्कार किया। युवती और उसका दोस्त यहां से आठ किलोमीटर दूर दिघी में सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के परिसर से पैदल लौट रहे थे, जब उन्हें रिंग रोड और दिघी रोड के चौराहे पर ये लोग मिले।

पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री आरवी जानकीरमन का निधन

पुदुचेरी, 10 जून (भाषा)।

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता और पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री आरवी जानकीरमन का सोमवार को यहां निजी अस्पताल में आयु संबंध रोगों के चलते निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे।

मुख्यमंत्री वी नारायणसामी, विधानसभा अध्यक्ष वीपी शिवकोलुंधु, द्रमुक की उत्तर शाखा के संयोजक आर शिवा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि जानकीरमन का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार जानकीरमन का अंतिम संस्कार तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के नजदीक उनके मूल गांव अलाथुर में किया जाएगा। जानकीरमन 1985 से लगातार पांच बार यहां नेल्लीथोप निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। वह 1996 के 2000 के बीच द्रमुक-तमिल मनीला कांग्रेस (टीएमसी) गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री रहे।मुख्यमंत्री बनने से पहले वह विधानसभा में विपक्ष के नेता, द्रमुक के सचेतक और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टैक्सी चालक के रूप में की और बाद में फ्लीट ऑपरेटर बन गए।

खनन को लेकर आदिवासियों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा

अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला

दंतेवाड़ा, 10 जून (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में आदिवासियों ने सोमवार को लगातार चौथे दिन पहाड़ पर उत्खनन का विरोध करते हुए आंदोलन जारी रखा। आदिवासियों का मानना है कि पहाड़ में उनके इष्ट देवता की पत्नी विराजमान हैं।

राज्य के दक्षिण क्षेत्र में स्थित दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैलाडीला पहाड़ी के करीब दो सौ गांव के आदिवासी पिछले चार दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासियों का आरोप है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 'डिपाजिट 13' को अडानी समूह को सौंप दिया है और इस पहाड़ी में उनके इष्ट देवता प्राकृतिक गुरु नंदराज की धर्मपत्नी पिटोरमेटा देवी विराजमान है।

बैलाडीला के 'डिपाजिट नंबर 13' में 10 एमटीपीए क्षमता का लौह अयस्क का भंडार है। इसे एनएमडीसी-सीएमडीसी (छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम) लिमिटेड (एनसीएल) के नाम से संयुक्त उद्यम कंपनी के तहत विकसित किया जा रहा है। एनसीएल के अधिकारियों के मुताबिक खुदाई और खदान के विकास का ठेका पिछले साल अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिया गया था। वर्तमान में साइट पर पहुंचने का मार्ग बनाने के लिए पेड़ काटने का काम चल रहा है।

क्षेत्र में 'डिपाजिट 13' में खनन गतिविधियों का विरोध कर रहे आदिवासी नेता मंगल कुंजाम ने कहा, 'हम किसी भी कीमत पर पवित्र पहाड़ी पर खनन की अनुमति नहीं देंगे, जो हमारे देवता के रूप में पूजी जाती है।' कुंजाम ने कहा कि 'डिपाजिट नंबर 13' में दो बड़ी पहाड़ियां हैं, जिनमें से एक को नंदराज पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत का नाम आदिवासियों के प्रकृति देवता के नाम पर रखा गया है। वहीं दूसरी पहाड़ी में नंदराज की पत्नी पिटोरमेटा देवी का मंदिर है।

उन्होंने कहा कि आदिवासी पिछले चार दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। कुंजाम ने कहा कि खनन योजना के अनुसार, इस क्षेत्र में 25 हजार से अधिक पेड़ काट दिए जाएंगे और अब तक 10 हजार पेड़ काटे जा चुके हैं, जो पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। क्षेत्र में आदिवासी अपने पारंपारिक वाद्ययंत्रों और तीर कमान के साथ मौजूद हैं। आदिवासियों के इस आंदोलन को कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है।

क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस आंदोलन के कारण किरंदुल क्षेत्र की तीन खदानों में लौह अयस्क के उत्पादन का काम ठप है। जबकि बचेली क्षेत्र की दो अन्य खदानों में कार्य जारी है।

आदिवासी नेताओं द्वारा पहाड़ी पर पेड़ों की कटाई के आरोपों के बीच, राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि 'डिपाजिट 13' में पेड़ों की कटाई की अनुमति वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने नहीं बल्कि पिछले वर्ष जनवरी माह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी। इस मामले में कार्रवाई के सवाल पर अकबर ने कहा कि पहले पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी तथा इसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

'आर्टिकल-15' फिल्म से जुड़े लोगों के खिलाफ अदालत में मामला दायर

मुजफ्फरपुर, 10 जून (भाषा)।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में आगामी फिल्म 'आर्टिकल-15' से जुड़े लोगों के खिलाफ सोमवार को एक शिकायत दायर की गई।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) सूर्यकांत तिवारी की अदालत में अधिवक्ता शिवकुमार झा ने इस फिल्म के निर्माता-निर्देशक अनुभव सिन्हा, संगीत निर्देशक अनुराग शेखिया, मंगेश ठाकरे, अभिनेत्री ईशा तलवार, अभिनेता आयुष्मान खुराना, नसामी चक्रवर्ती, श्यानी गुप्ता एवं कुमोद मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153, 153 ए, 500 और 506 के तहत शिकायत दायर की।

न्यायाधीश ने इस शिकायत को विचारार्थ स्वीकार करते हुए इसकी सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख तय की। शिकायत में अधिवक्ता झा ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में वर्ष 2014 में घटित एक घटना पर आधारित बताई जा रही इस फिल्म में एक सोची-समझी साजिश के तहत ब्राह्मण जाति के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने जानबूझकर ब्राह्मण जाति को अपमानित करने के लिए अनुसूचित जाति को उकसाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने आगामी 26 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अदालत से आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फिल्म में जातिगत आधार पर कई आपत्तिजनक बयान व दृश्य फिल्माए गए हैं जबकि संबंधित घटना की सरकारी जांच में सामने आए तथ्य फिल्म के दृश्य एवं बयान से अलग हैं।

चारधाम यात्रा मार्ग पर पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं : रावत

देहरादून, 10 जून (भाषा)।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर पेट्रोल और डीजल की एक-दो दिन थोड़ी कमी हो गई थी परंतु यह अब दूर हो गई है। इन दिनों चारधाम यात्रा चरम पर है और पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। इस वर्ष, अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के उत्तराखंड में आने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ढाई से तीन गुना तक पर्यटक आए हैं। यात्रा मार्ग पर पेट्रोल, डीजल की किल्लत को देखते हुए इसके समाधान के लिए रविवार को राज्य सभा सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय पेट्रालियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत की थी।

Form No.- 5

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW
(Area of Jurisdiction part of Uttar Pradesh)
600/1, University Road,
Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow

O.A. No. 1423 of 2018 **Date: 23.05.2019**
Summons for filing Reply & Appearance by Publication

(Summons to defendants through publication UNDER SECTION 19 OF THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993 read with Rules 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993).

INDIAN OVERSEAS BANK **APPLICANT**
VERSUS
M/s JANKI INDUSTRIES AND ANOTHER **DEFENDANTS**

To,
1. M/s Janki Industries (a proprietorship firm) (Entrepreneurs Memorandum No. 090271100164) 3/138, Viswas Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Proprietor Sri Saurabh Sahu.
2. Sri Saurabh Sahu (Proprietor M/s Janki Industries) 3/138, Viswas Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
.....**DEFENDANTS**

In the above noted Original application, you are required to file reply in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly Authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons with in 30 days from the date of service of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on **16.07.2019** at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my Hand and Seal at Lucknow on this 23 day of May 2019.
A. Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

एलसीआरडी डिविजन/नई दिल्ली
दि फैडरल टावर्स अपर ग्राउंड फ्लोर
2/2, वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली-110008
फोन नं.: 011-40733980,40733978
ई-मेल: ndllcrd@federalbank.co.in

फेडरल बैंक
आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार
पंजी. कार्यालयः अलवाये, केरल

अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

आम जनता और विशेषकर कजदार(रों) एवं गारंटर(रों) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि फैडरल बैंक लि. (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल परिसम्पत्तियां जिनका फैडरल बैंक लि. (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया है, को **मैसर्स प्रणय ओवरसीज प्रा. लि.**, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 2650/2, प्रथम तल, गली रघुनंदन नया बाजार, दिल्ली-110006 में, इसके साथ 78/85, रोड बकोली, गांव बकोली, नजदीक भारत धरम कांटा, नई दिल्ली-110036 में है और **2. श्री पंकज जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन** निवासी बी-76, नजदीक मदर डेयरी, नई गुप्ता कॉलोनी, मॉडल टॉउन, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110009, **3. श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन** निवासी बी-76, नजदीक मदर डेयरी, नई गुप्ता कॉलोनी, मॉडल टॉउन, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110009 **4. श्रीमती प्रीति जैन पत्नी श्री पंकज जैन निवासी** बी-76, नजदीक मदर डेयरी, नई गुप्ता कॉलोनी, मॉडल टॉउन, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110009, **इसके साथः** मकान नं. सी-82, शक्ति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली-110007, **5. श्रीमती कैलाश जैन पत्नी श्री महावीर प्रसाद जैन** निवासी बी-76, नजदीक मदर डेयरी, नई गुप्ता कॉलोनी, मॉडल टॉउन, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110009, इसके साथः सी-82, शक्ति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली-110007 के पास बकाया रु.12,08,70,180/- (बारह करोड़ आठ लाख सत्तर हजार एक सौ अस्सी रुपए मात्र) की वसूली के लिए **27.06.2019** को **''जैसा है जहां है'' और ''जो है जैसा है''** आधार पर बेचा जाएगा। **आरक्षित मूल्य रु.6,70,00,000/- (छः करोड़ सत्तर लाख रुपए मात्र) एवं धरोहर जमा राशि रु. 67,00,000/- (सड़सठ लाख होगी)।**

सम्पत्ति का विवरण

सी-82, शक्ति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली-110007 में स्थित सभी सुधार एवं उस पर वर्तमान में निर्मित भवन के साथ सम्पत्ति सं. सी-82 परिमाप 191.72 वर्ग यार्ड के सभी भाग एवं हिस्से जो निम्नानुसार घिरी है: पूर्व में : प्लॉट नं. सी-81, पश्चिम में : प्लॉट नं. सी-83, उत्तर में : रोड 30 फीट चौड़ी और दक्षिण में : सर्विस रोड ।

प्रकाशन की तिथि से इच्छुक खरीददार उपरोक्त सम्पत्ति के संबंध में एक अलग मुहरबंद लिफाफे में संबंधित सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर **''फैडरल बैंक लि.** के पक्ष में नई दिल्ली में देय रु. **67,00,000/- (सड़सठ लाख रुपए मात्र)** के डिमांड ड्राफ्ट के साथ धरोहर राशि, जो कि बोली अस्वीकार होने पर प्रतिदेय है, अपने द्वारा प्रस्तुत की गई दर के साथ अपनी बोलियां अधोहस्ताक्षरी के पास **27.06.2019 को अप. 2:00 बजे** तक भेज सकते हैं। ईएमडी का डिमांड ड्राफ्ट निविदा से शामिल मुहरबंद लिफाफे के साथ अधोहस्ताक्षरी को सौंपा जा सकता है। बोली से शामिल मुहरबंद लिफाफा अधोहस्ताक्षरी के पास **27.06.2019 को अप. 2:00** बजे तक पहुंच जाना चाहिए। बोली खुलने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार बोली बढ़ाने के लिए बोलीदाताओं को आपस में बोली लगाने का अवसर दिया जाएगा। बोलीदाताओं के बीच पारस्परिक बोली बढ़ोत्तरी राशि न्यूनतम रु. 5 लाख है। इच्छुक खरीददार वैध पहचान पत्र के साथ बोली खुलने के समय **27.06.2019 को अप. 3:00 बजे फेडरल बैंक लिमिटेड,** ऋण संग्रह एवं वसूली विभाग (एलसीआरडी) नई दिल्ली शाखा, 2/2, फैडरल टॉवर्स, अपर ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 में स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। सम्पत्ति का विवरण, सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि, नियम व शर्तें शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, चांदनी चौक, 64, कटरा बरयान, चांदनी चौक, नई दिल्ली-110015 एवं एनडीएल/एलसीआरडी डिविजन, 2/2, फेडरल टॉवर्स, अपर ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से **26.06.2019** तक दूसरे एवं चौथे शनिवार को छोड़कर **दोपहर 12:00 बजे से अप. 4:00 बजे** के बीच प्राप्त किये जा सकते हैं। सम्पत्ति की नीलामी के विस्तृत नियम व शर्तें शाखा कार्यालय परिसर 64, कटरा बरयान, चांदनी चौक, नई दिल्ली-110015 एवं एनडीएल/एलसीआरडी डिविजन, 2/2, फेडरल टॉवर्स, अपर ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 में भी प्रदर्शित किये जाएंगें इच्छुक व्यक्ति शाखा प्रमुख चांदनी चौक, **फेडरल बैंक मोबाइल नं. 9560114069 एवं 9818646777 एवं कार्यालय नं. 011-40733980, 40733978, 011-49847491 से सम्पर्क कर सकते हैं।**

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए फेडरल बैंक की वेबसाइटः https://www.federalbank.co.in/web/guest/tender-notices में दिये गये लिंक को देखें।

तिथिः 10.06.2019 कृते फेडरल बैंक लि.
स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

प्रपत्र ख
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]

डेलिशियस कोको वाटर प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के अवधानार्थ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	**डेलिशियस कोको वाटर प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	17-03-2008
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U55209DL2008PTC175430
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय का पता	डी-13, उद्योग नगर, पीरागढ़ी, नई दिल्ली- 110063
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	01-12-2018
7.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	10.06.2019 (आदेश की प्रति दिनांक 31.05.2019 जो 10.06.2019 को प्राप्त हुई)
8.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	**नाम** : किशन गोपाल सोमानी **पता** : केजी सोमानी इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्रा.लि., चौथी मंजिल, 3/15 आसफ अली रोड, दिल्ली-110002 **ई-मेल** : kgsomani@gmail.com **मोबाइल** : 93133 57997 **पंजीकरण संख्या** : IBBI/IPA-001/IP-P00300/2017-2018/10544
9.	दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	**10-07-2019**

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (नई दिल्ली पीठ-II) ने संहिता की धारा 33 के अधीन **10.06.2019** को **डेलिशियस कोको वाटर प्राइवेट लिमिटेड** के परिसमापन के आरम्भन का आदेश दिया है (आदेश की प्रति दिनांक **31.05.2019** जो **10.06.2019** को प्राप्त हुई)।

डेलिशियस कोको वाटर प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को एतद्द्वारा प्रमाण सहित अपने दावे 10.07.2019 तक या इससे पूर्व मद संख्या 8 के सम्मुख उल्लिखित परिसमापक के पते पर जमा करने का आह्वान किया जाता है।

वित्तीय जमाकर्ता अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी हितधारक अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

असत्य अथवा भ्रामक दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

किशन गोपाल सोमानी
परिसमापक
डेलिशियस कोको वाटर प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक : 11.06.2019
स्थान : नई दिल्ली

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भला बैंकिंग का अर्थ
एक परिवार एक बैंक

दिल्ली अंचल कार्यालय 15, एनबीसीसी टॉवर, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66,
फोनः 011-26164817/26197769 फैक्सः 011-26171554,
ई-मेलः legal_del@mahabank.co.in

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्याक 54) के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.12.2018 को एक माँग नोटिस जारी करके **1. श्री मुरारीलाल उर्फ श्री त्रिलोक चंद (पुत्र श्री मुरलीधर) (मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) 2. श्री सचिन गुप्ता पुत्र श्री मुरारीलाल 3. श्री रितेश गुप्ता पुत्र श्री राधाकिशन गुप्ता 4. श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री राधाकिशन गुप्ता 5. श्री रोहित कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुरारीलाल गुप्ता (सभी उधारकर्ता ध्यार्टनर और गारंटर) को पुनर्भुगतान करने के लिए रु. 85,79,577 + अप्रयुक्त ब्याज @ 10.25% दिनांक 31.12.2018 के बाद से** उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था । (नोटिस स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था)

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण उधारकर्ता/गारंटर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा **दिनांक 7 जून 2019 को** ले लिया है ।

उधारकर्ता/गारंटर एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन-देन उल्लेख की गई राशि के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभार के अधीन किया जाएगा।

सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है ।

बैंक को गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

संपत्ति असर प्लॉट नंबर ए -48, मापक्षेत्र 163.33 वर्ग गज, प्रीत विहार, नई दिल्ली -110092 में स्थित है जोकि श्री राधा किशन पुत्र श्री मुरलीधर और श्री मुरारीलाल उर्फ श्री त्रिलोक चंद के स्वामित्व में है। दोनों का पता ए -55, प्रीत विहार, दिल्ली

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए
(एस. के. राणा)
सहायक महाप्रबंधक और
प्राधिकृत अधिकारी (सरफेसी अधिनियम, 2002)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07.06.2019

प्रयागराज में सोमवार को चिलचिलाती धूप से स्कॉर्फ के जरिए बचाव करतीं स्कूटी सवार महिलाएं।

भ्रष्टाचार के आरोप में 12 वरिष्ठ आयकर अधिकारी बर्खास्त

नई दिल्ली , 10 जून (भाषा)।

सरकार ने भ्रष्टाचार और पेशेवर कदाचार के आरोप में आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इनमें आयुक्त और संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस सूची में शामिल एक बर्खास्त संयुक्त आयुक्त के खिलाफ स्वयंभू धर्मगुरु चंद्रास्वामी की मदद करने के आरोपी एक व्यवसायी से जबरन वसूली तथा भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें हैं।

एक बर्खास्त संयुक्त आयुक्त के खिलाफ स्वयंभू धर्मगुरु चंद्रास्वामी की मदद करने के आरोपी एक व्यवसायी से जबरन वसूली तथा भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें हैं

बर्खास्त होने वालों में नोएडा में तैनात आयुक्त (अपील) के पद का एक आईआरएस अधिकारी भी है। उस पर आयुक्त स्तर की दो महिला आइआरएस अधिकारियों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। एक अन्य आइआरएस अधिकारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 3.17 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी। यह संपत्ति कथित तौर पर पद का दुरुपयोग करके और भ्रष्ट एवं गैरकानूनी तरीकों से अर्जित की गई थी। इस अधिकारी को समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने का निर्देश दिया गया है। आयकर विभाग के एक आयुक्त के खिलाफ सीबीआइ की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आय से अधिक का मामला दर्ज किया था और उन्हें अक्तूबर 2009 में सेवा से निलंबित कर दिया था। उन्हें भी सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्त लेने के लिए कहा है।

एक अन्य अफसर जो भ्रष्टाचार और जबरन वसूली में लिप्त था और कई गलत आदेश पारित किए थे। इन आदेशों को बाद में अपीलीय प्राधिकरण ने पलट दिया था। उसे भी सेवा से बर्खास्त किया गया है। आयुक्त स्तर के एक अन्य अधिकारी पर मुखौटा कंपनी के मामले में एक व्यवसायी को राहत देने के एवज में 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इसके अलावा उसने पद का दुरुपयोग करके चल-अचल संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगा था। उसे भी जबरिया सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

कमलनाथ ने ली विस सदस्यता की शपथ

भोपाल, 10 जून (भाषा)।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने कमलनाथ को विधानसभा भवन के विधान परिषद सभागार में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में सदन की सदस्यता की शपथ दिलवाई। शपथ लेने के बाद कमलनाथ ने कहा, 'हमारी पहली प्राथमिकता है कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कदमों के साथ प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाना।'

उन्होंने कहा, 'नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना हमारा दूसरा प्रमुख लक्ष्य है। हम चाहते है कि नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो।' प्रदेश के विभिन्न इलाकों में वर्तमान में चल रहे जल संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'यह 15 वर्ष की पूर्व भाजपा नीत सरकार की लापरवाही का परिणाम है।'

शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, संसदीय कार्य मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

महाराष्ट्र में मेडिकल दाखिलों से जुड़े आदेश में सुधार से अदालत का इनकार

नई दिल्ली, 10 जून (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित चार जून के निर्देशों में संशोधन के लिए दायर आवेदनों पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के अवकाश पीठ ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसद सीटें आरक्षित करने संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के आदेश के बाद सारी सीटों को कड़ाई के साथ मेरिट के आधार पर ही भरा जाना चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से अधिवक्ता निशांत आर कातनेश्वरकर और राज्य के सेट प्रकोष्ठ के वकील ने पीठ से कहा कि वे पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित नियम का सख्ती से पालन कर रहे हैं। शीर्ष अदालत में आवेदन दायर करने वाले छात्रों के एक समूह ने चार जून के उस आदेश में सुधार का अनुरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि अब इस मामले में कोई भी अदालत किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेगी।

-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसद सीटें आरक्षित करने संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के आदेश के बाद सारी सीटों को कड़ाई के साथ मेरिट के आधार पर ही भरा जाना चाहिए

एक अन्य आवेदन में उस निर्देश को संशोधित करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि किसी भी छात्र को पांच मार्च, 2019 को आवेदन करते समय पाठ्यक्रम के आबंटन के लिए दी गई वरीयता में किसी प्रकार का बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी अदालत द्वारा किसी आवेदन या याचिका पर विचार नहीं करने संबंधी आदेश में संशोधन का अनुरोध करते हुए छात्रों ने शीर्ष अदालत से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया था कि चार जून का उसका आदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य की शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश के लिए आरक्षण संबंधी अध्यादेश की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला करने में बाधक नहीं होगा। यह याचिका पहले से ही बंबई हाई कोर्ट में लंबित है।

शीर्ष अदालत ने चार जून को अपने आदेश में महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य में पीजी मेडकिल और दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम दौर की काउंसलिग 14 जून तक पूरी की जाए।

केंद्र प्रायोजित योजना बंद होनी चाहिए : नीतीश

पटना, 10 जून (भाषा)।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को बंद किए जाने की वकालत करते हुए सोमवार को कहा कि इसके स्थान पर 'सेंट्रल सेक्टर स्कीम' चलाई जानी चाहिए यानी केंद्र सरकार देश में अगर कोई योजना चलाना चाहती है तो उसकी योजना हो। पटना में सोमवार के आयोजित 'लोक संवाद' के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश ने कहा कि हम लोगों ने इन बातों को वित्त आयोग के समक्ष रखने के साथ राजग की भी बैठक के दौरान रखा है।

उन्होंने हर राज्य की अपनी-अपनी योजना की वकालत करते हुए कहा कि वे जब केंद्र सरकार में थे तो उस समय भी उन्होंने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या को घटाने में अपनी भूमिका निभाई थी। नीतीश ने कहा कि राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अगले पांच सालों के दौरान पहल की जानी चाहिए ताकि पिछडे राज्य भी विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि राम मंदिर का निर्माण अदालत के निर्णय से या लोगों की सहमति से होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह समान नागरिक संहिता को थोपे जाने के पक्ष में भी नहीं हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने से संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में हम पहले ही जवाब दे चुके हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आयेगी, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है।

आरबीआइ ने शून्य राशि वालों खातों के लिए नियमों में ढील दी

मुंबई, 10 जून (भाषा)।

रिजर्व बैंक ने प्राथमिक खातों (बेसिक एकाउंट) के मामले में सोमवार को नियमों में कुछ छूट दी जिससे अब ऐसे खाताधारकों को चेक बुक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। हालांकि बैंक इन सुविधाओं के लिए खाताधारकों को कोई न्यूनतम राशि रखने के लिए नहीं कह सकते।

प्राथमिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडी) से आशय ऐसे खातों से है जिसे शून्य राशि से खोला जा सकता है। इसमें कोई न्यूनतम राशि रखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले नियमित बचत खाते जैसे खातों को ही अतिरिक्त सुविधा मिलती थी। अतः इन खातों में न्यूनतम राशि रखने की जरूरत होती है और अन्य शुल्क भी देने होते हैं। वित्तीय समावेशी अभिभयान के तहत आरबीआइ ने बैंकों से बचत खाते के रूप में बीएसबीडी खाते की सुविधा देने को कहा। इसमें बिना किसी शुल्क के कुछ न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती थी।

रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक न्यूनतम सुविधाओं के अलावा चेक बुक जारी करने समेत अतिरिक्त मूल्य वर्द्धित सेवाएं देने के लिए स्वतंत्र हैं...अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने से ए खाते गैर-बीएसबीडी खाते नहीं हो जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने यह भी साफ किया है कि अतिरिक्त सेवाओं की पेशकश को लेकर बैंकों को ग्राहकों से न्यूनतम राशि रखने को नहीं कहना चाहिए।बीएसबीडी खाता नियतों के तहत खाताधारकों को न्यूनतम राशि रखने की जरूरत नहीं है और उन्हें कुछ न्यूनतम सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। इन सुविधाओं में एटीएम से एक महीने में चार बार निकासी, बैंक शाखा में जमा तथा एटीएम कार्ड शामिल हैं।

महज अश्लील तस्वीरें अपने पास रखना दंडनीय अपराध नहीं : केरल हाई कोर्ट

कोच्चि, 10 जून (भाषा)।

केरल हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि महज अश्लीला तस्वीरें रखना कानून के तहत अपराध नहीं है। अदालत ने एक व्यक्ति और एक महिला के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की। हालांकि उसने साफ किया कि ऐसी तस्वीरों का प्रकाशन या वितरण कानून के तहत दंडनीय है।

न्यायमूर्ति राजा विजयवर्गीय ने हाल में एक आदेश में कहा, 'अगर किसी वयस्क व्यक्ति के पास अपनी कोई तस्वीर है, जो अश्लील है तो 1968 के कानून 60 के प्रावधान तब तक उस पर लागू नहीं होंगे जब तक कि उन तस्वीरों को किसी अन्य उद्देश्य या विज्ञापन के लिए वितरित या प्रकाशित न किया जाए।'

हाई कोर्ट ने उस याचिका पर अपना फैसला दिया, जिसमें एक व्यक्ति और महिला के खिलाफ मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई थी। यह मामला कोल्लम में एक मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित था। यह मामला 2008 में दर्ज किया गया था।

पुलिस ने कोल्लम में एक बस अड्डे पर तलाशी अभियान के दौरान दोनों लोगों के बैगों की जांच की थी, जो एक साथ थे। तलाशी में दो कैमरे मिले थे। जांच करने पर यह पाया गया कि उनके पास उनमें से एक की अश्लील तस्वीरें और वीडियो हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और कैमरे जब्त कर लिए गए थे।

सीवीसी को 123 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी का इंतजार

नई दिल्ली, 10 जून (भाषा)।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 123 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में विभिन्न संगठनों की मंजूरी का इंतजार है। चार महीने से अधिक समय से सीवीसी इन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन के लिए संबंधित विभागों की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के सेवा अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

इन आरोपियों में से 45 विभिन्न सरकारी बैंकों से जुड़े हैं। सीवीसी के ताजा आंकड़ों के अनुसार इन अधिकारियों से संबंधित 57 मामले विभिन्न सरकारी संगठनों से अभियोजन की कार्रवाई की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे अधिक आठ मामले कार्मिक मंत्रालय के पास लंबित हैं। कार्मिक विभाग भ्रष्टाचार रोधक मामलों में नोडल विभाग के रूप में काम करता है। इसके अलावा पांच-पांच मामले रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी के इंतजार में अटके हुए हैं।

अप्रैल तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक और एक आयकर अधिकारी से संबंधित मामले में भी विभागों की मंजूरी नहीं मिल पाई है जिसकी वजह से इनके खिलाफ अभियोजन शुरू नहीं हो पाया है।

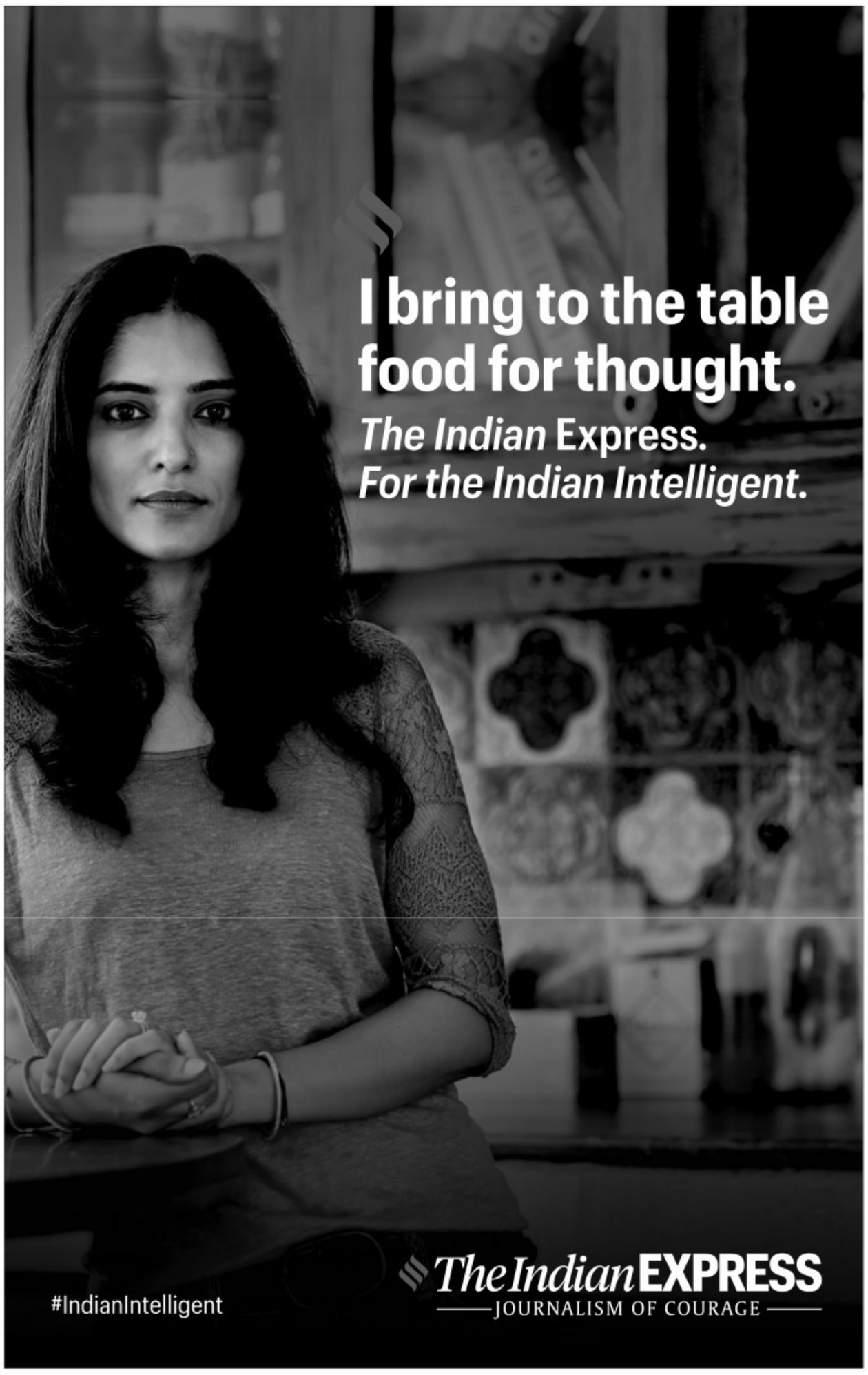

बीजद विधायक पर इंजीनियर को अपमानित करने का आरोप साबित

भुवनेश्वर, 10 जून (भाषा)।

ओड़ीशा में एक प्रशासनिक जांच में नवनियुक्त बीजद विधायक सरोज कुमार मेहर के खिलाफ इन आरोपों की पुष्टि हुई है कि उन्होंने एक कनिष्ठ पीडब्ल्यूडी अभियंता को पीटा और उसका अपमान किया। पटनागढ़ से विधायक मेहर से संबंधित एक वीडियो पिछले सप्ताह वायरल हो गया था, जिसमें वह बोलंगीर जिले में एक इंजीनियर से सार्वजनिक रूप से उठक-बैठक कराते दिख रहे हैं।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद जांच शुरू की गई थी। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी पटनागढ़ के उप कलेक्टर को सौंपी गई थी। बोलंगीर जिला कलेक्टर अरिदम दकुआ ने कहा, 'मुझे पटनागढ़ के उप कलेक्टर की रिपोर्ट मिली है, जिसमें कनिष्ठ अभियंता को पीटे जाने और उसका अपमान किए जाने के आरोपों की पुष्टि की गई है।' उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

मेडिकल आयोग विधेयक दोबारा पेश करने की तैयारी

नई दिल्ली, 10 जून (भाषा)।

आगामी 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में केंद्र सरकार वह अहम विधेयक फिर से पेश करने की तैयारी में है, जिसका मकसद मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार करना है। दिसंबर 2017 में पेश किया गया राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) विधेयक 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही निष्प्रभावी हो गया था।

एक अधिकारी ने बताया कि आम चुनावों के बाद नई सरकार के गठन के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को फिर से विधायी प्रक्रिया शुरू करनी होगी और इसके लिए विधेयक का एक नया मसौदा जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'एनएमसी विधेयक के मसौदे को कानून मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है।'

2017 में संसद के निचले सदन में यह विधेयक पेश किए जाने के बाद इसे विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। मेडिकल बिरादरी द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया। यह विधेयक कानून बन जाने पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) कानून 1956 की जगह ले लेगा। इस विधेयक में 'ब्रिज कोर्स' का एक विवादित प्रावधान भी शामिल किया गया था, जिसके जरिए वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों (आयुष) की प्रैक्टिस करने वालों को एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की छूट होती।

2017 में संसद के निचले सदन में यह विधेयक पेश किए जाने के बाद इसे विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था

संसदीय समिति ने मार्च 2018 में अपनी सिफारिशें दी थीं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने विवादित प्रावधान हटा दिया और लोकसभा में आधिकारिक संशोधन पेश करने से पहले समिति द्वारा सुझाए गए कुछ अन्य बदलाव भी किए। अधिकारी ने कहा, 'आधिकारिक संशोधनों को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई और अलग से लोकसभा में पेश किया गया। अब एनएमसी विधेयक के मसौदे को फिर से तैयार किया गया है और संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को शामिल किया गया है। विधेयक का मसौदा जल्द ही कैबिनेट को भेजा जाएगा।'

इस बीच, एमसीआई के निर्वाचित निकाय का कार्यकाल पूरा होने के करीब आने पर केंद्र ने शीर्ष संस्था को भंग कर दिया और पिछले साल सितंबर में अध्यादेश जारी कर सात सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर (बीओजी) को नियुक्त किया ताकि घोटाले के दाग से घिरे मेडिकल शिक्षा क्षेत्र की नियामक संस्था को संचालित किया जा सके। अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय अध्यादेश की जगह लेने के लिए अब एक विधेयक पेश करेगा ताकि बीओजी अपना कामकाज जारी रख सके।

जनसत्ता
महासमर
विश्व कप -2019
11 जून, 2019 14

गेंद से छेड़छाड़ की बात पर फिंच ने कहा, हाथ गर्म कर रहा थे जंपा

आस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच ने कहा कि एडम जंपा भारत के खिलाफ विश्व कप मैच के दौरान हाथ गर्म करने के लिए जेब में डाल रहे थे और इस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह की अटकलबाजियों को खारिज कर दिया कि लेग स्पिनर जंपा गेंद से छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा थे।

विश्व कप डायरी

शिखर धवन

अहम मौकों पर चूकने के कारण भारत से हारे : मैक्सवेल

आस्ट्रेलिया के हरफनमौला खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि 'अहम मौकों' पर चूकने के कारण भारत के खिलाफ मौजूदा विश्व कप में टीम को पहली हार का सामना करना पड़ा।

मैक्सवेल ने कहा, 'हां, मैच के दौरान हम कुछ अहम मौकों पर चूक गए। कुछ कैच छूटे और मैंने खुद भी रन आउट करने का एक मौका गंवा दिया। मेरे पास धवन को रनआउट करने का मौका था।' उन्होंने जसप्रीत बुमराह (61 रन पर तीन विकेट) और भुवनेश्वर कुमार (50 रन पर तीन विकेट) भारतीय तेज गेंदबाजों की जोड़ी की तारीफ की।

14 गेंद में 28 रन की पारी खेलने वाले मैक्सवेल ने कहा, 'हमारा सामना अंतिम ओवरों के दो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों और शुरुआती ओवरों के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों से था। जिनके खिलाफ हमें लक्ष्य हासिल करना था। हम कुछ अहम मौकों पर चूक गए।'

हमने तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन किया : शिखर धवन

सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कहा कि भारत को मौजूदा चैंपियन आस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप मैच में तीनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण 36 रन से जीत मिली। धवन ने 109 गेंदों पर 117 रन की पारी खेली और उन्हें मैन आफ द मैच चुना गया। उन्होंने कहा, 'हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा संकेत है और मैं मैन आफ द मैच पुरस्कार पाकर खुश हूं। मैं अपने प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। हमारी टीम का क्षेत्ररक्षण बहुत अच्छा है। हमने कुछ अच्छे कैच लिए। हमारी गेंदबाजी अच्छी है। हमारे पास अच्छे स्पिनर हैं।' धवन ने कहा, 'हमने नेट्स पर वास्तव में कड़ी मेहनत की थी। हमारी प्रक्रिया बहुत अच्छी है और इसलिए हमने अनुकूल परिणाम हासिल किए। हमने सभी विभागों में अच्छा खेल दिखाया। हम जानते थे कि उनकी टीम शानदार है और मैच रोमांचक होगा। हमें आगामी मैचों में भी हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।'

विश्व कप अभियान को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका

बांग्लादेश लगातार दो मैच में देख चुका है हार का मुंह, बल्लेबाजों के प्रदर्शन से परेशान है श्रीलंका

मैच का समय

दोपहर बाद तीन बजे से

टीमें इस प्रकार हैं

श्रीलंका

दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), धनंजय डिसिल्वा, नुवान प्रदीप, अविष्का फर्नांडो, सुरंगा लकमल, लेसिथ मलिंगा, एंजेलो मैथ्यूज, कुसाल मेंडिस, जीवन मेंडिस, कुसाल परेरा, तिसारा परेरा, मिलिंडा श्रीवर्धना, लाहिरु तिरिमाने, इसुरू उदाना और जेफ्री वंडारसे में से।

बांग्लादेश

मशरेफी मुर्तजा (कप्तान), अबू जैद, लिटन दास, महमुदुल्लाह, मेहदी हसन, मोहम्मद मिथुन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मोसादेक हुसैन, मुशफिकुर रहीम, मुस्ताफिजुर रहमान, रुबेल हुसैन, शब्बीर रहमान, शाकिब अल हसन, सौम्या सरकार और तमीम इकबाल में से।

ब्रिस्टल, 10 जून (भाषा)।

लगातार दो मैचों में हार से आहत बांग्लादेश और बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन से परेशान श्रीलंका अपनी पिछली कमियों में सुधार करके मंगलवार को यहां होने वाले मैच में अपना अभियान पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे।

बांग्लादेश ने विश्व कप में शानदार शुरुआत की थी। उसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छह विकेट पर 330 रन का अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाने के बाद 21 रन से जीत दर्ज की थी। लेकिन इसके बाद उसकी टीम यह लय बरकरार नहीं रख पाई तथा उसे न्यूजीलैंड से दो विकेट और मेजबान इंग्लैंड से 106 रन से हार झेलनी पड़ी। बांग्लादेश की तरफ से स्टार आलराउंडर शाकिब अल हसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजी क्रम में तीसरा नंबर उनको रास आ गया है और उन्होंने अब तक दो अर्धशतक और एक शतक लगाया है। उनसे टीम को फिर से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन सौम्या सरकार और तमीम इकबाल की सलामी जोड़ी अपेक्षित शुरुआत देने में नाकाम रही है। बांग्लादेश की चिंता वैसे गेंदबाजी को लेकर है। पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उसके गेंदबाजों ने 386 रन लुटाए थे।

शाकिब ने मैच के बाद कहा था, 'जिस तरह से हमने गेंदबाजी की उससे हम वास्तव में निराश हैं। मुझे लगता है कि हमने दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की थी। हम इस मैच में भी बेहतर गेंदबाजी प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे।'

श्रीलंका भी पहले मैच में न्यूजीलैंड से दस विकेट से करारी शिकस्त झेलने के बाद वापसी को लेकर आशान्वित होगा। दिमुथ करुणारत्ने की अगुआई वाली टीम ने अफगानिस्तान को हराकर कुछ राहत की सांस ली है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बारिश के कारण मैच रद्द होने से उसे अंक बांटने पड़े।

श्रीलंका की टीम अपने दो मैचों में पूरे 50 ओवर तक नहीं टिक पाई जो उसके लिए चिंता का विषय है। गेंदबाजी में श्रीलंका को चोटिल तेज गेंदबाज नुवान प्रदीप की कमी खलेगी जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 31 रन देकर चार विकेट लिए थे। ऐसे में लेसिथ मलिंगा की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाएगी।

पाकिस्तान को आस्ट्रेलिया से डरने की जरूरत नहीं : हफीज

टांटन, 10 जून (एएफपी)।

पाकिस्तान के आलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अपनी टीम से कहा है कि वह इंग्लैंड पर जीत से मिले आत्मविश्वास को लेकर मौजूदा चैंपियन आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतरे।

इस 38 वर्षीय बल्लेबाज की 62 गेंदों पर खेली गई 84 रन की पारी से पाकिस्तान ने नाटिंघम में इंग्लैंड को 14 रन से हराया था। पाकिस्तान ने आठ विकेट पर 348 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया जिससे उसका मनोबल बढ़ा है। पाकिस्तान पहले मैच में वेस्टइंडीज से सात विकेट से हार गया था। हफीज ने एएफपी से कहा, 'मेरा मानना है कि सभी दस टीमों को हराया जा सकता है। अगर आप इंग्लैंड पर गौर करो तो वे अपनी

सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेल रहे हैं और लोगों को लगता है कि उसे हराना मुश्किल है।'आस्ट्रेलिया को पिछले मैच में भारत से 36 रन से हार का सामना करना पड़ा था। उसका अगला मुकाबला बुधवार को टांटन में पाकिस्तान से होगा। आस्ट्रेलिया ने मार्च में पाकिस्तान को यूएई में पांच मैचों की श्रृंखला में 5-0 से करारी शिकस्त दी थी। हफीज ने कहा, 'हां, हमारा आस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा रेकार्ड नहीं है क्योंकि वे कड़ी क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हर दिन नया दिन होता है। यह विश्व कप है और हमने इंग्लैंड पर जीत से लय हासिल कर ली है।' 'सभी टीमों को हराया जा सकता है। अगर आप हमारे अगले प्रतिद्वंद्वी (आस्ट्रेलिया) की बात करते हो तो वह भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है लेकिन उन्हें भी हराया जा सकता है।'

हम ज्यादा उत्साहित थे, हमें आस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ साबित करना था : कोहली

भारत ने वन डे श्रृंखला में हार का बदला लिया

लंदन, 10 जून (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि विश्व कप में आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए उनकी टीम अतिरिक्त उत्साहित थी। भारत ने यह मैच 36 रन से जीतकर इस साल के शुरू में वनडे श्रृंखला में हार का बदला चुकता कर दिया।

कोहली ने कहा, 'हमें कुछ साबित करना था। हम आज जीत दर्ज करने के लिए ज्यादा प्रेरित थे क्योंकि हमने भारत में 2-0 से आगे होने के बाद श्रृंखला गंवाई थी और तब मिशेल स्टार्क भी नहीं खेल रहे थे। इसलिए अब उसके (स्टार्क) आने के बाद उनका गेंदबाजी आक्रमण अधिक मजबूत हो गया था।' उन्होंने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मैं तीनों विभागों में इससे बेहतर खेल की उम्मीद नहीं कर सकता। हमें बल्लेबाजी में उस तरह की शुरुआत मिली जैसा हम चाहते थे।'

भारत ने शिखर धवन (117) के शतक की मदद से पांच विकेट पर 352 रन बनाए और बाद में आस्ट्रेलिया को 316 रन पर आउट कर दिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज कर ली है लेकिन कोहली अभी से विश्व कप सेमीफाइनल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, 'नहीं। मुझे लगता है कि सेमीफाइनल के बारे में सोचना अभी बहुत जल्दी होगी। मेरा मानना है कि छह मैचों के बाद हम यह समझने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे कि हम टूर्नामेंट में किस स्थिति में हैं, तालिका में हमारी क्या स्थिति है लेकिन हमने दो मजबूत टीमों के खिलाफ जीत दर्ज की है और हम इससे बेहतर शुरुआत की उम्मीद नहीं कर सकते थे।'

> "मुझे लगता है कि सेमीफाइनल के बारे में सोचना अभी बहुत जल्दी होगी। मेरा मानना है कि छह मैचों के बाद हम यह समझने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे कि हम टूर्नामेंट में किस स्थिति में हैं, तालिका में हमारी क्या स्थिति है।"
>
> – **विराट कोहली**, कप्तान, भारतीय टीम

कोहली बोले कि अच्छी बात यह है कि हमें शुरू में ही सभी मजबूत टीमों का सामना करना है इसलिए जैसा मैंने मुंबई में यहां आने से पहले कहा था कि अगर हम पहले चरण में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हम सेमीफाइनल में पहुंचने की बेहतर स्थिति में रहेंगे। भारतीय गेंदबाजी की सबसे अच्छी बात यह रही कि उसने आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को 131 गेंदों पर रन नहीं बनाने दिए। जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल ने फिर से अच्छी गेंदबाजी की। इन तीनों ने मिलकर आठ विकेट लिए। कोहली ने कहा, 'वनडे में जब आपके पास अच्छे गेंदबाज हों तो आप खाली गेंदें करते हैं क्योंकि बल्लेबाज इस तरह के गेंदबाज को वास्तव में सम्मान देता है। आपको उन्हें परिस्थिति के अनुसार गेंदबाजी करनी चाहिए और वे जानते हैं कि क्या करना है। 'मुझे वास्तव में इन गेंदबाजों के साथ कुछ खास रणनीति नहीं बनानी पड़ती है।

दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच मैच बारिश की भेंट चढ़ा

नाटिंघम, 10 जून (भाषा)।

वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच सोमवार को यहां खेला जाने वाला विश्व कप का लीग मैच बारिश की भेंट चढ़ गया जिससे दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला।

बारिश के कारण मैच में सिर्फ 7.3 ओवर का खेल हो पाया जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने दो विकेट खोकर 29 रन बनाए। बारिश के कारण जब खेल रोका गया तब सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकाक 17 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने खाता भी नहीं खोला था। दक्षिण अफ्रीका ने इसके साथ ही विश्व कप में अपने अंकों का खाता खोला। टीम के चार मैचों में तीन हार और एक बेनतीजा मैच से सिर्फ एक अंक है और उसकी सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने की राह लगातार मुश्किल होती जा रही है। टीम अभी नौवें स्थान पर चल रही है और उसके अलावा सिर्फ अफगानिस्तान ऐसी टीम है जो विश्व कप में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी है। वेस्ट इंडीज के इस मैच के बाद तीन मैचों में तीन अंक हो गए हैं और टीम पांचवें स्थान पर चल रही है। श्रीलंका और पाकिस्तान के भी तीन-तीन मैचों में तीन-तीन अंक हैं लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण वेस्ट इंडीज इन दोनों टीमों से ऊपर है। विश्व कप में यह दूसरा मैच है जिसे रद्द करना पड़ा। इससे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले मुकाबले में भी बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी।

स्मिथ के समर्थन में उतरे कोहली ने कहा, हूटिंग स्वीकार्य नहीं

लंदन, 10 जून (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने प्रशंसकों की तरफ से स्टीव स्मिथ से माफी मांगी क्योंकि इस पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान को विश्व कप में एक बार फिर से 'अस्वीकार्य' हूटिंग से रू ब रू होना पड़ा था।

दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ के विवादास्पद मामले के कारण एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद वापसी करने वाले स्मिथ को प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड के प्रत्येक मैदान पर दर्शकों के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ रहा है।

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच रविवार को भी दर्शकों ने स्मिथ पर फब्तियां कसीं और उन्हें धोखेबाज कहा। तब आस्ट्रेलियाई टीम क्षेत्ररक्षण कर रही थी। कोहली ने दर्शकों को ऐसा करने से रोका और इसके बजाय उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाने को कहा। भारत ने यह मैच 36 रन से जीता।

कोहली ने मैच के बाद कहा, 'मुझे उनके लिए बुरा लगा और मैंने उनसे कहा, 'मैं दर्शकों की तरफ से खेद जताता हूं क्योंकि मैंने पिछले कुछ मैचों में भी ऐसा होते हुए देखा है।' मेरे विचार में यह अस्वीकार्य है।' उन्होंने कहा, 'यहां बड़ी संख्या में भारतीय दर्शक उपस्थित थे और मैं नहीं चाहता था कि वे गलत उदाहरण पेश करें। ईमानदारी से कहूं तो उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए उसकी हूटिंग की जाए। वे केवल क्रिकेट खेल रहे हैं।' कोहली और स्मिथ इससे पहले एक दूसरे को निशाना बनाते रहे हैं। इनमें बेंगलुरू में 2017 में खेला

स्टीव स्मिथ

गया टेस्ट मैच भी शामिल है जब स्मिथ ने रेफरल में मदद के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा और कोहली ने इसके लिए उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन रविवार को इसके ठीक उलट दृश्य दिखा और जब कोहली ने दर्शकों से शांत बने रहने की अपील की तो फिर दोनों को हाथ मिलाते हुए देखा गया।

कोहली ने कहा, 'वे (स्मिथ) केवल वहां खडे थे और मुझे बुरा लगा क्योंकि अगर मैं भी उसकी स्थिति में होता, मेरे साथ ऐसा होता और मैंने माफी मांग ली होती, मैंने अपनी (गलती) स्वीकार कर ली होती और वापसी करने पर फिर भी मेरी हूटिंग की जाती तो मैं कतई इसे पसंद नहीं करता।' कोहली का मानना है कि अगर किसी को अपने किए पर पछतावा है तो अन्य को भी आगे बढ़ना चाहिए।

खेल की खबरें

आनंद ने वेस्ली सो को हराया

स्टैवैगनर (नार्वे), 10 जून (भाषा)।

पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अमेरिका के वेस्ली सो पर आसान जीत दर्ज की जिससे वह अल्टीबॉक्स नार्वे शतरंज टूर्नामेंट के पांचवें दौर के बाद संयुक्त पांचवें स्थान पर पहुंच गएं हैं। आनंद ने दिखाया कि क्यों उन्हें स्पीड किंग कहा जाता है। उन्होंने वेस्ली के खिलाफ काले मोहरों से ड्रा खेला और फिर सफेद मोहरों से जीत करके यह मुकाबला 1.5-0.5 से अपने नाम किया। आनंद ने पहली दो बाजियों में हार के बाद शानदार वापसी की और इसके बाद लगातार तीन जीत हासिल की। इससे वह पांच अंकों के साथ संयुक्त पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

आकाशदीप की हैट्रिक से उज्बेकिस्तान को रौंद भारत सेमीफाइनल में

भुवनेश्वर, 10 जून (भाषा)।

आकाशदीप सिंह की हैट्रिक से खिताब के प्रबल दावेदार भारत ने एफआईएच सीरीज फाइनल्स हॉकी टूर्नामेंट में सोमवार को यहां उज्बेकिस्तान को 10-0 से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की।

आकाशदीप ने मैच के 11वें, 26वें और 53वें मिनट में गोल किए जबकि वरुण कुमार (चौथे और 22वें मिनट), मनदीप सिंह (30वें और 60वें) ने भारत के लिए दो-दो गोल किए।

अमित रोहिदास (15वें मिनट), नीलकांत शर्मा (27वें मिनट) और गुरसाहिबजीत सिंह (45वें मिनट) ने एक-एक गोल दागा।

भारतीय टीम पूल ए के सभी मुकाबले जीत कर तालिका में शीर्ष पर रही। शुक्रवार को होने वाले सेमीफाइनल में उसका सामना जापान और पोलैंड के बीच होने वाले क्रासओवर मैच के विजेता से होगा। पूल बी में शीर्ष पर रहे अमेरिका का सेमीफाइनल में सामना रूस और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले क्रास ओवर मैच के विजेता से होगा। भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया और मैच के ज्यादातर समय तक गेंद उज्बेकिस्तान के हाफ में रही। शुरुआती चार मिनट में ही भारतीय टीम को पांच पेनल्टी कार्नर मिले जिसमें से टीम को पहली सफलता पांचवें पेनल्टी कार्नर पर मिली। वरुण के इस गोल से भारत ने खाता खोला।

नडाल का लक्ष्य नहीं है फेडरर का ग्रैंडस्लैम रेकार्ड

पेरिस, 10 जून (एएफपी)।

राफेल नडाल ने कहा कि रोजर फेडरर का 20 ग्रैंडस्लैम खिताब का रेकार्ड तोड़ना उनका लक्ष्य नहीं है क्योंकि 'आप अपने पड़ोसी के खुद की तुलना में बड़े मकान, बड़े टीवी या अच्छे बगीचे को देखकर परेशान नहीं हो सकते हो।' नडाल ने रविवार को आस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 से हराकर रेकार्ड 12वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता।

इससे उनके कुल ग्रैंडस्लैम की संख्या 18 हो गई है और वह फेडरर के 20 ग्रैंडस्लैम के रेकार्ड से केवल दो खिताब पीछे हैं। नडाल अभी 33 साल के हैं और स्विस दिग्गज फेडरर से पांच साल छोटे हैं लेकिन अपने करिअर में वह चोटों से भी परेशान रहे और इसलिए रेकार्ड पर उनकी निगाहें नहीं टिकी

हैं। स्पेन के इस खिलाड़ी ने कहा, 'मैं जिंदगी को इस तरह से नहीं जीता हूं। यह निश्चित तौर पर प्रेरणा है लेकिन यह मेरा जुनून नहीं है। मैं इस वजह से रोज सुबह उठकर अभ्यास या खेलने के लिये नहीं जाता हूं।'

नडाल के स्वयं के अनुमान के अनुसार लंबे समय से चली आ रही घुटने और कलाई की चोट के कारण उन्हें अपने करियर में 'लगभग 15 या इससे भी अधिक ग्रैंडस्लैम का नुकसान हुआ।' उन्होंने कहा कि 2019 के शुरू में चोटिल होने के कारण वे मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी कमजोर महसूस कर रहे थे और इस खेल के प्रति अपने प्यार पर सवाल उठा रहे थे।

नडाल ने कहा, 'मैं इसका बहुत अधिक लुत्फ नहीं उठा रहा था। मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था। इंडियन वेल्स के बाद मैं मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर रहा था।'

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 205, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।